दिनांक विधान सभा
में प्रस्तुत
Presented to Legislative
on 22 MAR 2013

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2011-12 का प्रतिवेदन क्रमांक -1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कण्डिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यपालिक सारांश		vii
पहला अध्याय		
राज्य शासन का वित्त		
छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य	1.1	1
प्रस्तावना	1.2	1
राज्य के संसाधन	1.3	6
राजस्व प्राप्तियाँ	1.4	10
संसाधनों का उपयोग	1.5	14
व्यय की गुणवत्ता	1.6	22
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.7	25
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.8	28
ऋण धारणीयता	1.9	30
राजकोषीय असंतुलन	1.10	32
निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ	1.11	36
दूसरा अध्याय		
वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	39
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	39
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.3	40
चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम	2.4	45
बजट अनुमान तैयार करना	2.5	50
निष्कर्ष	2.6	51
अनुशंसाएँ	2.7	52
तीसरा अध्याय		
वित्तीय प्रतिवेदन		
स्वायत निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों की स्थिति	3.1	53
गबन, हानियाँ, व्यपहरण आदि	3.2	53
संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों एवं अस्थायी अग्रिमो की स्थिति	3.3	54
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	3.4	55
व्यक्तिगत निक्षेप लेखे	3.5	56
निष्कर्ष	3.6	57
अनुशंसाएँ	3.7	57

परिशिष्ट

परिशिष्ट क्र.	विवरण	संदर्भ	
		कण्डिका	पृष्ठ
1.1	छत्तीसगढ़ राज्य का प्रोफाइल	1.1	59
1.1 (अ) भाग- अ	सरकारी लेखे की संरचना एवं प्रारूप	1.2	60
1.1 (अ) भाग- ब	वित्त लेखों की रूपरेखा	1.2	60
1.2	राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु अपनाई गई कार्याविधि	1.2	61
1.3	राज्य शासन के वित्त के समय श्रृंखला आंकड़ों का एक विश्लेषण	1.2, 1.4, 1.5.1	63
1.4 भाग- अ	वर्ष 2011- 12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.2.1, 1.4, 1.8.1	65
1.4 भाग- ब	31 मार्च 2012 को छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति का सारांश	1.2.1, 1.4, 1.8.1	67
1.5	वर्ष 2011-12 के बजट आक्लन के विरूद्ध वास्तविक व्यय	1.2.3	68
1.6	अपूर्ण परियोजनाओं की मार्च 2012 की स्थिति	1.7.1	70
1.7	आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय का विवरण	1.5.1	76
2.1	विवरण जहां प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था	2.3.1	77
2.2	विगत वर्षो के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित	2.3.3	78
2.3	प्रकरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.5	79
2.4	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुआ	2.3.5	81
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहां आधिक्य/बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)	2.3.6	83
2.6	वर्ष के दौरान किए गए सारभूत समर्पण/विनियोग के परिणाम	2.3.7	85

2.7	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण (प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख या अधिक है)	2.3.8	101
2.8	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जिनमें बचत हुई (₹ एक करोड़ से अधिक) लेकिन कोई भी अंश समर्पण नहीं किया गया	2.3.9	102
2.9	₹ एक करोड़ से अधिक के बचत जो समर्पित नहीं किए गए	2.3.9	103
2.10	31 मार्च 2012 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण	2.3.9	104
2.11	व्यय की अतिरेक	2.3.11	106
2.12	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र	2.4.7	107
3.1	गबन, व्यपहरण इत्यादि का विभागवार/अवधिवार विश्लेषण (31 मार्च 2012 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण)	3.2	108
3.2	चोरी, गबन एवं सरकारी भंडार सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	3.2	110

प्राक्कथन

1 यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया।

2 इस प्रतिवेदन के पहले अध्याय "राज्य शासन" के वित्त एवं दूसरे अध्याय "वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण" में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष तक के लिए राज्य शासन के वित्त लेखों तथा विनियोजन लेखों की जांच से उद्‌भूत मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सम्मिलित है।

3 अध्याय तीन, "वित्तीय प्रतिवेदन" पर विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है एवं राज्य सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमों, तौर तरीकों एवं वर्तमान वर्ष में दिए गए निर्देशों की स्थिति स्पष्ट करता है।

कार्यपालिक सारांश

कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवदेन वर्ष 2011-12 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त पर राज्य के वित्तीय निष्पादन का मुख्यतः तथ्यपरक आकलन प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन का उददेश्य वित्तीय आकंड़ो के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित तथ्यों/सामाग्री राज्य शासन एवं राज्य विधान मंडल को समय पर उपलब्ध कराना है। विश्लेषण को मूर्तरूप देने के लिए राज्य शासन द्वारा राजकोषीय दायित्व अधिनियम (एफ आर बी एम अधिनियम), बजट लेखे, राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण,तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसित मानकों एवं शासन के विभिन्न विभागों एवं संगठनो से प्राप्त किये गये वित्तीय आकंड़ो के निर्धारित लक्ष्यों से उपलब्धियों की तुलना करने का प्रयास किया गया है।

प्रतिवेदन

यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन के मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य शासन के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित विश्लेषण युक्त समीक्षा प्रदान करता है । प्रतिवेदन तीन अध्यायों में तैयार किया गया है।

पहला अध्याय - राज्य शासन के वित्त - वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं सरकार के 31 मार्च 2012 के राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है। बजट के बाहर के रास्ते से राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय निधियों के सीधे स्थानान्तरण का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करने के अतिरिक्त यह व्यय एवं उधारियों की पद्धति की प्रवृत्तियों पर अन्तरदृष्टि प्रस्तुत करता है। इसमें पूंजीगत व्यय एवं सामाजिक क्षेत्रों के विकास के लिए राजकोषीय प्राथमिकता की पर्याप्तता का भी आकलन है।

दूसरा अध्याय - वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण - विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित एवं अनुदानवार विनियोगों का विवरण एवं सेवा प्रदायक विभागों द्वारा आबंटित संसाधनों के प्रबंधन की रीति प्रस्तुत करता है। इसके अलावा गृह एवं पर्यावरण विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के (मांग संख्या 21 एवं 44) दो अनुदानों की समीक्षा एवं बजट प्रक्रिया और बजट मान्यताओं पर आधारित लेखा परीक्षा की टिप्पणियाँ इस अध्याय में दी गई है।

तीसरा अध्याय - वित्तीय प्रतिवेदन - प्रतिवेदनों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों पर सरकार द्वारा अनुपालन की एक सूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षो की पुष्टि हेतु अनेक स्त्रोतों से संग्रहित अतिरिक्त आकंड़े भी समाहित किये गये है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष एवं अनुशंसाऐं

राजकोषीय स्थिति - मुख्य मापदंण्डो के अनुसार राज्य की राजकोषीय स्थिति में कमी हुई है। वर्ष के दौरान राजकोषीय आधिक्य राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया जबकि

गत वर्ष की तुलना में राजस्व आधिक्य एवं मौलिक आधिक्य में गिरावट थी। किन्तु एफ आर बी एम अधिनियम एवं तेरहवें वित्त आयोग में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धियाँ बेहतर थी।

राजस्व प्राप्तियाँ - गत वर्ष के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,867 करोड़) में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में स्वंय के कर राजस्व का (19 प्रतिशत), कर भिन्न राजस्व का (छः प्रतिशत), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश (17 प्रतिशत) एंव सहायता अनुदान की प्राप्तियाँ (सात प्रतिशत) का अंशदान था।

राजस्व व्यय - गत वर्ष के सापेक्ष में राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं जो कुल व्यय का 81 प्रतिशत था जिसमें 56 प्रतिशत के लगभग आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) था।

गत वर्ष की तुलना में एन पी आर ई में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं आर्थिक सहायताओं पर मिलकर क्रमशः 58 एवं 51 प्रतिशत व्यय होता है।

पूंजीगत व्यय - वर्ष के दौरान कुल व्यय का 15 प्रतिशत पूंजीगत व्यय हुआ एवं गत वर्ष की अपेक्षा 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एफ आर बी एम अधिनियम एवं बजट अनुमानों में किये प्रक्षेपण की अपेक्षा भी यह क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत कम था। विकास को प्रोत्साहित करने हेतु अति आवश्यक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु राज्य को कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।

सरकारी निवेश तथा ऋण एवं अग्रिमों की समीक्षा - वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त पूंजी कम्पनियों एवं सहकारिता में सरकारी निवेश का एवं बकाया ऋण एवं अग्रिमों का कमशः केवल 0.04 एवं 4.11 प्रतिशत औसतन प्रतिफल था जबकि 2011-12 के दौरान अपनी उधारियों पर सरकार को न्यूनतम 7.08 प्रतिशत ब्याज भुगतान करना पडा। स्पष्ट रूप से यह एक असहनीय प्रस्ताव था।

ऋण धारणीयता - 31 मार्च 2012 के अन्त में राजकोषीय दायित्वों का योग ₹ 17,102 करोड़ था एवं जी एस डी पी का 12.62 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान जबकि इसकी मात्रा प्राथमिक कमी के साथ विस्तार धनात्मक था जबकि संसाधनो का अन्तर ऋणात्मक था।

वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

2011-12 के दौरान कुल अनुदानों एवं विनियोगो के ₹ 36,044.09 करोड़ के विरूद्ध ₹ 29,218.32 करोड़ का व्यय किया, परिणामतः ₹ 6,825.77 करोड़ की बचत हुई। ₹ 6,878.35 करोड़ की कुल बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन दो अनुदानों एवं पूंजीगत अनुभाग के अधीन तीन अनुदानों में ₹ 52.58 करोड़ के व्यय आधिक्य को समायोजित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन उपरोक्त आधिक्य का नियमितीकरण कराये जाने की आवश्यकता है।

13 अनुदानों से सम्बंधित 15 प्रकरणों में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक बचत के उदाहरण थे। इसमें सात अनुदानों के अधीन (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक) ₹ 1325.41 करोड़, बचत शामिल है। 2011-12 के दौरान 72 प्रतिशत तक के निरन्तर बचत की 11 अनुदानें थी । चालू वर्ष के दौरान, व्यय आधिक्य, अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान, सारभूत समर्पण, संभावित बचत का समर्पण न करने का भी उदाहरण था एवं वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता के भी उदाहरण थे। वित्तीय प्रबंधन में इन कमियों से बचने के लिए बजट नियंत्रण का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अंतिम क्षण में बजट जारी किये जाने एवं पुनर्वियोजन/समर्पण की विवरणियों को टाला जाना चाहिए।

वित्तीय प्रतिवेदन

सितम्बर 2012 तक दो स्वायत निकायों के कुल 13 लेखे, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से ध्यान में लाये जाने के बावजूद, विभिन्न शासकीय विभागों में मार्च 2011-12 को समाप्त वर्ष तक ₹ 16.49 करोड़ की राशि के गबन, हानियों एवं व्यपहरण के 1631 प्रकरण, एक वर्ष से लेकर 25 वर्ष एवं अधिक अवधि तक, ठोस अनुसंधान एवं निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे प्रकरणों में विभागीय जांच शीघ्र करायी जानी चाहिये। भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति रोकने के लिए विभागों में आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ किया जाना चाहिए।

एक वृहद राशि ₹ 729.22 करोड़ 143 असंचालित जमा खातो (पी.डी. खाते) में अव्ययित पड़े हुए थे जिसमें से 89 पी.डी. खाते, जिनमें ₹ 18.09 करोड़ शेष थे, तीन वर्ष से अधिक समय से संचालित नही थे। इसमें से दो पी.डी. खातो में ₹ 1.49 करोड़ एवं ₹ 1.26 करोड़ की शेष राशि सितम्बर 2003 एवं मार्च 2006 से बिना बदलाव के पड़ी हुई है। निधियों को पी.डी. खाते में अवरूद्ध रखना राज्य लेखे की पारदर्शिता पर विपरीत असर डालता है क्योंकि यह राजस्व व्यय को बढ़ा कर दिखाता है एवं संसाधनों को अवरूद्ध करता है, जिसका अन्यत्र कहीं अन्यथा उपयोग किया जा सकता था। आगे, राज्य वित्त पर बजटीय एवं विधान मंडलीय नियंत्रण को क्षरित करता है। असंचालित पी.डी. खातो को बंद करने के लिए शासन उपयुक्त कदम उठाए एवं शेष निधि को समेकित निधि में अंतरित करें ।

पहला अध्याय

राज्य शासन का वित्त

पहला अध्याय

राज्य शासन के वित्त

1.1 छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

छत्तीसगढ राज्य का गठन 1 नवम्बर 2000 को मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 का क्रमांक-28) के अधीन तत्कालिन मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों[1] से किया गया था। छत्तीसगढ राज्य गठन के उपरान्त 11 मई 2007 को दो[2] और जिलो एवं 1 जनवरी 2012 को नौ[3] नये जिले बनाये गये। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्गठन तिथि से पूर्व संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पतियों एवं दायित्वों का बटवारा एवं अन्य वित्तीय समायोजन किये गये थे।

छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। राज्य के 1,37,898 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल की जनसंख्या 2.55 करोड़ है। राष्ट्रीय जनसंख्या औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की तुलना में राज्य का धनत्व कम है जो कि 189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। छत्तीसगढ़ में गरीबी का स्तर 48.7 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 27.5 प्रतिशत की तुलना में अधिक है जैसा कि ***परिशिष्ट-1.1*** में दर्शाया गया है। राज्य में बाल मृत्यु दर 51 (प्रति 1000 जीवित जन्म) जो की राष्ट्रीय औसत 47 से अधिक थी। राज्य की साक्षरता दर 71.04 प्रतिशत (पुरूष साक्षरता दर 81.05 एवं महिला साक्षरता दर 60.6 प्रतिशत) थी जो कि राष्ट्रीय औसत 74 प्रतिशत (पुरूष साक्षरता दर 82.14 एवं महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत) से कम थी।

1.2 प्रस्तावना

राज्य शासन के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे सम्मिलित है । छत्तीसगढ़ शासन के वित्तीय लेखे 19 विवरणियों में प्रस्तुत किये गये है। इसका खाका एवं बनावट ***परिशिष्ट-1.1(अ)*** में चित्रित किया गया है।

यह अध्याय राज्य शासन के वर्ष 2011-12 के दौरान वित्त के एक विस्तृत परिपेक्ष्य को प्रस्तुत करता है एवं विगत पाँच वर्षों के दौरान समस्त प्रवृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए गत वर्ष से संबंधित वृहद् राजकोषीय समूह में हुए नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह विश्लेषण वित्त लेखे एवं राज्य शासन से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित है । इस अध्याय के ***परिशिष्ट-1.2*** में राज्य के राजकोषीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई विधि की रूप रेखा संक्षेप में दी गई है एवं ***परिशिष्ट-1.3*** राज्य शासन के 2007-12 तक की अवधि के वित्त से संबंधित समय श्रृंखला आंकड़े पर महत्वपूर्ण मानकों/अस्थिरांक एवं राजकोषीय अनुपातों को प्रस्तुत करता है ।

1 बस्तर, बिलासपुर, दन्तेवाडा, घमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, जशपुर, कांकेर, कर्वधा, कोरबा, कोरिया, महासमुन्द, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगाँव, एवं सरगुजा।

2 बीजापुर एवं नारायणपुर

3 बालोद, बलौदा बाजार, बलरामपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, कोंड़ागांव, मुंगेली, सुक्मा एवं सूरजपुर।

1.2.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेनदेनों का सारांश

तालिका-1.1 गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेनदेनों का सांराश प्रस्तुत करती है जबकि ***परिशिष्ट-1.4*** प्राप्तियों एवं भुगतानों एवं कुल मिलाकर चालू वर्ष की राजकोषीय स्थिति प्रस्तुत करती है।

तालिका: 1.1 चालू वर्ष के लिए राजकोषीय प्रवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2010-11	2011-12		2010-11	2011-12		
अनुभाग अः राजस्व	**योग**	**योग**	**अनुभाग अः राजस्व**	**योग**	**आयोजनेत्तर**	**आयोजना**	*योग*
राजस्व प्राप्तियाँ	22,719.54	25,867.38	राजस्व व्यय	19,355.75	12,623.64	10,004.41	22,628.05
कर राजस्व	9,005.14	10,712.25	सामान्य सेवायें	5,247.06	5,829.43	74.74	5,904.17
कर भिन्न राजस्व	3,835.32	4,058.48	सामाजिक सेवायें	8,309.72	3,380.89	7,095.96	10,476.85
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	5,425.19	6,320.44	आर्थिक सेवायें	5,091.42	2,726.64	2,833.71	5,560.35
भारत सरकार से अनुदान	4,453.89	4,776.21	**सहायता न/ अंशदान**	707.55	686.68	-	686.68
अनुभाग बः पूँजीगत			*अनुभाग बः पूँजीगत*				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	2.56	3.93	पूँजीगत व्यय	2,951.51	0.75	4,055.65	4,056.40
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	561.16	1,282.53	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	566.55	10.01	1,258.73	1,268.74
अंतर्राज्यीय समायोजन	2.65	2.21	अंतर्राज्यीय समायोजन	2.34	-	-	4.03
लोक ऋण प्राप्तियाँ *	795.19	421.34	लोक ऋण की अदायगी *	690.86	-	-	852.49
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	आकस्मिकता निधि	0	-	-	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,523.97	34,161.23	लोक लेखा संवितरण	26,895.50	-	-	32,940.27
प्रारंभिक नगदी शेष	1,569.66	2,712.22	अंतिम नगदी शेष	2,712.22	-	-	2,700.86
योग	**53,174.73**	**64,450.84**	**योग**	**53,174.73**			**64,450.84**

(स्त्रोतः राज्य शासन के 2011-12 के वित्त लेखे)

* *अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्षण को छोड़कर निबल लेनदेन।*

गत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान निम्नलिखित उल्लेखनीय परिवर्तन हुए -

- वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत (₹ 3,148 करोड़) की वृद्धि में मुख्यतः स्वंय के कर राजस्व में 19 प्रतिशत (₹ 1,707 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। जिसमें वर्ष के दौरान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर भिलाई इस्पात संयंत्र से करों एवं बिक्री कर जमा की बकाया राशि ₹ 1,165 करोड़ (68 प्रतिशत)की वसूली शामिल है । कर भिन्न राजस्व छः प्रतिशत (₹ 223 करोड़), संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा 17 प्रतिशत (₹ 895 करोड़) एवं भारत सरकार (जी ओ ओई) से सहायता अनुदान सात प्रतिशत (₹ 322 करोड़) शामिल है।
- वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत (₹ 3,272 करोड़) की वृद्धि , योजना व्यय में 24 प्रतिशत (₹ 1,935 करोड़) एवं आयोजन्नेत्तर व्यय में 12 प्रतिशत

(₹ 1,337 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई। वर्ष के दौरान शासन द्वारा सामाजिक अनुभाग को प्राथमिकता देने से राजस्व व्यय के अन्तर्गत सामाजिक अनुभाग पर ₹ 2,167 करोड़ (26 प्रतिशत) की तीव्र वृद्धि हुई ।

- वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय में 37 प्रतिशत (₹ 1,105 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः पावर प्रोजेक्टों, लघु सिंचाई एवं शहरी विकास के शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। तथापि, पूंजीगत व्यय 2011-12 के लिए राज्य शासन द्वारा घोषित अपने राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 (एफ आर बी एम अधिनियम) में किये गये आंकलन से ₹ 2,196 करोड़[4] (35 प्रतिशत) कम था। एफ आर बी एम अधिनियम के अन्तर्गत नियत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शासन को पहल करने की आवश्यकता है।
- चालू वर्ष के दौरान ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली एवं वितरण प्रमात्रा में क्रमशः ₹ 721 करोड़ (129 प्रतिशत) एवं ₹ 702 करोड़ (124 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- 2011-12 के दौरान लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 374 करोड (47 प्रतिशत) की कमी एवं लोक ऋण पुनर्भुगतान में ₹ 162 करोड (23 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में कमी मुख्यतः भारत सरकार से लिए गये ऋणों एवं शासकीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों के माध्यम से कम उधारियों के कारण हुई ।
- वर्ष के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं भुगतानों में क्रमशः ₹ 6,637 करोड़ (24 प्रतिशत) एवं ₹ 6,045 करोड़ (22 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
- वर्ष 2011-12 के अन्त में नगदी शेष में ₹ 11 करोड़[5] की कमी हुई।

1.2.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व अधिनियम 2005 शीर्षक से एक राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय स्थिरता, राजस्व घाटे के क्रमिक समापन, राजकोषीय स्थिरता से संगत टिकाऊ /स्थिर ऋण प्रबंधन, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में उच्चतर पारदर्शिता एवं राजकोषीय नीति के संचालन में एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढांचा, सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया। एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधान मंडल के समक्ष राज्य शासन को वार्षिक वित्तीय विवरणी तथा अनुदानों के लिए मांग के साथ साथ राजकोषीय नीति के रूप में वार्षिक प्रकाशन को तीन[6] विवरणियों में प्रस्तुत करना होता है।

इसके उपरांत तेरहवें वित्त आयोग (टी एच एफ सी) ने एक राजकोषीय एकीकरण मानचित्र निर्धारित किया है जिसके अनुसार राज्य को वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने एवं 2013-14 तक राजकोषीय घाटे को जी एस डी पी के तीन प्रतिशत तक लाने की आवश्यकता है। राजकोषीय सुधार के लिए राज्य को अपने एफ

4 एफ आर बी एम द्वारा प्रकरीकृत पूंजीगत व्यय ₹ 6,252.11 में वास्तविक पूंजीगत व्यय ₹ 4,056.40 घटाने पर 2,195.71 अर्थात् ₹ 2,196 करोड़

5 प्रारम्भिक नगदी शेष ₹ 2,712.22 में अन्तिम नगदी शेष ₹ 2700.86 घटाने पर = ₹ 11.36 करोड़

6 (अ) वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (ब) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण एवं (स) राजकोषीय रचना कौशल विवरण

आर बी एम अधिनियम को भी संशोधित करने की आवश्यकता थी। तद्नुसार राज्य शासन ने 28 सितम्बर 2011 को छत्तीसगढ़ राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधित) अधिनियम, 2011 पारित किया।

उपरोक्त अधिनियम के तहत् राज्य शासन

- वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष, राजस्व घाटा शून्य बनाए रखेगा,
- वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक प्रत्येक वर्ष, वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का तीन प्रतिशत तक बनाए रखेगा,
- कुल बकाया कर्जो को जी एस डी पी के नियत प्रतिशत तक (22.50 प्रतिशत (2011-12), 23 प्रतिशत (2012-13), 23.5 प्रतिशत (2013-14) एवं 23.90 प्रतिशत (2014-15) बनाए रखेगा,
- वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ किसी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त कुल दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के पाँच प्रतिशत से अधिक नही अपनाएं जावेंगे ।

वर्ष 2011-12 के लिए तेरहवें वित्त आयोग (टी एच एफ सी) एफ आर बी एम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं एफ आर बी एम प्रकटीकरण में दर्शाये लक्ष्यों के विरूद्ध राज्य के राजकोषीय निष्पादन नीचे **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2 निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध राज्य की राजकोषीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय प्रकटीकरण	टी एच एफ सी लक्ष्य	एफ आर वी एम अधिनियम	एफ आर बी एम प्रकटीकरण	वास्तविक
स्वंय कर राजस्व	10,062.56	-	9,830.45	10,712.25
कर भिन्न राजस्व	2,516.25	-	4,310.87	4,058.48
राजस्व आधिक्य	राजस्व घाटा शून्य रखना	राजस्व घाटा शून्य रखना	1,348.13	3,239.33
राजकोषीय घाटा	जी एस डी पी के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखना	जी एस डी पी के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखना	3,819.79	801.17
प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य (+)	—	—	(-) 2,516.45	(+) 392.03
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत के रूप में बकाया कर्ज	22.50 प्रतिशत	22.50 प्रतिशत	16.16 प्रतिशत	12.62 प्रतिशत

(स्त्रोत - वर्ष 2011-12 का एफ आर बी एम अधिनियम, तेरहवाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं वित्त लेखे 2011-12)

उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि राज्य के स्वंय के वास्तविक कर राजस्व प्राप्तियाँ एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियॉ, टी एच एफ सी द्वारा किये गये सामान्य अनुमान से क्रमशः ₹ 650 करोड़ (छः प्रतिशत) एवं ₹ 1,542.23 करोड़ (61 प्रतिशत) अधिक थे। कर राजस्व प्राप्तियाँ भी एफ आर बी एम प्रकटीकरण में निर्धारित लक्ष्य से नौ प्रतिशत अधिक थी। तथापि, स्वंय की कर भिन्न प्राप्तियाँ एफ आर बी एम प्रकटीकरण में किये गये प्रक्षेपणों से (छः प्रतिशत) कम थी।

यद्यपि राज्य ने राजस्व आधिक्य के लिए टी एच एफ सी एवं एफ.आर.बी.एम अधिनियम तथा प्रकटीकरण के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया,वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 17 प्रतिशत की वृद्धि के

कारण 2010-11 का राजस्व आधिक्य ₹ 3,364 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 3,239 करोड़ हो गया।

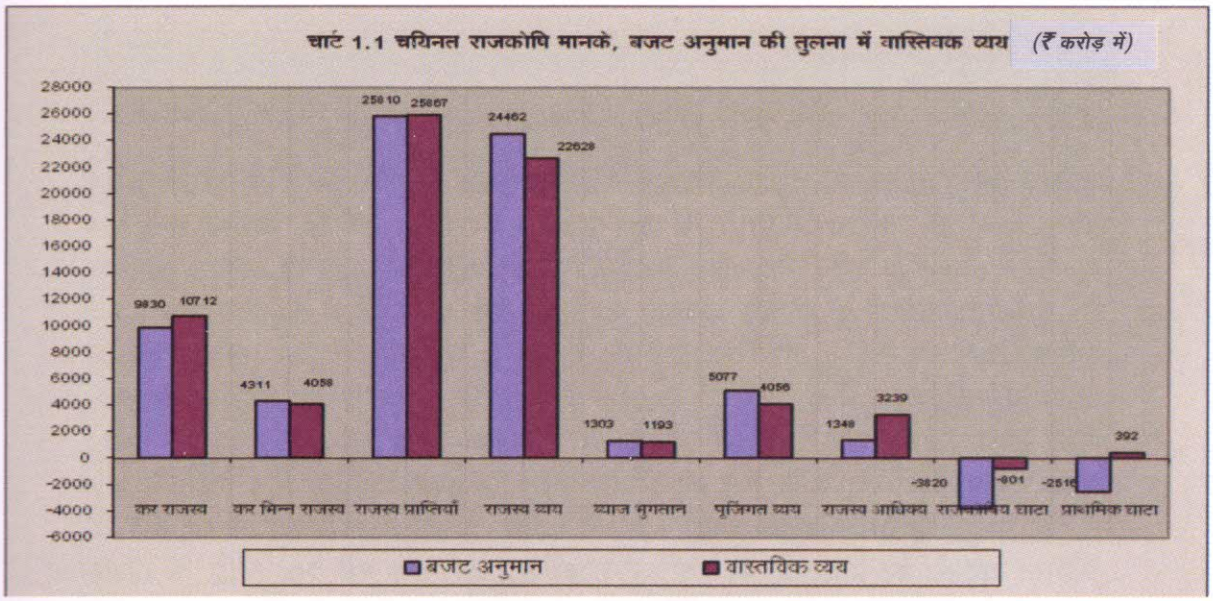
राजस्व आधिक्य में ₹ 124 करोड़ की कमी एवं गैर पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 722 करोड़, पूंजीगत व्यय ₹ 1,105 करोड़ तथा अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान ₹ 704 करोड़ की वृद्धि के परिणामतःवर्ष 2010-11 का राजकोषीय आधिक्य ₹ 410 करोड़ 2011-12 में राजकोषीय घाटा ₹ 801 करोड़ में परिवर्तित हो गया। तथापि एफ आर बी एम प्रकटीरण में प्रक्षेपित राजकोषीय घाटे से कम था।

वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय आधिक्य ₹ 410 करोड़ वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटा ₹ 801 करोड़ में परिवर्तित होने की वजह से 2010-11 का प्राथमिक आधिक्य ₹ 1,608 करोड़ से 76 प्रतिशत घटकर 2011-12 में ₹ 392 करोड़ हो गया, यद्यपि एफ आर बी एम प्रकटीकरण में प्राथमिक घाटा ₹ 2,516.45 करोड़ का प्रक्षेपण किया गया था।

बकाया ऋण जी एस डी पी का 12.62 प्रतिशत था जो कि टी एच एफ सी एवं एफ आर बी एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्रकटीकरण से कम था ।

1.2.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय

चार्ट- 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मानकों के लिए बजट अनुमान (बी.ई) एवं वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है। बजट अनुमानों के विरूद्ध वास्तविक व्यय का विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिया है।



(स्त्रोत - राज्य शासन के 2011-12 के वित्त लेखे एवं 2011-12 का राज्य बजट अनुमान)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि 2011-12 के दौरान विभिन्न मानकों की स्थिति में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी जैसे कि नीचे व्यक्त किया गया है-

1. मुख्यतः बी.ई. की तुलना में कर राजस्व ₹ 882 करोड़ (नौ प्रतिशत) की वृद्धि के परिणामतः बजट अनुमान में किये प्रक्षेपण की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियाँ

₹ 57 करोड़ से अधिक थी। तथापि कर भिन्न राजस्व बजट अनुमान से ₹ 253 करोड़ (छः प्रतिशत) कम हो गया।

2. बी.ई. की तुलना में राजस्व व्यय एंव पूंजीगत व्यय क्रमशः ₹ 1,834 करोड (सात प्रतिशत) एवं ₹ 1,021 करोड (20 प्रतिशत) कम था। अनुदान सहायता एवं अंशदान के अधीन ₹ 74 करोड़ का समायोजन करने के उपरान्त, सामाजिक सेवा के अधीन ₹ 1,383 करोड़, आर्थिक सेवाओं के अधीन ₹ 284 करोड़, एवं सामान्य सेवाओं के अधीन ₹ 241 करोड़ का कम व्यय होने के कारण राजस्व व्यय में भिन्नताएं थी।

3. मुख्यतः बी ई में किए गए प्रक्षेपण से राजस्व प्राप्तियों में ₹ 57 करोड़ की वृद्धि एवं बी.ई. में किये प्रक्षेपण से राजस्व व्यय में ₹ 1,834 करोड़ की कमी के कारण बी.ई. में किये प्रावधान से राजस्व आधिक्य ₹ 1,891 करोड़ से अधिक था।

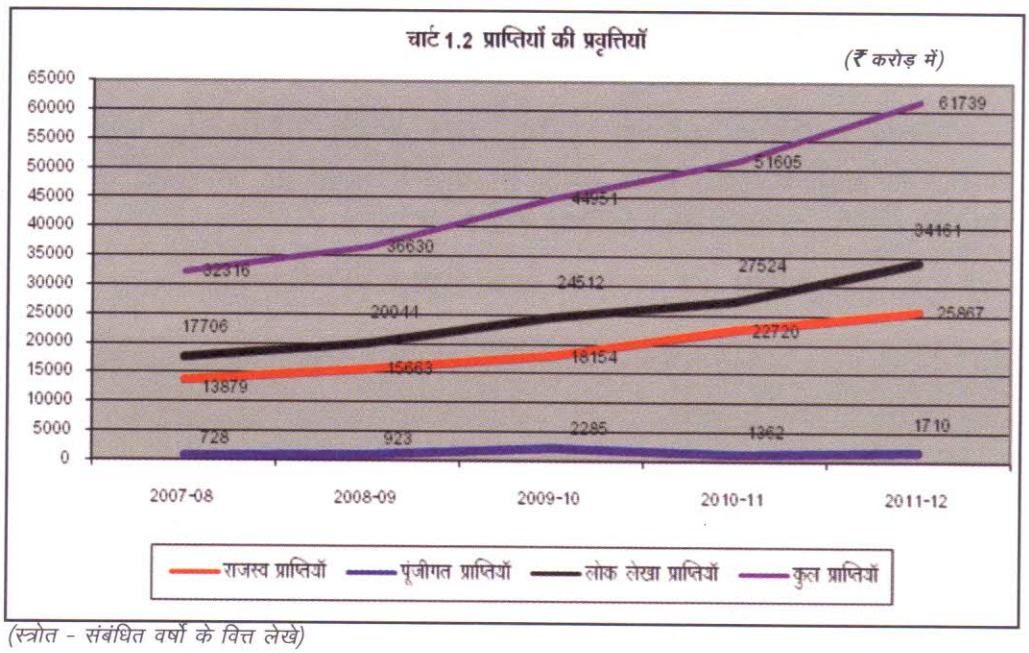
4. मुख्यतः बी.ई. में किए गए प्रावधान से राजस्व आधिक्य में ₹ 1,891 करोड़ की वृद्धि होने के कारण राजकोषीय घाटा ₹ 3,019 करोड़ बजट आकलन से (₹ 3,820 करोड़) कम था।

5. बी.ई. में किये आंकलन की तुलना में राजकोषीय घाटे एवं ब्याज भुगतान में कमी के कारण जैसा कि बजट अनुमान में प्राथमिक घाटा ₹ 2,516 करोड़ दर्शाया गया था, प्राथमिक आधिक्य ₹ 392 करोड़ में परिवर्तित हो गया।

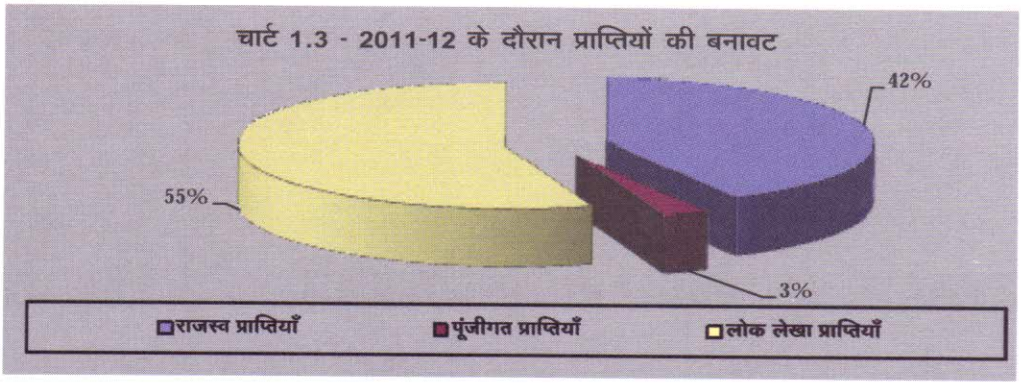
1.3 राज्य के संसाधन

1.3.1 वार्षिक लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व एवं पूंजीगत, प्राप्तियों के दो प्रवाह है जो मिलकर राज्य शासन के संसाधन की रचना करते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार (जी.ओ.आई.) से सहायता अनुदान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्तियाँ ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंको आदि से उधार) जी.ओ.आई. से ऋणों एवं अग्रिमों के साथ साथ लोक लेखों से प्राप्तियाँ भी शामिल है। **तालिका- 1.1** वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, को प्रस्तुत करता है जबकि **चार्ट- 1.2** वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटको की प्रवृत्तियों को चित्रित करता है। **चार्ट-1.3** वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के संसाधनों की बनावट को चित्रित करता है।



(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्त्रोत - वित्त लेखे 2011-12)

वर्ष 2007-08 की कुल प्राप्तियाँ ₹ 32,316 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 61,739 करोड़ होने से वर्ष 2007-12 के दौरान कुल प्राप्तियों में 91 प्रतिशत (₹ 29,423 करोड़) की वृद्धि हुई जो लोक लेखा प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्रमशः ₹ 16,455 करोड़, ₹ 11,988 करोड़ एवं ₹ 982 करोड़ की वृद्धि हुई।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य की कुल प्राप्तियाँ ₹ 61,739 करोड़ थी। गत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान कुल प्राप्तियों में 20 प्रतिशत (₹ 10,134 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखा प्राप्तियों एवं पूंजीगत प्राप्तियों में क्रमशः 14 प्रतिशत (₹ 3,148 करोड़), 24 प्रतिशत(₹ 6,637 करोड़) एवं 26 प्रतिशत (₹ 348 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

1.3.2 तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अधीन प्राप्त अनुदानों का उपयोग (अनुदान संख्या-48)

राज्य शासन के विभिन्न अंगो को विकसित करने के लिए तेरहवां वित्त आयोग राज्य शासनों को अनुदानों की अनुशंसा करता है। अनुदान संख्या 48 के अधीन कुछ मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत वित्तीय स्थिति **तालिका-1.3** में दी गई है।

तालिका- 1.3 तेरहवें वित्त आयोग अनुदानों की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एव नामावली	बजट की राशि	स्थिति		
		समर्पण	बचत	कुल अप्रयुक्त राशि
2014-न्याय प्रशासन	48.74	24.37	24.37	48.74
2053-जिला प्रशासन	9.00	4.50	0.30	4.80
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	1.00	0.00	0.23	0.23
2055-पुलिस	1.27	0.00	0.89	0.89
2202-सामान्य शिक्षा	154.00	0.00	0.00	0.00
2205-कला एवं संस्कृति	4.00	4.00	0.00	4.00
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	43.89	7.21	0.04	7.25
3054-सड़क तथा सेतु	69.00	0.00	0.00	0.00
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	21.80	21.80	0.00	21.80
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	55.00	2.82	38.20	41.02
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय	7.25	7.25	0.00	7.25
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	16.46	0.00	7.07	7.07
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	62.50	0.00	2.63	2.63
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	137.50	0.00	137.50	137.50
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	37.50	0.00	0.06	0.06
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	12.25	0.00	3.07	3.07
योग	**681.16**	**71.95**	**214.36**	**286.31**

(स्त्रोत - वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2011-12 के अन्त में अनुदान संख्या-48 के अधीन कुल प्रावधानित बजट (₹ 681.16 करोड़) की राशि में से ₹ 286.31 करोड़ जो कि कुल राशि का 42 प्रतिशत थी या तो समर्पित (₹ 71.95 करोड़) या शासन लेखा से व्ययगत (₹ 214.36 करोड़) हुई।

हमने आगे देखा कि मुख्य शीर्षो 3454- जनगणना सर्वे एवं सांख्यिकी, 4202- शिक्षा पर पूंजीगत व्यय एवं 2205- कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत शत प्रतिशत समर्पण हुआ तथा मुख्य शीर्ष 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय के अधीन निधियाँ शासन लेखा से व्ययगत हुई। इसी तरह, मुख्य शीर्षो 2053- जिला प्रशासन एवं 2014- न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 50 प्रतिशत निधियाँ समर्पित की गई तथा मुख्य शीर्षो 2014- न्याय प्रशासन, 2055- पुलिस तथा 4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत 50 प्रतिशत तक की बचत हुई ।

इस प्रकार, टी एच एफ सी अनुशंसा के आधार पर प्रदाय निधियों का 42 प्रतिशत (₹ 286.31 करोड़) विहित उद्देश्यों के लिए शासन उपयोग नही कर सका।

1.3.3 निधियां राज्य के बजट के बाहर राज्य की क्रियान्वयन एजेन्सियों को अंतरित/स्थानातंरित

भारत सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक अनुभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों जिनकी संजीदा/नाजुक रूप से पहचान की गई है के क्रियान्वयन के लिए एक अधिक परिमाप में निधियाँ सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों[7] को अंतरित की जाती रही हैं। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषालयीन प्रक्रियां के माध्यम से नही भेजी जा रही हैं, अतः वार्षिक वित्त लेखों में इन निधियों के प्रवाह को उस सीमा तक नियंत्रित नही लिया जाता, राज्य की प्राप्तियों एवं व्यय के साथ ही साथ उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्तनीय मानकों को उस परिमाप में इन निधियों को लेखा में नही लिया गया।

भारत सरकार द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को निधियों का सीधा अंतरण निधियों के प्रभावी उपयोग की देखरेख तथा यथोचित नियंत्रण आवश्यक है, जिसका अभाव राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की राजकोषीय प्रक्रिया एवं जवाबदेही की आवश्यकता में बाधक है। राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को 2010-11 में भारत सरकार द्वारा सीधे अंतरित ₹ 4,379.95 करोड़[8] के विरूद्ध 2011-12 के दौरान राशि ₹ 4,989.89 करोड़ का अंतरण किया गया । निधियों के सीधे अंतरण में विगत वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रमुख राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को कुछ मुख्य कार्यक्रमों के संबंध में सीधे अंतरित निधियों की स्थिति **तालिका -1.4** में प्रस्तुत है।

तालिका-1.4 : राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे स्थानांतरित निधियाँ

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	कार्यक्रम का नाम	राज्य में क्रियान्वयन एजेंसी का नाम	भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई निधियां	
			2010-11	2011-12
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	1,685.04	1,638.56
2	सर्व शिक्षा अभियान	मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	878.63	698.70
3	प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास प्राधिकरण	678.58	801.51
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	मिशन संचालक,राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	205.87	363.21
5	इंदिरा आवास योजना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	132.80	258.32
6.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	122.01	139.06
7.	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	संचालक उद्यानिकी रायपुर	96.57	85.22
8	एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	73.72	91.00
9	आजिविका	जिला ग्रामीण विकास प्राधीकरण (DRDA)	80.23	66.18
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्था (SAMETI)	19.54	56.25
11	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)	मिशन संचालक, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन	15.25	344.70

(स्त्रोतः वित्त् लेखे 2011-12 परिशिष्ट- VII)

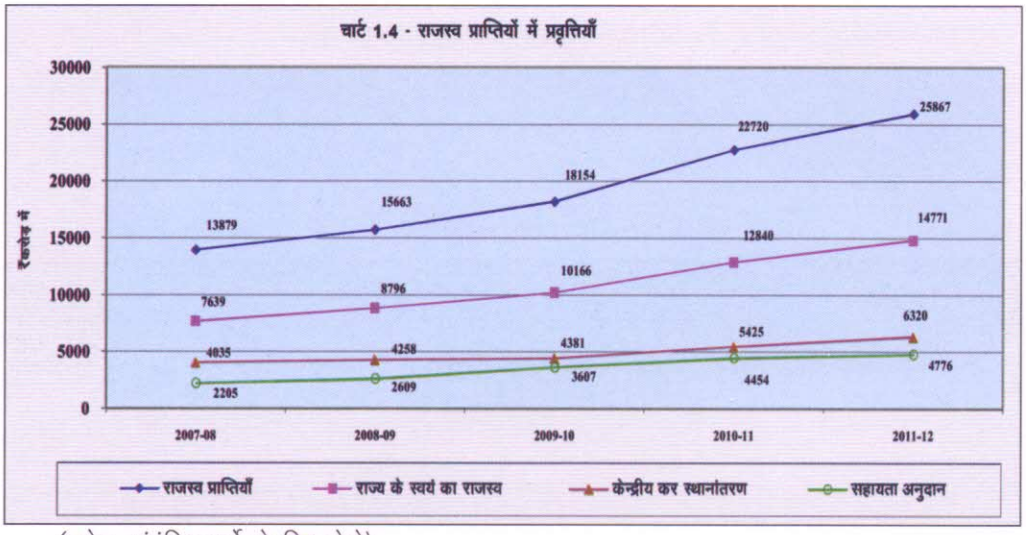
[7] राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों में ऐसा कोई भी संगठन/संस्थान जिसमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है, जो राज्य शासन द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकृत है जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए राज्य क्रियान्वयन समिति एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य स्वास्थ्य मिशन इत्यादि ।

[8] मार्च 2011 के अंत में जारी कुछ स्वीकृतियाँ वर्ष 2010-11 में शामिल नही करने के कारण 2010-11 के आंकड़ें ₹ 4,379.95 करोड़ में बदल गये जो बाद में शामिल किये जा सकते है।

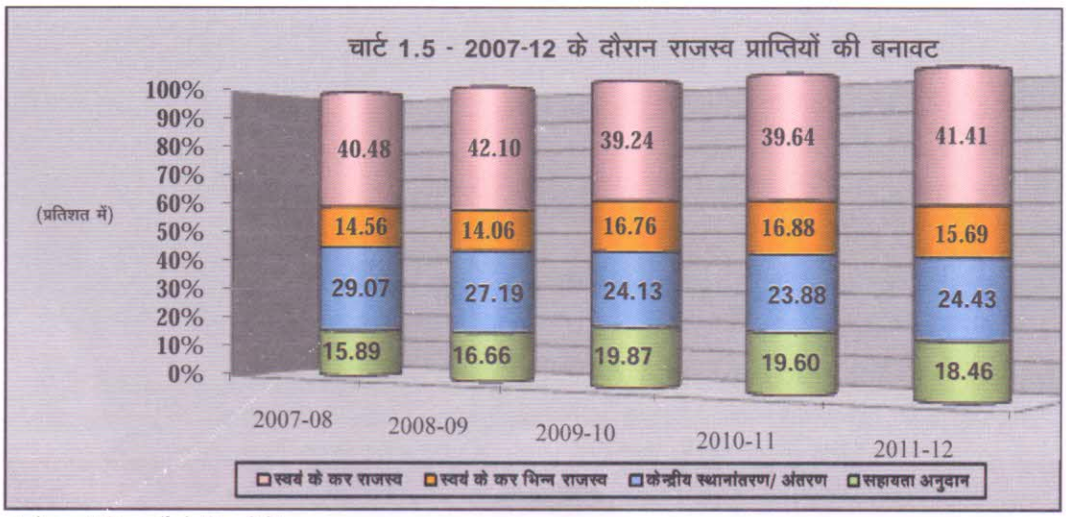
तालिका से यह देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए) के अधीन ₹ 329.45 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन ₹ 157.34 करोड़ (76 प्रतिशत) इदिरा आवास योजना के अधीन ₹ 125.52 करोड़ एवं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन ₹ 122.93 करोड़ (18 प्रतिशत) की पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसी तरह, विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में सर्व शिक्षा अभियान के अधीन ₹ 179.93 करोड़ (20 प्रतिशत) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन ₹ 46.48 करोड़ (तीन प्रतिशत) तक की कमी हुई।

1.4 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में सरकार के स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व, केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है । 2007-12 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियों को ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है एवं क्रमशः **चार्ट 1.4** एवं **चार्ट 1.5** में चित्रित किया गया है ।



(स्त्रोत- संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)



(स्त्रोत- संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्टो से स्पष्ट है कि 2007-08 की राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 13,879 करोड़ की तुलना में 2011-12 में ₹ 25,867 करोड़ निरंतर वृद्वि दर्शाता हैं। विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान 14 प्रतिशत (₹ 3,148 करोड़) की वृद्वि हुई। हालांकि 2011-12 का दौरान राजस्व प्राप्तियों में से 57 प्रतिशत राज्य के स्वंय के संसाधनों जिनमें कर एवं कर भिन्न राजस्व शामिल है, से प्राप्त हुए है, जबकि केन्द्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान दोनों को मिलाकर कुल राजस्व में अंशदान 43 प्रतिशत था । विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,148 करोड़ की बढ़ोतरी, कर राजस्व में 19 प्रतिशत (₹ 1,707 करोड़), कर भिन्न राजस्व में छः प्रतिशत (₹ 223 करोड़), भारत सरकार के संघीय करों एवं शुल्कों से राज्यांश में 17 प्रतिशत (₹ 895 करोड़), भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में सात प्रतिशत (₹ 322 करोड़) की वृद्वि के परिणामतः हुई ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियॉ **तालिका 1.5** में नीचे प्रस्तुत की गई हैः-

तालिकाः 1.5: सकल राज्य घरेलू उत्पाद[9] जी.एस.डी.पी.से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	**13,879**	**15,663**	**18,154**	**22,720**	**25,867**
राजस्व प्राप्तियों (आर.आर.) का विकास दर (प्रतिशत)	21.20	12.86	15.90	25.15	13.86
आर.आर./जी.एस.डी.पी.(प्रतिशत)	17.48	16.15	18.29	19.32	19.08
उत्प्लावकता अनुपात[10]					
जी.एस.डी.पी.के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.06	0.62	6.74	1.36	0.91
जी.एस.डी.पी.के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता	0.57	1.83	3.40	1.43	1.24
सकल राज्य धरेलू उत्पाद **(₹ करोड़ में)**	80,255.11	96,972.18	99,261.96	1,17,566.74	1,35,536.34
जी.एस.डी.पी. का विकास दर	20.01	20.83	2.36	18.44	15.28

(स्त्रोत - संबंधित वर्षो के वित्त लेखे एवं आर्थिक सर्वे 2011-12)

जी.एस.डी.पी. की संवृद्वि के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता एवं राज्य के स्वयं के कर की उत्प्लावकता एक अस्थिर प्रवृति की थी तथा 2007-12 के दौरान क्रमशः 0.62 से 6.74 एवं 0.57 से 3.40 प्रतिशत के बीच थी। तथापि, विगत वर्ष की विकास दर 18.96 प्रतिशत से भी राजस्व प्राप्तियों में 25.15 प्रतिशत की न्यूनतम विकास दर के कारण विगत वर्ष की तुलना में ये अनुपात कम हुआ है।

9 उत्प्लावकता आंकडों में परिवर्तन, जी एस डी पी आकड़ों में परिवर्तन के कारण हुआ है।

10 चल आधार में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में उत्प्लावकता अनुपात चल राजकोषीय अनुक्रियाशीलता के अंश या घट बढ़ (लोच) का संकेत देता है। उदाहरण के लिए 0.6 के स्तर पर राजस्व उत्प्लावकता से तात्पर्य है कि यदि जी.एस.डी.पी. में एक प्रतिशत वृद्वि होती है तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशत बिन्दु वृद्वि की ओर उन्मुख है ।

सहायता अनुदान

भारत सरकार से सहायता अनुदान 2010-11 के ₹ 4,454 करोड़ से ₹ 322 करोड़ (सात प्रतिशत) की वृद्वि के साथ 2011-12 में ₹ 4,776 करोड़, मुख्यतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओ में ₹ 414 करोड़ एवं आयोजनेत्तर अनुदानों में ₹ 147 करोड़ का अनुदान सहायता में वृद्वि के कारण हुआ। तथापि वर्ष के दौरान राज्य आयोजनागत योजनाओ के आयोजना अनुदानों की प्राप्ति ₹ 239 करोड़ से कम हुआ। ***(परिशिष्ट - 1.4)***

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण की मात्रा 2010-11 के ₹ 5,425 करोड़ में 17 प्रतिशत की वृद्वि से 2011-12 में ₹ 6,320 करोड़ हो गया । यह वृद्वि मुख्यतः कंपनी कर ₹ 367 करोड़ (17 प्रतिशत), सेवाकर ₹ 213 करोड़ (39 प्रतिशत), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ₹ 147 करोड़ (15 प्रतिशत) एवं कंपनी कर के अलावा आय पर करों ₹ 143 करोड़ (13 प्रतिशत) की वृद्वि के कारण हुई ।

1.4.1 राज्य के स्वयं के स्त्रोत

केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं सहायता अनुदान का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं, केन्द्रीय कर प्राप्तियों का संग्रहण एवं आयोजनागत योजनाओं आदि के लिए केन्द्रीय सहायता पर आधारित होता है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने में राज्य की निष्पादन क्षमता का आकंलन उसके स्वयं के स्त्रोतों से किया जाना चाहिए जिसमें स्वयं के कर एवं कर भिन्न राजस्व स्त्रोत शामिल हैं ।

टी.एच.एफ.सी. द्वारा किए गए आंकलन एवं राज्य शासन के अपने बजट अनुमान के विरूद्व राज्य के कर एवं कर भिन्न राजस्व के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ नीचे **तालिका-1.6** में 2007-12 के दौरान कर/कर भिन्न राजस्व की विकास दर नीचे **तालिका-1.7** में दी गई है।

तालिका- 1.6 - 2011-12 के दौरान कर एवं कर भिन्न राजस्व के विरूद्व टी एच एफ सी एवं बजट अनुमानों का निर्धारण

(₹ करोड़ में)

	टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये अकिंलन	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
राज्य का कर राजस्व	10,063	9,830	10,712
राज्य का कर भिन्न राजस्व	2,516	4,311	4,058

(स्त्रोतः वित्त् लेखे 2011-12)

तालिका 1.7 कर/कर भिन्न राजस्व की 2007-12 के मध्य विकास दर

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कर राजस्व	5,618	6,594	7,123	9,005	10,712
विकास दर (प्रतिशत)	11.34	17.37	8.03	26.42	18.96
कर भिन्न राजस्व	2,021	2,202	3,043	3,835	4,058
विकास दर (प्रतिशत्)	39.28	8.96	38.19	26.03	5.81

(स्त्रोत - संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

कर राजस्व

विगत वर्ष कर राजस्व (₹ 9,005 करोड़) की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान (₹ 10,712 करोड़) 19 प्रतिशत (₹ 1,707 करोड़) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः विक्रय एवं

व्यापार आदि (₹ 1,165 करोड़), तथा सामग्री एवं यात्रियों (₹ 151 करोड़) विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 135 करोड़) पर कर में वृद्वि के कारण है।

वर्ष 2007-12 के दौरान कर राजस्व की विकास दर एक प्रवृत्ति अस्थिर की थी एवं जो आठ प्रतिशत तथा 26 प्रतिशत के मध्य रही । तथापि, विगत वर्ष की तुलना में विकास दर कम हुई। चालू वर्ष के दौरान राज्य का कर राजस्व (₹ 10,712 करोड़) तेरहवें वित्त आयोग के प्रक्षेपण (₹ 10,063 करोड़) एवं बजट अनुमानों (₹ 9,830 करोड़) में किए सामान्य अनुमान से क्रमशः ₹ 649 करोड़ एवं ₹ 882 करोड़ अधिक था ।

वर्ष 2007-12 की अवधि के दौरान कर राजस्व के अनुभागवार घटको को **तालिका-1.8** में दर्शाया गया है ।

तालिकाः 1.8 अनुभागवार कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
विक्रय, व्यापार आदि पर कर /वेट	3,024	3,611	3,712	4,841	6,006
राज्य आबकारी	843	964	1,188	1,506	1,597
वाहन पर कर	277	314	352	428	502
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	463	496	583	786	846
भूमि राजस्व	88	359	160	247	271
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	511	421	696	675	826
अन्य कर	412	429	432	522	664
योग	**5,618**	**6,594**	**7,123**	**9,005**	**10,712**
विकास दर (प्रतिशत में)	**11.34**	**17.37**	**8.03**	**26.42**	**18.96**

(स्त्रोतः- संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

कर भिन्न राजस्व

विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान कर भिन्न राजस्व में छः प्रतिशत (₹ 223 करोड़) की बढ़ोतरी मुख्यतः अलोह खनन एवं घातुकर्म उद्योगों (₹ 274 करोड़), वृहद् सिंचाई परियोजनाओं (₹ 108 करोड़) तथा ब्याज प्राप्तियों (₹ 46 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2007-12 के दौरान कर भिन्न राजस्व विकास दर एक अस्थिर प्रवृति की थी एवं नौ तथा 39 प्रतिशत के बीच थी। तथापि, कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों की विकास दर 2011-12 में (18.96 प्रतिशत) है जो विगत वर्ष (26.42 प्रतिशत) की तुलना में कम है। 2011-12 में कर भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये सामान्य आंकलन से 61 प्रतिशत अधिक था लेकिन राज्य शासन द्वारा किये गये अपने बजट अनुमान से ₹ 253 करोड़ (छः प्रतिशत) कम हुआ।

1.4.2 संग्रहण पर व्यय

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किये व्यय तथा ऐसे सकल संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता संबंधित विगत वर्षो में संबंधित व्यय के संग्रहण पर भारत की औसत प्रतिशतता के साथ नीचे **तालिका 1.9** में उल्लेखित है।

तालिका- 1.9 शुल्कों एवं करों के संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व का शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण व्यय की प्रतिशतता	भारत की विगत वर्षों की औसत प्रतिशतता
विक्रय, व्यापार आदि पर कर/वेट	2009-10	3,712.16	25.71	0.69	0.88
	2010-11	4,840.79	29.99	0.62	0.96
	2011-12	6,006.25	40.63	0.68	0.75
वाहन पर कर	2009-10	351.00	10.00	2.85	2.93
	2010-11	427.52	7.93	1.85	3.07
	2011-12	502.19	10.00	1.99	3.71
राज्य आबकारी	2009-10	1,187.72	35.35	2.98	3.66
	2010-11	1,506.44	40.68	2.70	3.64
	2011-12	1,596.97	52.06	3.26	3.05
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2009-10	583.13	14.94	2.56	2.77
	2010-11	785.85	18.52	2.36	2.47
	2011-12	845.82	20.75	2.45	1.60

(स्त्रोत - महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा खंड द्वारा प्रस्तुत सूचना)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2011-12 के दौरान राज्य में मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क संग्रहण के संबंध में लागत प्रतिशतता भारत के औसत संग्रहण लागत से अधिक थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन को संग्रहण की अधिक लागत का विशलेषण करना एवं इस संबंध में यथोचित उपाय करना चाहिये।

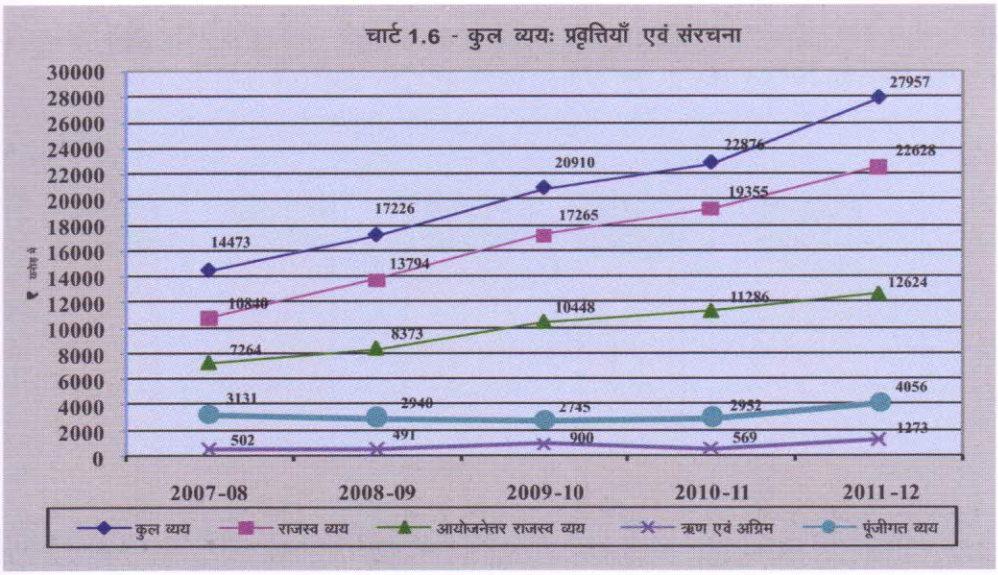
1.5 संसाधनो का उपयोग

चूंकि राज्य शासन को व्यय करने का महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के बटवारे के विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय दायित्व संबंधी विधान के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण कर लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाईयाँ हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर आविरत राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण प्रक्रिया, विशेषकर विकास एवं सामाजिक सेवा उन्मुख व्यय की कीमत पर लागू नहीं किया गया।

1.5.1 विकास एवं व्यय की संरचना

चार्ट -1.6 विगत पाँच वर्षों (2007-12) की अवधि में किये गये कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.6 - कुल व्ययः प्रवृत्तियाँ एवं संरचना



(स्त्रोतः- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, 2007-08 के ₹ 14,473 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 27,957 करोड़ हो गया। विगत वर्ष कि तुलना में 2011-12 में कुल व्यय में ₹ 5081 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः राजस्व व्यय में ₹ 3,272 करोड़ (17 प्रतिशत), पूंजीगत व्यय में ₹ 1,105 करोड़ (37 प्रतिशत) एवं अन्तर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 704 करोड़ (124 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई है। 2007-12 के दौरान कुल व्यय की विकास दर नौ एवं 23 प्रतिशत के बीच में रही। कुल व्यय की विकास दर भी 2010-11 की नौ प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 22 प्रतिशत हो गई। विगत वर्ष के दौरान जी.एस.डी.पी. के 19 प्रतिशत कुल व्यय की तुलना में 2011-12 के दौरान 21 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना का विवरण नीचे **तालिका-1.10** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.10 कुल व्यय एवं इसकी संरचना

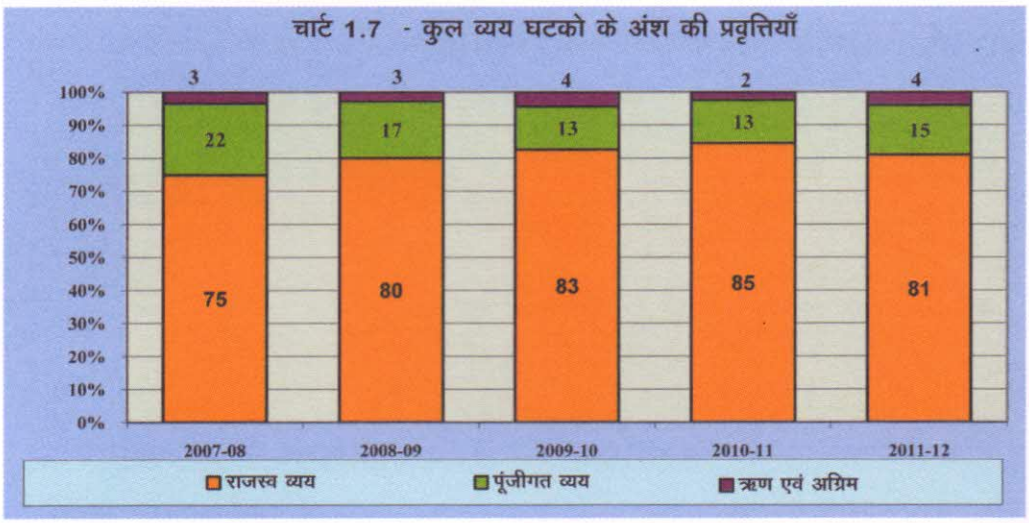
(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल व्यय	14,473	17,226	20,910	22,876	27,957
विकास दर	22.93	19.02	21.39	9.40	22.21
राजस्व व्यय (कुल व्यय से प्रतिशतता)	10,840 (75)	13,794 (80)	17,265 (83)	19,356 (85)	22,628 (81)
जिसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय	7,264	8,373	10,448	11,287	12,624
पूंजीगत व्यय (कुल व्यय से प्रतिशतता)	3,131 (22)	2,940 (17)	2,745 (13)	2,952 (13)	4,056 (15)
ऋण एवं अग्रिम* (कुल व्यय से प्रतिशतता)	502 (04)	492 (03)	900 (04)	569 (02)	1273 (04)

**अन्तर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।*

(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट - 1.7 वर्ष 2007-12 की विगत अवधि तक आर्थिक वर्गीकरण की दृष्टि से कुल व्यय की संरचना चित्रित करता है।



(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसी के परिणाम से राज्य की बुनियादि सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की बढोत्तरी नही करता है।

कुल व्यय का राजस्व व्यय 81 प्रतिशत था, जिसका 56 प्रतिशत आयोजनेत्तर राजस्व व्यय एवं 44 प्रतिशत आयोजना व्यय ***(परिशिष्ट-1.3)*** इंगित करता है कि आधे से अधिक राजस्व व्यय आयोजनेत्तर व्यय पर किया गया था।

आयोजनागत राजस्व व्यय

आयोजना राजस्व व्यय का हिस्सा जो समान्यतः सेवाओं के रख रखाव की पूर्ति करता है, कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2007-08 के 33 से बढ़कर 2011-12 में 44 हो गया। वर्ष 2010-11 के सापेक्ष में 2011-12 के दौरान आयोजनागत राजस्व व्यय में ₹ 1,935 करोड़ (24 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतःशिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 722 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 324 करोड़), ग्रामीण विकास कार्यक्रम (₹ 230 करोड़),अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडी जाति (₹ 192 करोड़), जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास कार्यक्रम (₹ 187 करोड़) एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹ 158 करोड़) की वृद्धि के अन्तर्गत हुई। तथापि, आयोजनागत राजस्व व्यय (₹ 10,004 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 11,182 करोड़) से ₹ 1,178 करोड़ (11 प्रतिशत) कम हुआ ***(परिशिष्ट 1.7)***।

आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (एन पी आर ई) में ₹ 1,337 करोड़ (12 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं (₹ 405 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषण (₹ 264 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 240 करोड़), राजकोषीय सेवाएं

(₹ 138 करोड़), परिवहन (₹ 130 करोड़) एवं शिक्षा, खेल,कला एवं संस्कृति (₹ 105 करोड़) के अन्तर्गत व्यय वृद्धि के कारण हुई।

आयोजनेत्तर व्यय (₹ 12,624 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 13,280 करोड़) के सामान्य प्रक्षेपण से पाँच प्रतिशत (₹ 656 करोड़) कम था। तथापि, कुल राजस्व व्यय में एन.पी.आर.ई. का हिस्सा 2007-08 के 67 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 56 प्रतिशत रह गया।

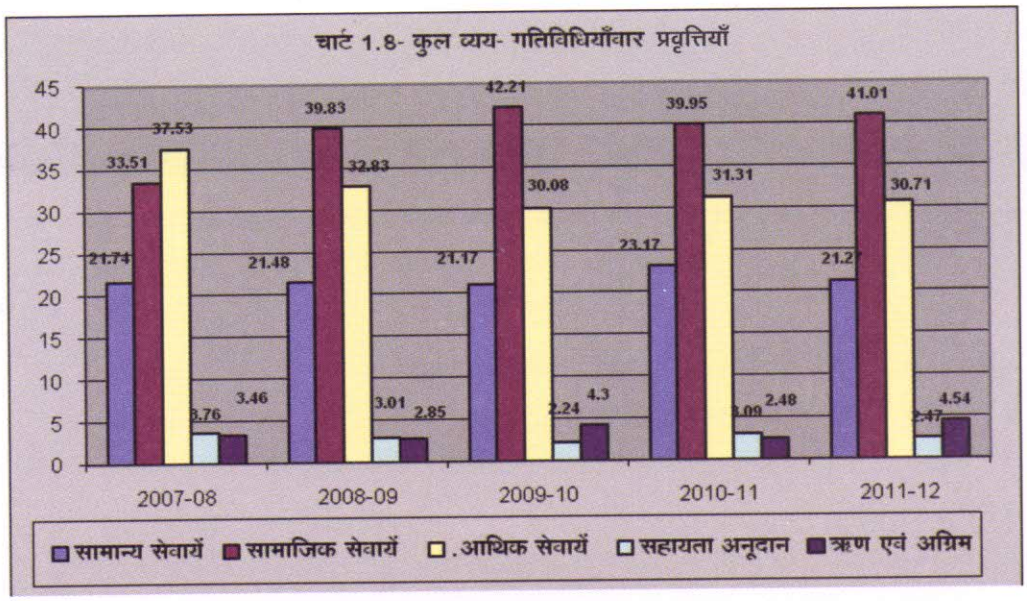
पूंजीगत व्यय

- विगत वर्ष के पूंजीगत व्यय के तुलना में 37 प्रतिशत (₹ 1,105 करोड़) की वृद्धि मुख्यतः ऊर्जा परियोजनाओं (₹ 900 करोड़), लघु सिंचाई (₹ 242 करोड़) तथा शहरी विकास कार्यक्रमो (₹ 241 करोड़) के शीर्षों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुई।
- पूंजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम, कुल व्यय का क्रमशः 15 प्रतिशत एवं चार प्रतिशत था।

वर्ष 2010-11 में ऋण अग्रिमों के साथ अतंर्राज्यीय समाशोधन में कुल व्यय का हिस्सा दो प्रतिशत था जो वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि के कारण बढ़कर चार प्रतिशत हो गया।

गतिविधियों की दृष्टि से कुल व्यय की प्रवृतियाँ

गतिविधियों की दृष्टि से कुल व्यय (ब्याज भुगतान सहित) सामान्य सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान एवं ऋणों एवं अग्रिमों के व्यय से संगठित मान्य किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों का सापेक्ष हिस्सा **चार्ट 1.8** में दिया गया है।



(स्त्रोत - संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

वर्ष 2007-12 के दौरान गतिविधियों के अनुसार व्यय इसी के संघटन में आंतरिक अन्तर को दर्शाता है। वर्ष 2007-12 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं की सीमा 21.17 से 23.17 प्रतिशत के मध्य, सामाजिक सेवाओं की सीमा 33.51 से 42.21 प्रतिशत के मध्य एवं आर्थिक सेवाओं की सीमा 30.08 से 37.53 प्रतिशत के मध्य रहा। तथापि वर्ष 2011-12 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमशः 23.17 से घटकर 21.27 प्रतिशत एवं 31.31 से घटकर 30.71 प्रतिशत हो गया, जबकि सामाजिक सेवा पर व्यय 39.95 से बढ़कर 41.01 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2007-12 के दौरान कुल व्यय में सहायता अनुदान एवं ऋण एवं अग्रिमों के हिस्से क्रमशः 2.24 से 3.76 प्रतिशत तथा 2.48 से 4.54 प्रतिशत के मध्य रहे।

1.5.2 वेतन एवं मजदूरी, पेंशन तथा सब्सिडी पर व्यय

राज्य शासन के राजस्व व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित है।

वर्ष 2007-12 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियाँ **तालिका-1.11** एवं , में प्रस्तुत है।

तालिका-1.11: वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	2,965.01 (21.36)	3,670.34 (23.43)	5,646.29 (31.10)	6,362.92 (28.01)	8371.02	7382.61[11] (28.54)
आयोजनेत्तर शीर्ष	2,307.68	2,772.46	4,016.30	4,338.28	एन.ए	4893.18
आयोजना शीर्ष**	657.33	897.88	1,629.99	2,024.64	एन.ए	2489.43
अनुदान से वेतन	एन.ए	115.60 (0.74)	133.71 (0.74)	708.33 (3.12)	एन.ए	897.27 (3.47)
ब्याज भुगतान	1,140 (8.21)	1,077.53 (6.88)	1,094.86 (6.03)	1,198.38 (5.27)	1303.34	1193.20 (4.61)
पेंशन पर व्यय	684.58 (4.93)	930.77 (5.94)	1,233.76 (6.80)	1,810.33 (7.97)	1621.90	1877.87 (7.26)
सब्सिडी	802.55 (5.78)	1,314.68 (8.39)	1,994.30 (10.99)	1,763.83 (7.76)	1826.26	1870.93 (7.23)
कुल व्यय	5,592.14	7,108.92	10,102.92	11,843.79		13221.88

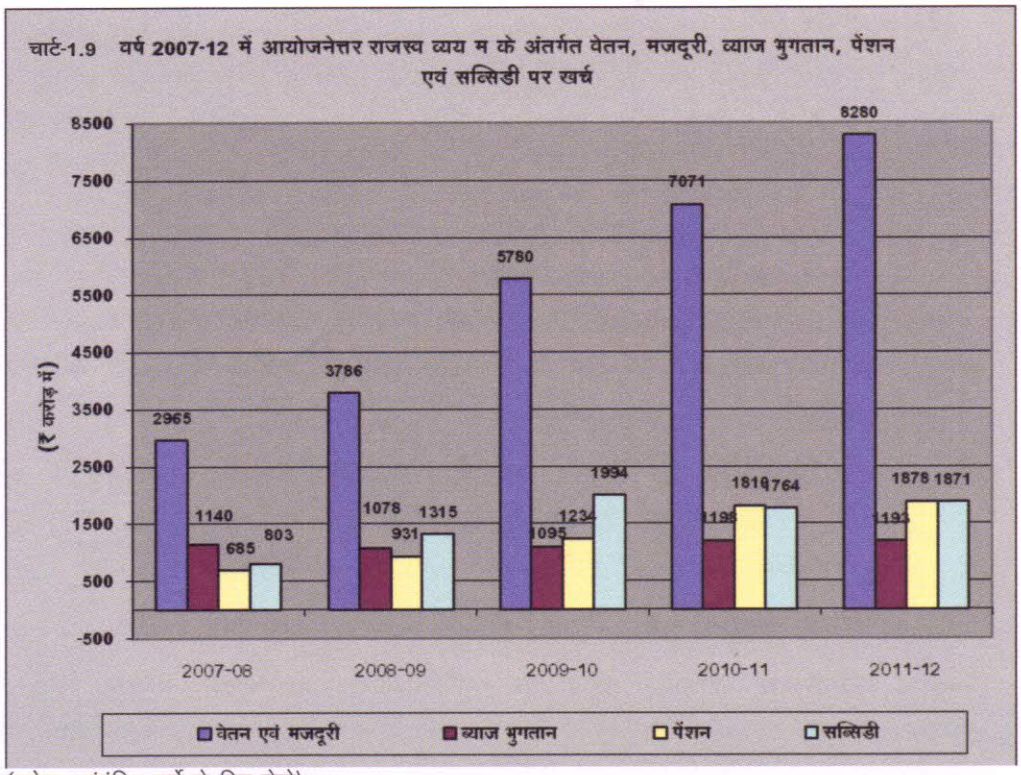
कोष्ठक में दिये गये आँकड़े राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत दर्शाते हैं

**केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अधीन शीर्ष में वेतन एवं मजदूरी भुगतान शामिल है। एन ए - उपलब्ध नहीं

(स्त्रोतः राज्य शासन के संबंधित वर्षो के वित्त लेखे 2011-12)

[11] इस में ₹ 6,976.48 करोड़ वेतन तथा ₹ 406.13 करोड़ मजदूरी शामिल है।

चार्ट-1.9 वर्ष 2007-12 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय म के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, व्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर खर्च



(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अवधि 2007-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर कुल व्यय ₹ 7,630 करोड़ से बढ़ गया जो राजस्व व्यय का 58 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 51 प्रतिशत है।

घटकवार विश्लेषण नीचे दिया गया है।

(1) वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान ₹ 1,019.69 करोड़ (16 प्रतिशत) से बढ़ गया एवं वर्ष 2010-11 की तुलना में 2011-12 के दौरान सहायता अनुदान (जी आई ए)[12] के माध्यम से वेतन भुगतान में ₹ 188.94 करोड़ (26.67 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी व्यय राज्य शासन के बजट अनुमान (₹ 8,371 करोड़) में किये गये आंकलन से 12 प्रतिशत (₹ 988 करोड़) कम हुआ।
- वर्ष 2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय (₹ 7,280 करोड़) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में प्रकटन किये प्रावधान (₹ 5,844 करोड़) से 25 प्रतिशत (₹ 1,436 करोड़) अधिक हुआ।

[12] शिक्षा, खेलकूद,कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

(2) पेंशन व्यय

पेंशन पर व्यय 2010-11 के ₹ 1,810 करोड़ से तीन प्रतिशत (₹ 68 करोड़) बढ़कर 2011-12 में ₹ 1,878 करोड़ हो गया। वृद्धि मुख्यतः अधिवार्षिकी पेंशन एवं इस पर सहायता में वृद्धि तथा निश्चित पेंशन अंशदान योजना में शासन के अंशदान में वृद्धि के कारण हुई।

- पेंशन पर व्यय (₹ 1,878 करोड़) राजस्व व्यय (₹ 22,628 करोड़) का आठ प्रतिशत था तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 12,623 करोड़) का 15 प्रतिशत हुआ जबकि कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,867 करोड़) की सात प्रतिशत व्यय हुआ।

- वर्ष 2011-12 के लिए राज्य शासन द्वारा अपने बजट प्राक्कलनों में प्रक्षेपित (₹ 1,622 करोड़) से 16 प्रतिशत (₹ 256 करोड़) अधिक पेंशन भुगतान (₹ 1,878 करोड़) पर व्यय हुआ।

(3) ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान में, आंतरिक ऋणों पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, भारत सरकार से लिए गए कर्जे तथा अन्य देयताऐं शामिल हैं, यह 2010-11 के ₹ 1,198 करोड़ में सीमांत ₹ पांच करोड़ घटकर 2011-12 में ₹ 1,193 करोड़ हो गया।

वर्ष 2011-12 के लिये ब्याज भुगतान (₹ 1,193 करोड़) राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमानों में किये आंकलन (₹ 1,303 करोड़) की सीमा के अंदर था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व व्यय (₹ 22,628 करोड़) एवं राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,867 करोड़) के पाँच प्रतिशत के अनुपात के रूप में था।

(4) सब्सिडी पर व्यय

अवधि 2007-12 के दौरान राज्य शासन द्वारा किये सब्सिडी भुगतान का विवरण **तालिका- 1.12** में दर्शाया गया है :-

तालिका-1.12: 2007-12 के दौरान शासन द्वारा दी गयी सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष एवं विभाग का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
2235-सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.44	946.28	1,288.78	886.73	950.51
2401-पशु चारा	39.35	41.23	41.00	40.07	46.36
2405-मत्स्य पालन	0.55	0.41	0.47	0.75	0.60
2406-वानिकी एवं वन्य जीवन	19.53	10.09	10.00	10.00	8.10
2408-खाद्य भण्डारण एवं भंडारगार	606.16	109.47	406.61	488.65	383.67
2425-सहकारिता	7.50	40.03	46.00	83.07	95.32
2702-लघु सिचांई	8.09	10.49	10.62	11.01	10.88
2801-उर्जा	110.14	128.04	150.10	202.10	321.10
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	9.66	24.27	39.26	37.71	52.52
2852-उद्योग	1.13	4.37	1.46	3.72	1.87
योग	**802.55**	**1,314.68**	**1,994.30**	**1,763.81**	**1870.93**

(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि सब्सिडी पर व्यय 2010-11 के ₹ 1,763.81 करोड़ से ₹ 107.12 करोड़ बढ़कर 2011-12 में ₹ 1,870.93 करोड़ हो गया। यह राजस्व व्यय (₹ 22,628 करोड़) का आठ प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,867 करोड़) का सात प्रतिशत रहा । 2011-12 के दौरान सब्सिडी के मुख्य प्राप्तकर्ता सेक्टर सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹ 951 करोड़), कृषि एवं संबंद्ध गतिविधियाँ [13] (₹ 534 करोड़), एवं ऊर्जा (₹ 321 करोड़) थे। कुल सब्सिडी ₹ 1,871 करोड़ में से ₹ 363 करोड़ (19 प्रतिशत) आयोजनेत्तर के अन्तर्गत, ₹ 1,474 करोड़ (79 प्रतिशत) आयोजना के अन्तर्गत एवं ₹ 34 करोड़ (दो प्रतिशत) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/केन्द्र आयोजना योजनाओं के अन्तर्गत थी।

1.5.3 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालू वर्षो के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की राशि **तालिका 1.13** में प्रस्तुत है।

तालिका1.13 -: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
शैक्षणिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूलों सहायता प्राप्त महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों आदि)	98.86	83.82	83.90	144.82	163.07
बिजली/ऊर्जा	135.13	118.00	65.05	101.05	149.56
कृषि	16.81	19.78	26.50	37.50	56.50
नगरीय निकाय	618.15	737.26	577.71	905.50	1,268.53
पंचायती राज संस्थायें	955.14	1,299.47	1,520.71	1,835.92	2,811.71
अन्य संस्थायें	183.17	304.72	478.25	376.43	158.21
योग	**2,007.26**	**2,563.05**	**2,752.12**	**3,401.22**	**4607.58**
राजस्व व्यय (आर.ई.)	10840	13794	17265	19356	22628
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	18.52	18.58	15.94	17.57	20.36

(स्त्रोत - संबंधित वर्षो के वित्त एवं विनियोग लेखे)

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता 2007-08 के ₹ 2,007 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 4,608 करोड़ हो गया, वर्ष 2010-11 की तुलना में अवधि के दौरान 130 प्रतिशत संवृद्धि एवं संवृद्धि दर 35 प्रतिशत दर्ज की गई।

प्रतिशत के रूप में सहायता, राजस्व व्यय की 15.94 से 20.36 प्रतिशत के मध्य रही। तथापि, 2011-12 के दौरान यह उच्चतम स्तर 20.36 प्रतिशत पर थी। शासन द्वारा प्रमुख वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों को प्रदान की गयी जो 2011-12 के दौरान दी गई कुल सहायता का 61 प्रतिशत था।

[13] कृषि मत्सय पालन, वानिकी एवं वन्य जीवन, खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग एवं सहकारिता शामिल है।

1.6 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक तथा भौतिक आधारभूत ढांचे की उपलब्धता सामान्य रूप से उसके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पहलू शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात जन सेवा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान हों), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा प्रभावशीलता (चुनी हुई सेवाओं के लिए लागत परिणाम संबंधो का आंकलन)।

1.6.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं से संबंधित व्यय जो मुख्य रूप से राज्य के विषय है, जिनका दायित्व राज्य शासन को सौंपा गया है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करें। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता दी जाती है (समग्र व्यय से श्रेणी व्यय का अनुपात) यदि यह संबंधित राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका-1.14**, 2011-12 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के लिए व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संदर्भ में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण करता है।

तालिका-1.14: वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता *	एई/ जीएसडीपी	डीई# /एई	एसएई/ एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य /एई
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) **2008-09**	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
छत्तीसगढ़ राज्य का औसत (अनुपात) **2008-09**	17.76	75.44	40.09	19.93	14.80	3.61
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) **2011-12**	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
छत्तीसगढ़ राज्य का औसत (अनुपात) **2011-12**	20.63	76.22	41.24	19.06	18.21	3.95

*** जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में (जी एस डी पी 2011-12 के आंकडे अग्रिम आँकड़े है।)**

एईः एग्रीगेट एक्सपेंडीचर (कुल व्यय) **डीईः** डेवलपमेंट एक्सपेंडीचर (विकास व्यय) **एसएसईः** सोशल सेक्टर एक्सपेंडीचर (सामाजिक क्षेत्र व्यय) **सीईः** केपिटल एक्सपेंडीचर (पूंजीगत व्यय)

विकास व्यय के अतंर्गत राजस्व विकास व्यय, पूंजीगत विकास व्यय एवं वितरित ऋण एवं अग्रिम एवं सामाजिक सेवाओ से संबंधित व्यय शामिल है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है किः

- वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 दोनो वर्षो में समग्र व्यय पर सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य अपनी जी एस डी पी का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा है।
- वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 के दौरान राज्य में समग्र व्यय की प्रतिशतता के रूप में विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय एवं पूंजीगत व्यय भी सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।

- वर्ष 2008-09 में समग्र व्यय की प्रतिशतता के रूप में शिक्षा क्षेत्र में व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों से सम्बंधित प्रतिशत से कम था लेकिन यह 2011-12 में अधिक था।
- वर्ष 2008-09 के साथ साथ 2011-12 में सकल व्यय की प्रतिशतता के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र के अधीन व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में कुछ कम था।

स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय हिस्सा बढ़ाने के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाना चाहिए।

1.6.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करे एवं लोक केन्द्रक एवं महत्व की वस्तुओं[14] के लिए प्रावधान पर जोर दे। विकास व्यय[15] के आवंटन में सुधार के अलावा, खासकर, अभी पिछले कुछ वर्षो में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग की कुशलता, कुल व्यय और/अथवा जीएसडीपी से पूँजीगत व्यय के अनुपात से परिलक्षित होता है एवं राजस्व व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जाता रहा। कुल व्यय (और/या जीएसडीपी) से इन घटकों का जितना ऊँचा अनुपात होगा, उतनी बेहतर व्यय की गुणवत्ता होगी। **तालिका-1.15** विगत वर्षो में बजट में किये गये विकास के व्यय के संदर्भ में 2011-12 के दौरान राज्य के सकल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

तालिका-1.15: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक व्यय
विकास व्यय (अ से स)	10,773 (74)	12,995 (75)	16,002 (77)	16,857 (73)	23,830	21,310 (76)
अ. विकास राजस्व व्यय	7,257 (50)	9,676 (56)	12,447 (60)	13,401 (59)	17,704	16,037 (57)
ब. पूँजीगत विकास व्यय	3,024 (21)	2,838 (16)	2,668 (13)	2,899 (13)	4,949	4014 (15)
स. विकास ऋण एवं अग्रिम	492 (03)	481 (03)	887 (04)	557 (02)	1,177	1259 (05)

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाते हैं।
(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

14 *मुख्य* जन सामग्री, सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हों इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपभोग से अन्य किसी व्यक्ति के उस सामग्री के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है- उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सड़क अद्योसंरचना इत्यादि। उच्चगुणवत्ता सामग्री उपयोगी वस्तु है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्मति एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन का प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना एवं रूग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

15 व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवायें, आर्थिक सेवायें एवं सामान्य सेवायें की श्रेणियों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैरः विकास व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य के समग्र व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय जो सामाजिक आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों को मिलाकर है में 2007-08 के 74 प्रतिशत (₹ 10,773 करोड़) से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 76 प्रतिशत (₹ 21,310 करोड़) हो गया। 2011-12 के दौरान गतवर्ष की तुलना में कुल विकास व्यय ₹ 4,453 करोड़ (26 प्रतिशत) बढ़ा जो मुख्यतः राजस्व विकास व्यय में ₹ 2,636 करोड़ (20 प्रतिशत) से, पूंजीगत विकास व्यय ₹ 1,115 करोड़ (38 प्रतिशत) एवं ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 702 करोड़ (126 प्रतिशत) के कारण हुआ है।

राज्य के समग्र व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व विकास व्यय वर्ष 2010-11 के 59 प्रतिशत से वर्ष 2011-12 के दौरान घटकर 57 प्रतिशत हो गया। तथापि, समग्र विकास व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत विकास व्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों में 2010-11 के 13 एवं दो प्रतिशत में वृद्धि से 2011-12 में 15 एवं पाँच प्रतिशत हो गया।

तालिका 1.16 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.16 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किये गये व्यय की कार्य कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2010-11			2011-12		
	सीई से टीई का अनुपात	राजस्व व्यय का अंश		सीई से टीई का अनुपात	राजस्व व्यय का अंश	
		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
सामाजिक सेवायें (एसएस)						
योग सामाजिक सेवाऐं *जिनमें*	**3.62**	**1.22**	**42.08**	**3.54**	**1.90**	**38.24**
सामान्य शिक्षा	1.10	0.37	45.84	0.52	2.08	41.32
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.43	0.45	75.41	0.53	0.64	57.18
जल आपूर्ति, सफाई एवं आवास एवं शहरी विकास	0.81	4.21	14.20	1.73	2.97	27.73
आर्थिक सेवायें (इएस)						
योग (आर्थिक सेवाऐं जिनमें)	**9.05**	**4.35**	**25.84**	**10.82**	**5.49**	**27.43**
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	0.23	1.08	29.78	0.33	1.41	39.35
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.54	7.63	74.46	4.37	6.97	74.29

टीईः टोटल एक्सपेंडीचर संबंधित सेक्टर में (कुल व्यय); सीईः केपिटल एक्सपेंडीचर संबंधित सेक्टर में (पूंजीगत व्यय); आरईः रेवेन्यू एक्सपेंडीचर संबंधित सेक्टर में (राजस्व व्यय); एस एण्ड डब्लू सेलेरीज एण्ड वेजेस (वेतन एवं मजदूरी) एम.ई. मैन्टीनेंस एक्सपेंडीचर (अनुरक्षण एवं प्रचालन व्यय)

(स्त्रोतःवित्त लेखे 2011-12 की परिशिष्ट)

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

सामाजिक सेवा पर पूंजीगत व्यय 2010-11 में ₹ 827.60 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 988.68 करोड़ हो गया, लेकिन सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय के अंश में कुल व्यय 2010-11 के 3.62 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 3.54 प्रतिशत रह गया।

जबकि विगत वर्ष की तुलना में 2011-12 में सामाजिक सेवाओं के अधीन राजस्व व्यय में वेतन व्यय का अंश वर्ष 2011-12 के दौरान 42.08 प्रतिशत से घटकर 38.24 प्रतिशत, अनुरक्षण व्यय 1.22 से बढ़कर 1.90 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय 2010-11 के ₹ 2,071 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 3,025 करोड़ हो गया, आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का अंश कुल व्यय से 2010-11 के 9.05 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 10.82 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान राजस्व व्यय के अधीन आर्थिक सेवाओं में वेतन एवं अनुरक्षण व्यय अंश वर्ष 2011-12 की तुलना में 25.84 प्रतिशत से बढ़कर क्रमशः 27.43 प्रतिशत एवं 4.35 प्रतिशत से बढ़कर 5.49 प्रतिशत हो गया।

1.7 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ आर बी एम) अधिनियम में न केवल वर्तमान रूपरेखा में राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राजकोषीय घाटा (एवं उधारियों) को निम्न स्तर पर रखें बल्कि पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनो पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए, राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार सब्सिडी के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिये एवं वित्तीय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का यह अनुभाग विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.7.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2012 तक, ₹ 10 करोड़ एवं उससे ऊपर की अपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में सूचना **तालिका-1.17** में दी गई है।

तालिका-1.17: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या 31 मार्च 2012 तक	अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारम्भिक बजट लागत	अपूर्ण परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत (परियोजनाओं की संख्या)	अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक लागत पुनरीक्षित करने से व्यय/लागत आधिक्य	31.3.2012 की स्थिति में अपूर्ण परियोजनाओं की संचयी वास्तविक व्यय	अपूर्ण परियोजनाओं पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय के कारण लागत आधिक्य	अपूर्ण परियोजनाओ पर कुल अधिक लागत
1	2	3	4	*5=4-3*	*6*	7	8=5+7
लोक निर्माण विभाग	54	1301.65	1459.21	157.56 (11)	704.67	1.72 (03)	159.28
जल संसाधन विभाग	83	5097.81	5931.52	833.71 (17)	1292.81	43.23 (09)	876.94
योग	137	6399.46	7390.73	991.27	2042.43	44.95	1036.22

(स्त्रोतः 2011-12 के वित्त लेखे)

₹ 6,399 करोड़ की प्रारंभिक बजट लागत के 137 निर्माण कार्य जिन्हे मार्च 2012 तक या पूर्व पूर्ण किया जाना था, मार्च 2012 तक ₹ 2,042 करोड़ का प्रगामी व्यय किया गया जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 1.6*** में दिया गया है। 28 प्रकरणों में शासन द्वारा प्रारंभिक परियोजनाओं के पूर्ण न होने से बजट लागत में संशोधन से ₹ 991.27 करोड़

की अधिक लागत आई एवं 12 प्रकरणों में व्यय प्रारंभिक स्वीकृत लागत को पार कर गया। जिससे ₹ 44.95 करोड़ की अधिक लागत आई। इसके परिणामतः मार्च 2012 तक कुल लागत में ₹ 1,036.22 करोड़ की वृद्धि हुई।

परियोजनाओं को विहित अवधि में पूर्ण नहीं करने के परिणामतः न केवल लागत अधिक हुई बल्कि लाभान्वितों को भी वांछित लाभ के उपयोग से वंचित किया गया।

1.7.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2012 की स्थिति में, शासन ने ₹ 1,194.38 करोड़ सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंको, संयुक्त पूंजी (स्टाक) कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में निवेश किये गये थे **(तालिका-1.18)**। इन निवेशों पर औसत प्रतिफल 0.04 प्रतिशत था जबकि 2011-12 के दौरान, शासन ने ली गई उधारियों पर 7.08 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज भुगतान किया। विवरण **तालिका 1.18** में दिया गया है।

तालिका-1.18: निवेश का प्रतिफल

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत मे निवेश (₹ करोड़ में) *	400.95	430.01	251.67	259.92	1194.38
निवेश का प्रतिफल (₹ करोड़ में)	0.10	0.10	0.44	4.30	0.46
निवेश का प्रतिफल (प्रतिशत)	0.02	0.02	0.17	1.65	0.04
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.97	7.36	7.13	7.34	7.08
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	7.95	7.34	6.96	5.69	7.04

** वर्ष के अंत में निवेश में, निवेश का अविभाजित अंश शामिल नही है ।*

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

यह पाया गया कि 2011-12 तक निवेशित ₹ 1,194.38 करोड़ में से ₹ 165.51 करोड़ सहकारी संस्थाओं में ₹ 979.06 करोड़ कम्पनियों/मंडलो एवं विभागों में, ₹ 22.88 करोड़ सांविधिक निगमों में, ₹ 24.31 करोड़ ग्रामीण बैंको एवं ₹ 2.63 करोड़ संयुक्त पूंजी (स्टाक) कम्पनियों में निवेश किया गया ।

2011-12 के दौरान शासन ने मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी (₹ 150 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रसारण कम्पनी (₹ 150 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा उत्पादन कंपनी (₹ 600 करोड़) के पूंजी अंश में निवेश किया।

उधार ली गई निधियों का लगातार निवेश से उचित प्रतिफल प्राप्त न होने से असंतुलित वित्तिय स्थिति उत्पन्न होती है। उच्च लागत निधियों में निवेश के लिए शासन को न्यायसंगत उपाय सुनिश्चित करना चाहिए।

1.7.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त, शासन इनमें से बहुत सी संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। **तालिका-1.19**, 31 मार्च 2012 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षो के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका-1.19: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की तादाद/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12
प्रारंभिक शेष	1,625.53	1,529.89	1535.64[16]
वर्ष के दौरान दी गई राशि	896.79	566.55	1268.74
वर्ष के दौरान चुकाई गई राशि	992.43	561.16	1282.53
अंतशेष	**1,529.89**	**1,535.28**	**1521.85**
जिनमें बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई हैं।	1,517.60	1,523.68	1094.48
निबल वृद्धि	(-) 95.64	(+)5.39	(-)13.79
ब्याज प्राप्तियाँ	71.63	79.86	62.79
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत	4.54	5.21	4.11
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.13	7.34	7.08
राज्य शासन द्वारा उधारों पर चुकाई गई ब्याज एवं ब्याज प्राप्ति भिन्नता (प्रतिशत में)	(-)2.59	(-)2.13	(-)2.97

(स्त्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2012 की स्थिति में शासन के बकाया ऋण तथा अग्रिम ₹ 1,521.85 करोड़ थे जिसमें से सामान्य सेवाओं के लिए ऋण ₹ 146.11 करोड़, सामाजिक सेवाओं के लिए ₹ 810.31 करोड़, एवं आर्थिक सेवाओं के लिए ₹ 575.46 करोड़ ऋण था। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों का समायोजन सरकारी कर्मचारियों से ₹ 10.03 करोड़ ऋण की वसूली के द्वारा किया गया। इन ऋणों एवं अग्रिमों के विरूद्ध ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत गत वर्ष के 5.21 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान केवल 4.11 प्रतिशत रहा।

1.7.4 नगदी शेष एवं नगदी शेष का निवेश

तालिका - 1.20 नगदी शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा नगदी शेष में से किये निवेश को चित्रित करती है।

तालिका-1.20: नगदी शेष एवं नगदी शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2011 की स्थिति में	31 मार्च 2012 की स्थिति में	वृद्धि (+)/ कमी (-)
नगदी शेष (अ+ब+स)	**2,712.22**	**2700.86**	**(-) 11.36**
1. नगदी शेष से निवेश (अ से द)	**3,380.80**	**1645.92**	**(-)1734.88**
(अ) भारत सरकार के ट्रेजरी बिल्स	2,016.75	**1645.92**	**(-)370.83**
(ब) भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	1,364.05	0	**(-)1364.05**
(स) अन्य प्रतिभूतियाँ (यदि कोई हो, लिखें)	0.00	0	0
(द) अन्य निवेश	0.00	0	0
2. चिन्हित शेष राशि से निवेशों का निधिवार विभाजन (अ से द)	**799.04**	**948.90**	**149.86**
(अ) डूबत निधि	796.94	946.94	150.00
(ब) अकाल राहत निधि	1.32	1.18	**(-)0.14**
(स) राजस्व आरक्षित निधि	0.73	0.73	0.00
(द) विकास एवं कल्याण निधि	0.05	0.05	0.00
ब्याज वसूलियाँ	**89.73**	**153.17**	**63.44**

(स्त्रोत- वित्त लेखे 2011-12)

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) के पास रखे जाने वाले न्यूनतम आवश्यकता नगदी शेष ₹ 0.72 करोड़ के विरूद्ध 31 मार्च 2012 को राज्य (शासन) ने भारी नगदी शेष

[16] 2011-12 के वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण प्रारंभिक शेष बदल गया।

₹ 2,700.86 करोड़ बनाये रखा। बारी बारी से नगदी शेष आधिक्य को राज्य शासन द्वारा सरकार ने कोषालय बिलों की अल्पावधि जमा में निवेश किया एवं 2011-12 के दौरान सकल ब्याज ₹ 153.17 करोड़ अर्जित किया जो कि गत वर्ष की तुलना में ₹ 63.44 करोड़ अधिक है। विगत वर्ष की तुलना में तथापि 31 मार्च 2012 तक नगदी शेष में ₹ 11.36 करोड़ की कमी आई।

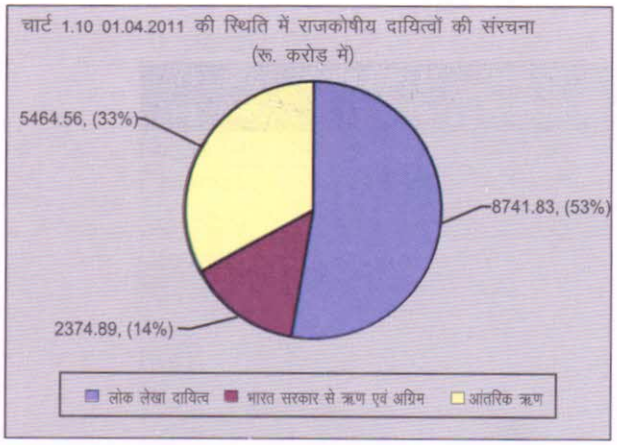
1.8 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

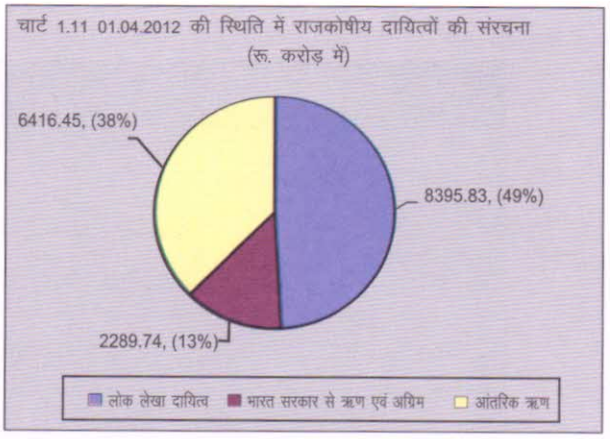
1.8.1 परिसम्पत्तियों और दायित्वों का विकास तथा संरचना

प्रचलित सरकारी लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नही किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2011, की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को ***परिशिष्ट 1.4*** प्रस्तुत करता है जबकि ***परिशिष्ट 1.4*** के दायित्वों में, मुख्य रूप से आंतरिक उधारियाँ, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ सम्मिलित है, परिसम्पत्तियों, में मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नगदी शेष सम्मिलित हैं।

1.8.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.4** में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.10 एवं 1.11** में प्रस्तुत है।





उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि दायित्व दो प्रकार के हैं - लोक ऋण एवं अन्य दायित्व/लोक ऋण में राज्य के आंतरिक ऋण का समावेश रहता है एवं समेकित निधि के अधीन पूंजीगत लेखा के अन्तर्गत वार्षिक वित्तीय विवरणियों में प्रतिवेदित की जाती है। इसमें बाजार ऋण, आर.बी.आई. के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों एवं भारत सरकार से लिए गये ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारत की सीमा के भीतर, समेकित निधि की प्रतिभूति के आधार पर उस सीमा तक जितना की समय समय पर विधान मंडल द्वारा पारित कानून के द्वारा निर्धारित किया गया हो एवं उस सीमा तक जितना निर्धारित किया गया हो गारंटी दे सकता है। अन्य

दायित्व अथवा राजकोषीय दायित्व जो लोक लेखे का हिस्सा हैं एवं जिसमें अल्प बचत योजना, भविष्य निधियाँ एवं अन्य जमा सम्मिलित है।

वर्ष 2010-11 में आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व का 53 प्रतिशत से घटकर 2011-12 के अंत तक 49 प्रतिशत रह गया। जबकि लोक लेखा दायित्व राजकोषीय दायित्व के प्रतिशत के रूप में 2010-11 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 38 प्रतिशत हो गया, भारत सरकार से बकाया ऋण एवं अग्रिम 2010-11 के 14 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 13 प्रतिशत रह गया। राज्य का राजकोषीय दायित्व उनकी विकास दर, इन दायित्वों का जी.एस.डी.पी. से अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियों को **तालिका-1.21** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-1.21 राजकोषीय देयतायें आधारभूत मानक

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11[17]	2011-12
राजकोषीय देयतायें (₹ करोड़ में)	14,512	14,780	15,933	16,581	17102
राजकोषीय देयतायें का विकास दर (प्रतिशत में)	2.83	1.85	7.79	4.06	3.14
राजकोषीय देयतायें / जी.एस.डी.पी. (कर्ज - जी.एस.डी.पी. अनुपात) (प्रतिशत में)	18.08	15.24	16.05	14.10	12.62
राजकोषीय देयतायें / राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत में)	104.56	94.36	87.77	72.98	66.11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	80,255	96,972	99,262	1,17,567	1,35,536

(स्त्रोतःसंबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के कुल राजकोषीय दायित्व 2007-08 के ₹ 14,512 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 17,102 करोड़ (18 प्रतिशत) हो गया। दायित्वों की विकास दर 2010-11 के 4.06 प्रतिशत के विरूद्ध 2011-12 के दौरान 3.14 प्रतिशत हो गया।

राजकोषीय दायित्व 2011-12 के अन्त में 2010-11 के दौरान 72.98 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 66.11 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया। 2011-12 के दौरान जी.एस.डी.पी. से ऋण का अनुपात 12.62 प्रतिशत था जो एम.टी.एफ.पी.एस. में किये गये प्रक्षेपण (16.16 प्रतिशत) से कम था।

जी.एस.डी.पी. से ऋण के अनुपात में गिरावट की प्रवृत्ति राज्य के अपने दायित्व उन्मोचन की क्षमता को दर्शाता है।

1.8.3 गारंटी की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

गारंटियाँ राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व है, जो उधार लेने वालों के लिए गारंटी दी गई है, अदायगी में चूक के प्रकरण में उत्पन्न होती है।

राज्य द्वारा दी गई गारंटियों की अधिकतम राशि एवं बकाया गारंटियों जो विगत तीन वर्षो में रही **तालिका-1.22** में दी गई है।

तालिका-1.22: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई गारंटियाँ

₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2009-10	2010-11	2011-12
गारंटी की अधिकतम राशि	4,400.65	5,053.59	7079.29
गारंटी की बकाया राशि	3,337.53	2,849.35	2637.40
राजस्व प्राप्तियाँ	18,153.66	22,719.54	25,867.38
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम गारंटी की राशि का प्रतिशत	24.24	22.24	27.37

(स्त्रोत - संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

[17] जी.एस.डी.पी. आंकडें में बदलाव एवं वित लेखे में किये समायोजन के कारण 2010-11 के आंकडें बदल गये।

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अधीन ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाला कोई विधि पारित नही किया गया है जिस सीमा तक राज्य की समेकित निधि की जमानत पर सरकार गारंटी दे सकती है। तथापि, राज्य शासन द्वारा विभिन्न निगमों एवं अन्य के द्वारा उठाये गये ऋणों पर गारंटी दी गई जो 2011-12 के अंत में ₹ 2,637 करोड़ थी।

₹ 2,637.40 करोड़ की बकाया गारंटियों में सहकारिता (₹ 1,947 करोड़), ऊर्जा (₹ 429 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 177 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 81 करोड़) एवं अन्य (₹ चार करोड़) को दी गई है। आकस्मिक दायित्वों के रूप में गारंटियों की बकाया राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 25,867.38 करोड़) का लगभग 10 प्रतिशत है।

गारंटियों पर राज्य के दायित्वों के आकस्मिक भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए टी.एच.एफ.सी. द्वारा अनुशंसा की गई थी कि राज्यों को निर्धारित गारंटी फीस के माध्यम से प्रतिभूति विमोचन निधि की स्थापना करना चाहिए। तथापि, राज्य शासन ने राज्य में अपेक्षाकृत कम उच्च जोखिम की संख्या को देखते हुये प्रतिभूति विमोचन निधि की स्थापना नही करने का निर्णय लिया। वर्ष 2011-12 के दौरान तथापि गारंटी का कोई भुगतान देय नहीं हुआ है।

1.9 ऋण धारणीयता

राज्य शासन के ऋण की आकार से अलग राज्य के ऋण धारणीयता[18] को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह अनुभाग राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण[19] के रूप में ऋण धारणीयता गैर ऋण प्राप्तियों[20] की पर्याप्तता; उधार ली गई निधियों[21] की निबल उपलब्धता; ब्याज भुगतान का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात से ब्याज भुगतान द्वारा माप) राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा का आकलन करता है। वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ करके तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण **तालिका-1.23** करता है।

18 ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

19 स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

20 राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

21 उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूल धन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की निबल उपलब्धता दर्शाती है।

तालिका-1.23: ऋण धारणीयता सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचक/द्योतक	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार + प्रारंभिक घाटा)	245	3,324	1,752
इंक्रीमेंटल गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधनों का अंतर)	(-)731	(+)2,169	(-)1211
उधार निधियों की निबल उपलब्धता	57	(-)438	(-) 672
ब्याज भुगतान	1,095	1,198	1,193
राजस्व प्राप्तियाँ	18,154	22,720	25,867
ब्याज भुगतान का बोझ (आईपी/आर आर अनुपात)	6.03	5.27	4.61

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

तालिका 1.23 में यह प्रवृत्ति दिखायी देती है कि अवधि 2009-12 के दौरान प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार निरन्तर सकारात्मक रहा था, परिणामस्परूप राजकोषीय दायित्वों का जी.एस.डी.पी. से अनुपात जो कि वर्ष 2010-11 के 14.10 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011-12 में 12.62 प्रतिशत रह गया।

अवधि 2009-10 एवं 2011-12 के दौरान गैर ऋण प्राप्तियों में अभिवृद्धि (संसाधनो का अंतर) की पर्याप्तता नकारात्मक थी जो वित्त प्राथमिक व्यय अभिवृद्धि की तुलना में गैर ऋण प्राप्तियों की अभिवृद्धि को अपर्याप्त को दर्शाता है।

वर्ष 2009-12 के दौरान मूल एवं ब्याज के भुगतान पश्चात् शुद्ध उधार निधियों की उपलब्धता ₹ 57 करोड़ से घटकर (-) ₹ 672 करोड़ हो गयी। इससे स्पष्ट है कि उधारियों का ज्यादात्तर हिस्सा ऋण विमोचन हेतु किया जा रहा है। 2011-12 के दौरान शासन ने ₹ 5,405 करोड़ (मूल एवं ब्याज आंतरिक ऋण पर ₹ 1,442 करोड़, भारत सरकार ऋण ₹ 330 करोड़ तथा अन्य देनदारियों ₹ 3,633 करोड़ का भी निबटान) का पुनर्भुतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 4,733 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 365 करोड़, भारत सरकार ऋण ₹ 57 करोड़ एवं अन्य देनदारियाँ ₹ 4,311 करोड़) से भी अधिक थी, परिणामतः वर्ष 2011-12 के दौरान निधियों की शुद्ध उपलब्धता नकारात्मक रही।

राज्य द्वारा भविष्य में राज्य ऋण पुनर्भुतान की परिपक्वता का पार्श्व दृश्य **तालिका 1.24** में दिखाया गया है।

तालिका 1.24 राज्य के ऋण की परिपक्वता (वर्षो में)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	कुल ऋण का प्रतिशत (2011-12)
0-5	4,224.98	4,182.47	4,252.03	40
6-10	3,333.13	3,351.11	3,115.08	29
11-15	1,987.75	2,039.44	1,958.45	18
16-20	1,150.28	1,164.79	1,012.50	10
20 एवं अधिक	316.25	378.91	347.50[22]	03
कुल	**11,012.39**	**11,116.72**	**10,685.56**	

(स्त्रोत -संबंधित वर्षो के वित्त लेखे)

[22] इसमें शामिल परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है एवं ऋण के रूप में ली गई राशि जो मध्यप्रदेश को अबंटित थी लेकिन पुनर्भुगतान छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया।

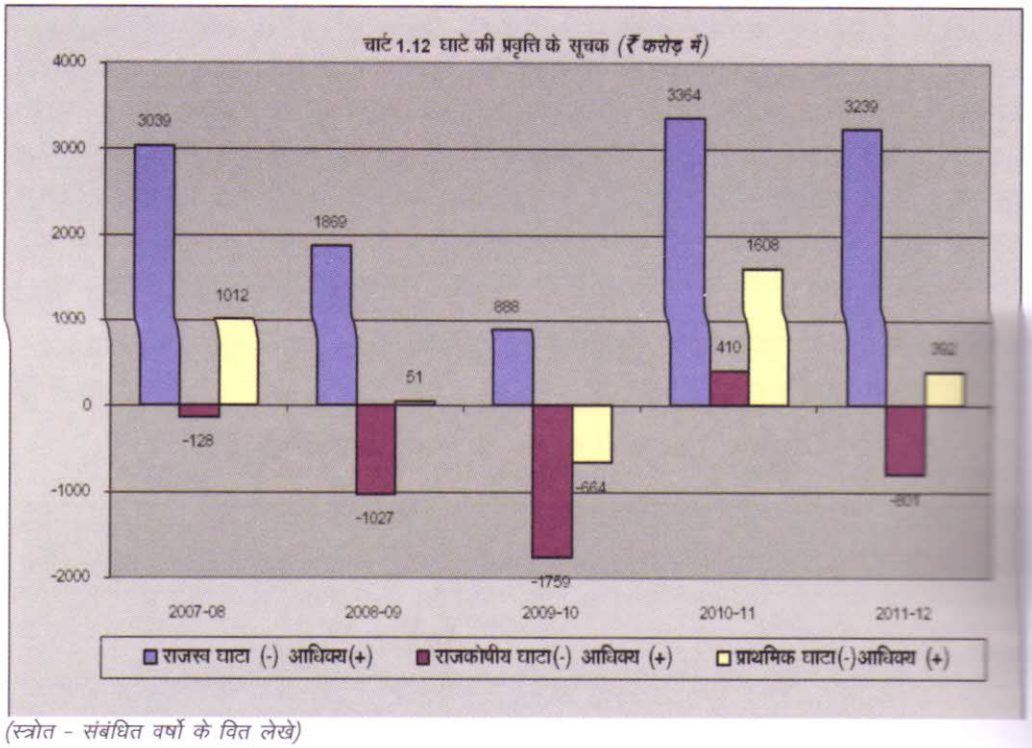
उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि पाँच वर्षो के पश्चात् राज्य कर्जो का एक साथ 40 प्रतिशत तक पुनर्भुगतान करना होगा और पुनर्भुगतान का भार शोचनीय होगा।

1.10 राजकोषीय असंतुलन

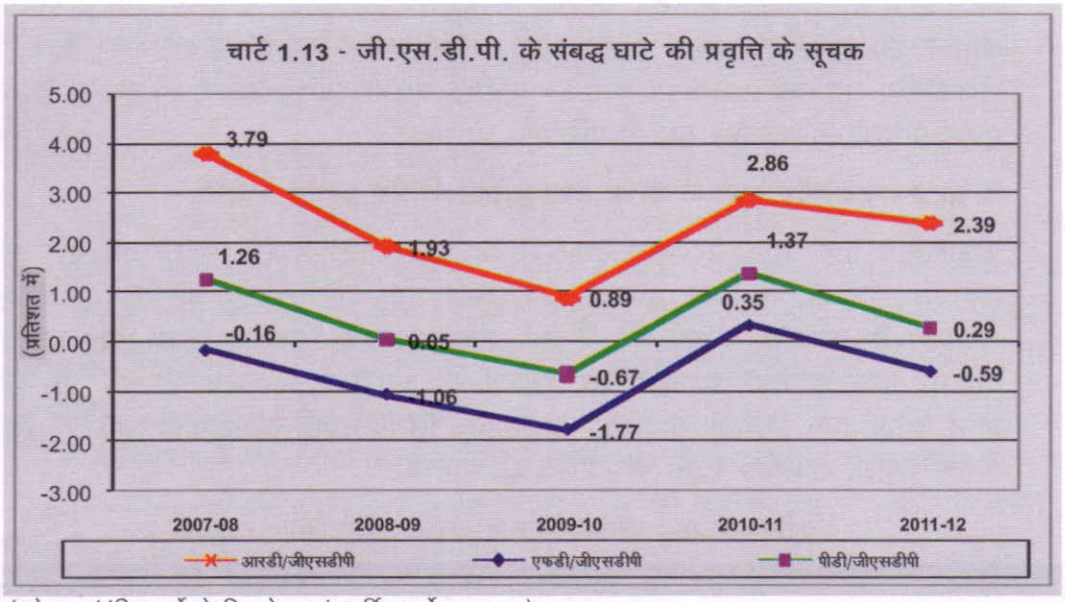
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने-राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे, राज्य शासन के वित्त के एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान कुल राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखे का घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण के तरीके तथा जिस तरह संसाधन जुटाए गए एवं प्रयुक्त किये गये राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह अनुभाग घाटे की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा इन घाटों को पूरा करने के तरीके एवं एफ- आर- बी- एम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

1.10.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट:- 1.12 एवं 1.13 तथा **तालिका 1.25** वर्ष 2007-12 की अवधि के लिए घाटे की प्रवृत्तियों के सूचकों को प्रस्तुत करता है।



(स्त्रोत - संबंधित वर्षो के वित लेखे)



(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित लेख एवं आर्थिक सर्वे 2011-12)

तालिका-1.25: घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(+)3,039	(+)1,869	(+)888	(+)3,364	(+)3,239
राजकोषीय घाटा (-) / आधिक्य (+)	(-)128	(-)1,027	(-)1,759	(+)410	(-)801
प्राथमिक घाटा(-)/ आधिक्य(+)	(+)1,012	(+)51	(-)664	(+)1,608	(+)392

(स्त्रोत - संबंधित वर्षों के वित लेखे)

वर्ष 2007-12 के दौरान के राज्य का राजस्व आधिक्य अस्थिर प्रवृत्ति का दर्शाया गया है जो कि इसके राजस्व व्यय से अधिक राजस्व प्राप्तियों को सूचित करता है। राजस्व आधिक्य 2007-08 के ₹ 3,039 करोड़ से घटकर 2009-10 में ₹ 888 करोड़ एवं 2010-11 में बढ़कर ₹ 3,364 करोड़ हो गया। तथापि, आगे यह 2011-12 में घटकर ₹ 3,239 करोड़ रह गया। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य में ₹ 124 करोड़ (चार प्रतिशत) की कमी, राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 16.91 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुआ।

राजकोषीय घाटा, जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, 2007-08 में ₹ 128 करोड़ से बढ़कर 2009-10 में ₹ 1,759 करोड़ हो गया लेकिन 2010-11 के दौरान ₹ 410 करोड़ के राजकोषीय आधिक्य में परिवर्तित हो गया। 2011-12 के दौरान राजकोषीय आधिक्य पुनः राजकोषीय घाटे ₹ 801 करोड़ हो गया।

वर्ष 2007-12 के दौरान प्राथमिक आधिक्य आन्तरिक विविधता को दर्शाता है। 2009-10 में प्राथमिक घाटे ₹ 664 करोड़ होने से पहले यह 2007-08 में ₹ 1,012 करोड़ से घटकर 2008-09 में न्यूनतम स्तर ₹ 51 करोड़ पर पहुँच गया था। प्राथमिक घाटा जो वर्ष 2010-11 के दौरान प्राथमिक आधिक्य ₹ 1,608 करोड़ हो गया। 2011-12 के दौरान घट कर ₹ 392 करोड़ रह गया।

जी.एस.डी.पी. के एक प्रतिशत के रूप में राजस्व आधिक्य 2010-11 के 2.86 से घटकर 2011-12 मे 2.39 प्रतिशत रह गया। यद्यपि, जी.एस.डी.पी. के संदर्भ में राजकोषीय आधिक्य 2010-11 में 0.35 प्रतिशत था यह 2011-12 में जी.एस.डी.पी. के 0.59 प्रतिशत राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया।

1.10.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसकी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधारियों की आवश्यकता है एवं राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय, ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय का आधिक्य है, राजकोषीय घाटे का विघटन प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली **तालिका 1.26** में प्रदर्शित की गयी है।

तालिका-1.26 : राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय पद्धतियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटे का विभाजन						
1	राजस्व घाटा(-) / आधिक्य (+)	3,038.79	1,869.06	888.22	3,363.79	3239.33
2	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3,103.73	(-)2,938.38	(-)2,742.61	(-) 2,948.95	(-)4052.47
3	निवल कर्जे एवं अग्रिम[23]	(-)62.77	42.67	95.39	(-) 5.08	11.97
	कुल	**(-)127.71**	**(-)1,026.65**	**(-)1,759.00**	**409.76**	**(-)801.17**
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रकार/नमूना*						
1	बाजार से लिए गए उधार	(-)157.08	(-)153.44	449.85	(-) 235.03	(-)313.14
2	भारत सरकार से उधार	(-)167.06	94.93	106.83	67.38	(-)85.15
3	एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	37.75	(-)2.78	146.33	373.47	13.00
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(-)10.06	(-)41.73	(-)67.36	(-) 101.49	(-)45.86
5	अल्प बचत, पीएफ इत्यादि	51.50	73.74	294.37	328.97	307.76
6	जमा एवं अग्रिम	441.77	30.20	(-)22.47	355.26	585.94
7	उचन्त एवं विविध	(-)257.12	1,024.80	512.00	(-) 2,129.58	1758.77
8	प्रेषण	(-)78.72	80.65	(-)111.83	33.68	96.10
9	अन्य[24]	184.00	265.96	244.91	(-) 28.08	58.90
	कुल	**44.98**	**1,372.33**	**1,552.63**	**(-) 1,335.42**	**2376.32**
	समस्त आधिक्य(+)/घाटा(-)	**(-)82.73**	**345.68**	**(-)206.37**	**(-) 925.66**	**1575.15**
	कुल	**127.71**	**1,026.65**	**1,759.00**	**(-) 409.76**	**801.17**

** वर्ष के दौरान ये सभी आंकड़े निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही है।*

(स्त्रोतःसंबंधित वर्षो के वित्त लेखें)

वर्ष 2007-12 के दौरान राजकोषीय घाटा/आधिक्य का विघटन 2010-11 के दौरान के अलावा राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। 2007-08 के दौरान, घाटे का अधिकांश वित्त पोषण राष्ट्रीय अल्प बचत विधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों से की गई। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ प्रवृत्ति में बदलाव हुआ और 2011-12 के दौरान, राजकोषीय

[23] इसमें अन्तर्राज्यीय समायोजन शामिल है।

[24] इसमें आकस्मिता नधि, रिजर्व फन्ड शामिल है।

घाटे का वित्त पोषण मुख्यतः राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों, अल्प बचत, भविष्य निधि, निक्षेपों एवं अग्रिमों, उचंत तथा विविध प्रेषणों से उठाये गये संसाधनो से की गयी।

1.10.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे[25] एवं पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को प्रदर्शित करेगा। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात दर्शाता है कि किस सीमा तक ऋण निधियों का उपयोग वर्तमान उपयोग/खपत के लिए किया गया।

प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका-1.27)** यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे का कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका-1.27: प्राथमिक घाटा/आधिक्य के कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय[26]	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2007-08	14,345	9,700	3,131	502	13,333	(+)4,645	(+)1,012
2008-09	16,199	12,716	2,940	492	16,148	(+)3,481	(+)51
2009-10	19,151	16,170	2,745	900	19,815	(+)2,981	(-)664
2010-11	23,286	18,157	2,952	569	21,678	(+)5,129	(+)1,608
2011-12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	(+)5,721	(+)392

(स्त्रोतःसंबंधित वर्षो के वित्त लेखें)

वर्ष 2007-12 के दौरान प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 9,700 करोड़ से बढ़कर ₹ 21,435 करोड़ (121 प्रतिशत) होने की वजह से गैर ऋण प्राप्तियाँ 2007-08 के ₹ 14,345 करोड़ से बढ़कर (89 प्रतिशत) 2011-12 में ₹ 27,156 करोड़ हो गया।

राज्य के प्राथमिक आधिक्य के घटकों के विभाजन से स्पष्ट होता है कि 2009-10 के अलावा 2007-12 की अवधि के दौरान राज्य में प्राथमिक आधिक्य था। दूसरे शब्दों में, इस अवधि के राजस्व लेखों में प्राथमिक व्यय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य की गैर ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त थी। यह राज्य की वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता का सूचक है।

[25] प्राथमिक राजस्व घाटा राज्य के गैर ब्याज राजस्व एवं उनकी गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि राज्य के राजस्व खाते के अन्तर्गत प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को दर्शाता है।

[26] राज्य का प्राथमिक व्यय ब्याज भुगतान के अलावा कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो वर्ष के दौरान हुए लेन देनों पर किये गये व्यय को दर्शाता है।

1.11 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति

मुख्य मानको के आधार पर राजकोषीय स्थिति में गिरावट आया। जबकि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व आधिक्य एवं प्राथमिक आधिक्य में कमी होने के कारण 2011-12 के दौरान राजकोषीय आधिक्य राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया।

राज्य के गत वर्ष के कुल राजस्व एवं गैर ऋण प्राप्तियाँ (₹ 3,870 करोड़) की तुलना में कुल व्यय (₹ 5,081 करोड़) में सारभूत बढ़ोतरी के कारण राजकोषीय आधिक्य (₹ 410 करोड़) राजकोषीय घाटे (₹ 801 करोड़) में परिवर्तित हो गया एवं ब्याज भुगतान में आंशिक कमी के परिणामतः प्राथमिक आधिक्य ₹ 1,608 करोड़ से घटकर ₹ 392 करोड़ हो गया।

चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 17,102 करोड़ था जो एफ. आर.बी.एम. अधिनियम में किये गये प्रक्षेपण 16.16 प्रतिशत के विरूद्ध जी.एस.डी.पी. का 12.62 प्रतिशत है।

राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2010-11 की तुलना में कर राजस्व और केन्द्रीय अंतरणों, संघीय करों शुल्कों में राज्य का अंश एवं जी.ओ.आई. से सहायता अनुदान (क्रमशः 17 प्रतिशत एवं सात प्रतिशत) की वृद्धि समाविष्ट होने के कारण 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये सामान्य आंकलन (₹ 10,063 करोड़) एवं बजट अनुमान (₹ 9,830 करोड़) की अपेक्षा राज्य के स्वंय की कर राजस्व (₹ 10,712 करोड़) अधिक थी। टी.एच.एफ.सी. द्वारा किये गये प्रक्षेपण (₹ 2,516 करोड़) की अपेक्षा राज्य के स्वंय का कर भिन्न राजस्व (₹ 4,058 करोड़) अधिक था लेकिन बजट अनुमानों (₹ 4,311 करोड़) में निर्धारित लक्ष्यों को यह प्राप्त नही कर सका।

अनुशंसा

राज्य वित्त को सुधारने के लिए कर भिन्न राजस्व में वृद्धि हेतु राज्य को प्रयास करना चाहिए।

राजस्व व्यय

वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय का कुल व्यय में प्रभावशाली हिस्सा (81 प्रतिशत) जारी रहा। आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 12,624 करोड़) बजट अनुमानों (₹ 13,280 करोड़) से पाँच प्रतिशत (₹ 656 करोड़) कम रहा।

वर्ष 2011-12 के दौरान वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर कुल व्यय एन.पी.आर.ई. का 85 प्रतिशत था एवं राज्य की 51 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियाँ वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर खर्च की गई।

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय (₹ 4,056 करोड़) में गत वर्ष की अपेक्षा ₹ 1,105 करोड़ की वृद्धि हुई एवं कुल व्यय में इसका हिस्सा 13 से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह एफ.

आर.बी.एम. अधिनियम (₹ 6,264 करोड़) एवं बजट अनुमान (₹ 5,077 करोड़) के प्रक्षेपण की तुलना में क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत से कम था।

अनुशंसा

राज्य शासन को पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ाकर परिसम्पत्ति सृजन का कदम उठाने चाहिये, जिससे राज्य के विकास की संभावनाऐं बढ़ सके ।

निवेश तथा ऋण एवं अग्रिमों पर प्रतिफल

मार्च 2012 के अंत तक राज्य शासन ने ₹ 1,194.38 करोड़ का निवेश किया एवं बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 1,521.85 करोड़ वसूली के लिए लम्बित थे। 2011-12 के दौरान शासन के निवेशों एवं बकाया ऋणों का औसत प्रतिफल केवल क्रमशः 0.04 प्रतिशत एवं 4.11 प्रतिशत था जबकि अपनी उधारियों पर शासन ने ब्याज के रूप में 7.08 प्रतिशत औसत दर से ब्याज का भुगतान किया ।

अनुशंसा

शासन को उच्च लागत की निधियों के निवेश हेतु न्याय संगत औचित्य सुनिश्चित करनी चाहिए।

नगदी शेष की स्थिति

राज्य शासन ने अपने अधिक्य नगदी शेष बचत को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ भारत सरकार के कोषालय बिलों में निवेश किया ।

अनुशंसा

शासन को नई उधारियों का आश्रय लेने से पहले अतिरिक्त नगदी शेष के उपयोग हेतु प्रभावी उपाय करना चाहिये।

अपूर्ण परियोजनाऐं

₹ 2,042 करोड़ की कुल निधियाँ, निर्माण कार्यो एवं सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने में असाधारण विलम्ब से अवरूद्ध रही एवं परिणामतः लागत में वृद्धि हुई जो कि राज्य शासन के मुख्य चिन्ता का एक विषय है।

अनुशंसा

लागत एवं समय की अधिकता से बचने के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

दूसरा अध्याय

वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

दूसरा अध्याय

वित्तीय प्रबंधन एवं बजट नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत एवं भारित व्यय का लेखा-जोखा है जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा भारित विनियोगों की तुलना करता है, जैसा कि विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में उल्लेखित है। ये लेखे मूल बजट प्रावधानों, अनुपूरक अनुदानों, समर्पणों एवं पुनर्विनियोगों को पृथक पृथक और विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत एवं राजस्व व्यय को उनके विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत बजट में भारित एवं दत्तमत दोनों मदो की तुलना को सूचित करते है। इस तरह विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबंधन एवं बजट प्रावधानों के अनुश्रवण में मदद करते है, इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के अधीन किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमा के भीतर है तथा संविधान के प्रावधान के अधीन प्रभारित किया जाने वाला व्यय ही प्रभारित किया गया है। यह भी सुनिश्चित करता है कि इस तरह किया गया व्यय विधि सम्मत है, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है ।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2011-12 के दौरान 74 अनुदानों/विनियोगों के विरूद्ध वास्तविक व्यय के सारांश की स्थिति **तालिका-2.1** में दर्शायी गई है:-

तालिका 2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7
दत्तमत	I राजस्व	23,481.77	1,956.90[1]	25,438.67	21,459.52	(-)3,979.15
	II पूँजीगत	4,090.60	1,441.57	5,532.17	3,255.87	(-)2,276.30
	III ऋण तथा अग्रिम	2,229.83	148.80	2,378.63	2,125.25	(-)253.38
कुल दत्तमत		29,802.20	3,547.27	33,349.47	26,840.64	(-)6,508.83
भारित	IV राजस्व	1,632.20	15.60	1,647.80	1,521.68	(-)126.12
	V पूँजीगत	0.66	3.46	4.12	3.51	(-)0.61
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	1,042.70	0.00	1,042.70	852.49	(-)190.21
कुल भारित		2,675.56	19.06	2,694.62	2,377.68	(-)316.94
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग		32,477.76	3,566.33	36,044.09	29,218.32	(-)6,825.77

(स्त्रोत विनियोग लेखे 2011-2012)

[1] राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष 2055, अनुदान संख्या 3 के ₹ एक करोड़ का मुख्य शीर्ष 4055 में गलत वर्गीकरण से सुधार के कारण अनुपूरक अनुदान विनियोग ₹ 1955.90 करोड़ से संशोधित होकर ₹ 1,956.90 करोड़ हुआ है। तद्नुसार पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान विनियोग ₹ 1,442.57 करोड़ से बदल कर ₹ 1,441.57 करोड़ रह गया है।

राजस्व अनुभाग के अधीन 65 अनुदानों एवं 43 विनियोगों, पूँजीगत अनुभाग के अधीन 44 अनुदानों एवं पांच विनियोगों एवं ऋण अनुभाग के अधीन एक विनियोग (लोक ऋण) में कुल ₹ 6,878.35 करोड़ की बचत में से राजस्व अनुभाग के अधीन दो अनुदानों एवं पूँजीगत अनुभाग के अधीन तीन अनुदानों के ₹ 52.58 करोड़[2] व्यय आधिक्य के समायोजन के परिणामस्वरूप ₹ 6,825.77 करोड़ की कुल बचत हुई।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अनुदान सहायता (अनुदान संख्या 03) प्रावधान का राजस्व शीर्ष के बजाय पूंजीगत शीर्ष में लेखांकन करने से ₹ एक करोड़ का अंतर था। इस महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा इंगित किये जाने (दिसम्बर 2011 एवं जनवरी 2012) पर शासन ने शुद्धि पत्र[3] जारी (जून 2012) कर विसंगति का निराकरण किया ।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 विनियोग की तुलना में आवंटनीय प्राथमिकतायें

विनियोग लेखापरीक्षा का परिणाम यह दर्शाता है कि 15 प्रकरणों से सम्बधित 13 अनुदानों के प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ या अधिक एवं कुल प्रावधानों के भी 20 प्रतिशत से अधिक की सकल अधिक बचत ₹ 1,601.05 करोड़ थी । इसमें शामिल सात अनुदानों के अतंर्गत ₹ 1,325.41 करोड़ की बचत, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की थी जो ***(परिशिष्ट-2.1)***में दिया गया है।

आगे ₹ 6,878.35 करोड़ की कुल बचत के विरूद्ध 13 अनुदानों से सम्बंधित 15 प्रकरणों में ₹ 1,922.34 करोड़ (27.95 प्रतिशत) की बचत (₹ 50 करोड़ एवं अधिक) हुई जैसा कि **तालिका-2.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 2.2 : ₹ 50 करोड़ या अधिक बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	समर्पण	कुल योग (4+5+6)	वास्तविक व्यय	बचत (समर्पण को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		राजस्व दत्तमत						
1	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	580.42	6.72	शून्य	587.14	513.54	73.60
2	24	लोक निर्माण कार्य - सड़के और पुल	361.30	25.00	शून्य	386.30	255.91	130.39
3	33	आदिम जाति कल्याण	973.50	13.07	30.90	955.67	859.35	96.32
4	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	3,018.90	140.81	563.03	2,596.68	2,517.94	78.74
5	44	उच्च शिक्षा	387.49	8.96	शून्य	396.45	257.20	139.25
6	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	303.87	13.88	0.02	317.73	260.03	57.70
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	222.47	23.38	शून्य	245.85	184.96	60.89
8	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,730.15	285.98	107.31	1,908.82	1,790.18	118.64

[2] वित्त विभाग अनुदान सं. 6 से संबंधित व्यय (₹ 3.92 करोड़), आवास एवं पर्यावरण विभाग अनुदान सं. 21 (₹ 45.26 करोड़), लघु सिंचाई निमार्ण कार्य अनुदान सं. 45 (₹ 1.49 करोड़), 20 स्त्रीय कार्यक्रम कार्यन्वयन विभाग अनुदान सं. 50 (₹ 0.08 करोड़), महिला एवं बाजू कल्याण अनुदानं सं. 55 (₹ 1.83 करोड़)

[3] छत्तीसगढ़ शासन पत्र संख्या -256/एल6-3/2009/बजट-4 रायपुर दिनांक 11 जून 2012

[3] छत्तीसगढ़ शासन पत्र संख्या -256/एल6-3/2009/बजट-4 रायपुर दिनांक 11 जून 2012

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		पूर्जीगत दत्तमत						
9	24	लोक निर्माण कार्य - सड़के और पुल	620.56	27.72	शून्य	648.28	401.92	246.36
10	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	54.39	शून्य	शून्य	54.39	0.45	53.94
11	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सडकें और पुल	397.83	शून्य	शून्य	397.83	165.12	232.71
12	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	328.21	0.25	10.07	318.39	129.87	188.52
13	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	306.77	57.77	0.12	364.42	100.80	263.62
14	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन	104.92	21.57	शून्य	126.49	69.39	57.10
15	76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	180.00	2.00	शून्य	182.00	57.44	124.56
		कुल योग	9,570.78	627.11	711.45	9,486.44	7,564.10	1,922.34

(स्त्रोतः विनियोग लेखे 2011-12)

राज्य शासन से बचत के कारणों की जानकारी मांगी गई थी (मई 2012) एवं उनका जवाब अपेक्षित (नवम्बर 2012) था।

2.3.2 निरन्तर बचत

अवधि 2007-08 से 2011-12 के दौरान, 12 प्रकरणों (11 अनुदानों) में प्रत्येक में ₹ 10 करोड़ से अधिक की लगातार बचत हुई जैसा कि **(तालिका-2.3)** में दर्शाया गया है यह बचत वर्ष 2011-12 में कुल संबंधित अनुदानों के दो से 72 प्रतिशत के मध्य रही जो दर्शाता है कि यथार्थवादी बजट नहीं बनाया गया था।

तालिका 2.3: 2007-2012 के दौरान निरन्तर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	बचत की राशि						
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 के दौरान कुल प्रावधान	2011-12 का बचत प्रतिशत
राजस्व दत्तमत									
1	10	वन	20.40	44.11	23.62	34.10	12.01	630.93	2
2	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20.29	21.92	16.82	18.10	13.16	314.44	4
3	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	238.89	258.32	212.90	295.37	78.74	3159.71	2
4	44	उच्च शिक्षा	27.67	38.12	100.21	34.35	139.25	396.45	35
5	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	46.44	29.82	151.19	165.61	42.91	681.24	6
6	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	116.76	80.44	60.64	117.25	37.19	1162.26	3
7	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	50.77	82.07	39.77	48.81	60.89	245.85	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पूजींगत दत्तमत									
8	24	लोक निर्माण कार्य - सड़के और पुल	55.79	135.42	124.04	40.93	2,46.36	648.28	38
9	41	आदिम जाति क्षेत्र उपयोजना	69.34	116.26	117.83	33.22	30.98	1469.81	2
10	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य--सडकें और पुल	74.89	139.91	133.50	115.70	232.71	397.83	58
11	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	49.66	53.31	52.14	57.55	263.62	364.55	72
12	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य--भवन	39.30	75.45	73.92	38.92	57.10	126.49	45

(स्त्रोतः संबंधित वर्षो के विनियोग लेखे)

2.3.3 विगत वर्षो (2000-11) से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य शासन के लिए यह बाध्यकारी है कि अनुदान/विनियोग के व्यय आधिक्य को राज्य विधानमंडल से अनुमोदन प्राप्त कर नियमित करा लिया जावे। तथापि 2000-11 के वर्षो में राशि ₹ 1,635.38 करोड़ के व्यय आधिक्य को अभी तक नियमित (नवम्बर 2012) कराया जाना था जैसा कि ***परिशिष्ट-2.2*** में दिया गया है ।

2.3.4 वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय का वांछित नियमितीकरण

वर्ष 2011-12 के दौरान, 24 अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 498.09 करोड़ की निधियों का प्रावधान से कुल आधिक्य का सारांश **तालिका-2.4** में दिया गया है। जिनका संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमितीकरण कराया जाना आवश्यक है ।

तालिका 2.4: 2011-12 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य का वांछित नियमितीकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान क्र.	अनुदान/विभाग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग (समर्पण के अतिरिक्त)	वास्तविक व्यय	आधिक्य राशि
1	2	3	4	5	6
राजस्व दत्तमत					
1	1	सामान्य प्रशासन	83.27	83.72	0.45
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	8.65	9.12	0.47
3	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1,706.60	1,917.07	210.47
4	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	171.71	188.26	16.55
5	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	91.37	95.18	3.81
6	17	सहकारिता	79.97	81.32	1.35
7	18	श्रम	27.56	27.67	0.11
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	17.71	18.21	0.50
9	22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय निकाय	2.57	2.69	0.12
10	23	जल संसाधन विभाग	278.85	284.77	5.92
11	27	स्कूल शिक्षा	2,152.31	2,174.07	21.76
12	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	115.28	116.61	1.33

1	2	3	4	5	6
13	34	समाज कल्याण	31.00	31.78	0.78
14	40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	4.51	4.55	0.04
15	43	खेल और युवा कल्याण	15.62	15.65	0.03
16	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	41.82	45.48	3.66
17	50	बीस सूत्रीय कार्यन्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	1.69	1.77	0.08
18	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	7.54	7.69	0.15
19	66	पिछडा वर्ग कल्याण	78.14	78.64	0.50
20	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	959.38	980.49	21.11
21	83	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	20.87	22.18	1.31
राजस्व भारित					
22	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	19.49	19.52	0.03
पूँजीगत दत्तमत					
23	6	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	14.22	18.14	3.92
24	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	255.81	393.31	137.50
25	23	जल संसाधन विभाग	282.43	310.94	28.51
26	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	278.13	313.79	35.66
27	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	9.07	9.20	0.13
28	55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	9.45	11.28	1.83
29	80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	0.15	0.16	0.01
		योग	**6765.17**	**7263.26**	**498.09**

(स्त्रोत - विनियोग लेखे 2011-12)

प्रावधान से अधिक व्यय के कारणों की जानकारी राज्य शासन से मांगी गई थी (मई 2012) एवं उनका जवाब अपेक्षित है (नवम्बर 2012)।

2.3.5 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

वर्ष 2011-12 के दौरान 48 प्रकरणों में सकल (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) ₹ 1,448.71 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय की गई राशि मूल प्रावधान राशि के स्तर तक भी नही हुई थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3*** में दिखाया गया है।

कुल 16 प्रकरणों में ₹ 422.13 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान व्यय आधिक्य की पूर्ति के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड से अधिक का व्यय आधिक्य था, इस प्रकार ₹ 340.70 करोड़ का व्यय आधिक्य का नियमितीकरण शेष था जिसका विवरण ***परिशिष्ट 2.4*** में दिया गया है।

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन एक ही अनुदान के तहत् जहाँ एक विनियोग इकाई में बचत की संभावना है से दूसरी इकाई में जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, में निधियों का अन्तरण है।

हमने देखा कि 160 योजनाओं में देखा गया कि पुनर्विनियोजन के पश्चात् भी ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत/आधिक्य व्यय था, जिसमें से 17 योजनाओं में

बचत/आधिक्य व्यय ₹ 20 करोड़ से भी अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5*** में वर्णित है। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित निर्धारण नहीं किया, पुनर्विनियोजन के माध्यम से निधियों के आहरण/संवर्धन के उपरांत भी अनुदानों में अन्ततः बचत/आधिक्य व्यय हुआ।

2.3.7 सारभूत समपर्ण

कुल 255 योजनाओं के अन्तर्गत, योजना को लागू नही किये जाने अथवा योजनाओं/कार्यक्रमों को धीमी गति से लागू किये जाने के कारण सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किया गया। इन योजनाओं में ₹ 3,653 करोड़ के कुल प्रावधान में से, ₹ 3,020.90 करोड़ (82.70 प्रतिशत) समर्पित किये गये थे जिनमें 102 योजनाओं में शत प्रतिशत समर्पण था। यह इंगित करता है कि बजट यथोचित दुरदर्शिता के साथ नही बनाया गया था। विवरण ***परिशिष्ट 2.6*** में दिया गया है।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक समपर्ण

कुल 13 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशि समर्पित की गई जो इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का द्योतक था। ₹ 937.71 करोड़ की बचत के विरूद्ध ₹ 1,286.77 करोड़ के समर्पण के परिणामस्वरूप ₹ 349.06 करोड़ का अधिक समर्पण किया गया। विवरण ***परिशिष्ट 2.7*** में दिया गया है। सबंधित विभागों द्वारा वास्तविक बचत से ज्यादा समर्पण के कारण/स्पष्टीकरण (नवम्बर 2012) प्रस्तुत नही किये गये।

2.3.9 प्रत्याशित बचत समर्पित नही करना

वर्ष 2011-12 के अन्त में 19 अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ एक करोड से अधिक की बचत थी लेकिन इसका कोई भी अंश संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नही किया गया। इन प्रकरणों में शामिल कुल राशि ₹ 1,324.84 करोड़ (कुल बचत ₹ 6,878.35 करोड़ का 19.26 प्रतिशत) थी जैसा कि ***परिशिष्ट- 2.8*** में वर्णित है।

इसी प्रकार 21 अन्य अनुदानों के अधीन ₹ 3,709.22 करोड़ की कुल बचत में से (समर्पण के पश्चात, प्रत्येक अनुदान में ₹ एक करोड़ या इससे अधिक की बचत) कुल राशि ₹ 1,130.42 करोड़ (उपरोक्त बचत का 30.48 प्रतिशत) समर्पित नहीं किया गया, जैसा कि विवरण ***परिशिष्ट 2.9*** में है।

इसके अलावा, कुल 32 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में निधियों का समर्पण ₹ 10 करोड़ से अधिक) ₹ 3,832.17 करोड़ का समर्पण मार्च 2012 के अन्तिम दिवस को किया गया जैसा कि ***परिशिष्ट 2.10*** में वर्णित है। यह अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण एवं परिणामस्वरूप निधियों के अवरूद्ध होने से वैकल्पिक विकासीय उद्देश्यों के लिए निधियों की अनुपलब्धता का द्योतक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस को बचत समर्पण किये जाने के संबन्ध में विभागों द्वारा कोई कारण/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.3.10 अविवेकपूर्ण समर्पण

दो अनुदानों (अनुदान संख्या 45 एवं 21) में ₹ 392.04 करोड़ के मूल प्रावधान के विरूद्ध ₹ 438.79 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 46.74 करोड़ का अधिक

व्यय हुआ। इसके बावजूद, इन अनुदानों के अधीन राशि ₹ 94.41 करोड़ का समर्पण किया गया, जो अविवेकपूर्ण था। विवरण **तालिका -2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: अविवेकपूर्ण समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	व्यय आधिक्य	समर्पित राशि
1	2	3	4	5	6	7
अ-राजस्व दत्तमत						
1	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	43.99	45.48	1.48	2.17
ब- पूँजीगत दत्तमत						
2	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय	348.05	393.31	45.26	92.24
		कुल योग	392.04	438.79	46.74	94.41

(स्त्रोतः विनियोग लेखे 2011-12)

2.3.11 व्यय का अतिरेक

व्यय के अतिरेक से, खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिये। इसके विपरीत, 35 मुख्यशीर्षो में व्यय, वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान व्यय वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक एवं प्रत्येक प्रकरण में व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक हुआ था, जबकि 20 प्रकरणों में वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के दौरान हुआ व्यय वित्तीय वर्ष के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.11*** में दर्शाया गया है।

2.4 चयनित अनुदानो की समीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान संख्या 21-आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बन्धित व्यय एवं अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय की समीक्षा में प्रकट हुआ कि :-

2.4.1 प्रावधान से अधिक व्यय

2011-12 के दौरान अनुदान संख्या 44 के अधीन कुल प्रावधान ₹ 10.10 लाख के विरूद्ध ₹ 10.98 लाख का व्यय किया गया जिसके परिणामतः ₹ 0.88 लाख (8.75 प्रतिशत) का अधिक व्यय हुआ। इसका उल्लेख (सितम्बर 2012) किये जाने पर, संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा विभाग ने जवाब (सितम्बर 2012) में कहा कि शाखाओं से सूचना मंगायी गई है। अन्तिम जवाब अपेक्षित है (नवम्बर 2012)।

2.4.2 अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान

अनुदान संख्या-44 (2202-03-104-0101-3444 कालेजों को संधारण अनुदान) के अन्तर्गत ₹ 130 लाख का प्रावधान किया गया था एवं वर्ष के दौरान अनुपूरक प्रावधान ₹ 36 लाख का भी किया गया। तथापि वर्ष 2011-12 के अंत में, राशि ₹ 60 लाख अव्ययित रही जो अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान का द्योतक है यह इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर विभाग ने तथ्य स्वीकार किया (सितम्बर 2012) लेकिन अविवेकपूर्ण अनुपूरक प्रावधान के कारण प्रस्तुत नहीं किया।

2.4.3 विभागीय व्यय के आंकडो का पुनर्मिलान न किया जाना

वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देश (अगस्त, 2010) के अनुसार विभाग द्वारा विभिन्न लेखा शीर्षो के अधीन दर्ज अपने व्यय के आंकडों को निश्चित रूप से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आंकडों से पुनर्मिलान किया जाना चाहिये।
अनुदान संख्या 44 की समीक्षा में देखा गया कि निम्नलिखित शीर्षो के अन्तर्गत प्रस्तुत विभागीय आंकडों का पुनर्मिलान नहीं किया गया जैसा कि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.6 व्यय का पुनर्मिलान न किया जाना

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	महालेखाकार (ले. एवं ह.) के अनुसार व्यय	विभाग के अनुसार व्यय	अन्तर आधिक्य (+) बचत (-)
2202-03-001-3443 उच्च शिक्षा	250.09	250.54	(+) 0.45
2202-03-001-701-3753 एन एस एस	308.60	307.14	(-) 1.46
2202-03-103-798- कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज	14179.93	13441.80	(-)738.13
2202-03-103-0101-798- कला, विज्ञान एवं वाणिज्य कालेज	3286.34	2920.27	(-) 366.07
योग	**18024.96**	**16919.75**	**(-) 1105.21**

(स्त्रोत - विनियोग लेखे 2011-12 एवं विभागीय आकडे)

इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर, संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग ने कहा (सितम्बर 2012) कि बजट अनुभाग में कर्मियों की कमी के कारण पुनर्मिलान नहीं किया जा सका। आगे यह कहा कि विभागीय आंकड़े विभिन्न कालेजों से प्राप्त आंकड़ो के हस्त संकलन पर आधारित है एवं इसलिए गलती की सम्भावना हो सकती है।

2.4.4 व्यय का अतिरेक

व्यय की अधिकता से, खासकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में बचना चाहिये। अनुदान संख्या 44 की समीक्षा में प्रकट हुआ कि उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित निम्नांकित दो शीर्षो में 98 से 100 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग मार्च माह में किया जैसा कि **तालिका-2.7** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.7 व्यय का अतिरेक

(₹ लाख में)

लेखा शीर्ष	कुल व्यय	*2011-12 के दौरान व्यय*		*2011-12 दौरान व्यय का प्रतिशत*	
		अंतिम तिमाही	मार्च	अंतिम तिमाही	मार्च
2202-03-103-0101-4120 यू जी सी की सहायता से शासकीय कालेजों के विकास के लिए संधारण व्यय	2	2	2	100	100
2202-03-103-0101-5671- बी पी एल बुक बैंक योजना	28.28	28.28	27.78	100	98.23

(स्त्रोत - विभागीय आंकड़े)

इंगित करने पर विभाग ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में किये व्यय के संबंध में कोई विशेष जवाब (नवम्बर 2012) नहीं दिया।

2.4.5 स्फीत बजट प्रावधान एवं बचत का समर्पण न होना

वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अथवा उसका कोई हिस्सा जिसकी आवश्यकता नही है या बचत की संभावना है, व्यपगत होने से पूर्व विभाग द्वारा समर्पित कर दिया जाना चाहिये।

अनुदान संख्य-44 की समीक्षा के दौरान देखा गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 1.96 करोड़ का बजट प्रावधान निम्नलिखित लघु शीर्ष के अन्तर्गत किया गया था, जिसके विरूद्ध शत प्रतिशत बचत हुई। तथापि, उच्च शिक्षा विभाग ने ₹ 1.96 करोड़ की बचत को समर्पित नही किया जैसा कि **तालिका- 2.8** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.8 अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत अव्ययित प्रावधान एवं समर्पित नही करना

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	व्यय	बचत प्रतिशत
2202-03-102-0101-6891-छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी	10.00	शून्य	100
2202-03-102-0161-7483-कौशल विकास योजना	10.00	शून्य	100
2202-03-102-0101-7484-बिलासपुर विश्वविद्यालय	100.00	शून्य	100
2202-03-104-0101-5715-प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु कोचिंग संस्थान	50.00	शून्य	100
2202-03-800-0101-5550-निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियामक आयोग	25.00	शून्य	100
2202-05-102-0801-5716-हिन्दी ग्रंथ अकादमी	1.00	शून्य	100
योग	196.00		

(स्त्रोत - विनियोग लेखे एवं विभागीय आंकडे)

इंगित करने (सितम्बर 2012) पर, संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा विभाग ने कहा (सितम्बर 2012) कि छत्तीसगढ़ साहित्य एकादमी एवं बिलासपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना नही होने, हिन्दी ग्रंथ अकादमी एवं निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए शासन द्वारा निधियाँ जारी नही करने तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु कोचिंग संस्थान स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हो सका। किन्तु, कौशल विकास योजना के संबंध में विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया।

2.4.6 निधि ₹ 50 लाख का अनियमित आहरण

अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (ए.एस.ए.डी.ए) की स्थापना के लिए छत्तीगसढ़ शासन ने मार्च 2011 में आठ पदों की स्वीकृति दी और अनुदान संख्य-21 के अन्तर्गत अनुदान सहायता के रूप में ₹ 50 लाख (आवास एवं नगरीय विकास से संबंधित व्यय) कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के लिए आबंटित किया। स्वीकृति आदेश (मार्च 2011) के अनुसार निधियों का आहरण संचालक, शहरी एवं नगरीय योजना (डी टी सी पी) द्वारा होना था।

हमने देखा कि डी टी सी पी ने प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन को सूचित (जून 2011) किया कि कोषालय से प्राप्त चैक ₹ 50 लाख 31 मार्च 2011 तक बैंक में जमा नही हो सका। कोषाधिकारी ने संयुक्त संचालक (डी.टी.सी.पी) को सूचित किया कि 1 अप्रैल 2011 को चैक व्ययगत हो गया है। तथापि, इसके

उपरान्त मई 2011 में ₹ 50 लाख का एक डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करके राशि का कोषालय से आहरण किया गया।

हमने वर्ष 2010-11 के विनियोग लेखों से आगे देखा कि योजना शीर्ष 7411- विकास प्राधिकरणों को अनुदान के अन्तर्गत संपूर्ण प्रावधान ₹ 50 लाख समर्पित कर दिया। इसी प्रकार, वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों में उक्त योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान ₹ एक करोड़ समर्पित कर दिया था। तथापि, राशि ₹ 50 लाख को व्यय के रूप में भी दिखाया गया यद्यपि उसके लिए कोई बजट प्रावधान नही था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011-12 में एक डुप्लीकेट बिल के माध्यम से राशि ₹ 50 लाख का मई 2011 में अनियमित आहरण था।

इंगित किये जाने (सितम्बर 2012) पर सहायक संचालक (स्थापना), शहरी एवं नगरीय योजना ने कहा (सितम्बर 2012) कि कोषालय द्वारा जारी चैक को बैंक में 31 मार्च 2011 को जमा नही कराया जा सका। बाद में, 30 मई 2011 को डुप्लीकेट बिल के माध्यम से कोषालय से निधि का आहरण किया और ए एस ए डी ए के खाते में जमा किया गया।

तथापि, जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 2011-12 में बिना किसी बजट प्रावधान के राशि ₹ 50 लाख का आहरण किन परिस्थितियों में किया गया।

2.4.7 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नही करना

छत्तीगसढ़ राज्य वित्तीय संहिता के नियम 182 एवं 229 (एफ) में प्रावधान है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रदत्त अनुदानों के लिए अनुदान ग्रहीता संस्थाओं से विभागीय अधिकारियों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहिए एवं सत्यापन उपरान्त स्वीकृति तिथि से 18 माह के भीतर, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित करना चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान देखा गया कि अवधि 2009-11 के दौरान अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत, सकल राशि ₹ 2.15 करोड़ अनुदान के रूप में दो विश्वविद्यालयों, आठ तदर्थ कालेजों एवं एक हिन्दी ग्रंथ अकादमी को दिया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** में दिखाया गया है। तथापि, उक्त वित्तीय नियमों में उल्लेख होने पर भी, 2009-10 से आज तक (सितम्बर 2012) अनुदान से उपयोगिता प्रमाण पत्र (11) को प्राप्त नहीं किये गये ।

इंगित करने (सितम्बर 2012) पर संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा विभाग ने कहा (सितम्बर 2012) कि अनुदान ग्रहीताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्र मंगायी गई हैं, एवं प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी । तथापि, आगामी जवाब अपेक्षित है (नवम्बर 2012)।

2.4.8 साधारण प्राप्ति बिल कार्मो पर अनुदान सहायता का आहरण

छत्तीगसढ़ शासन द्वारा अंगीकृत मध्यप्रदेश कोषालय संहिता (एम पी टी सी) के नियम 426 के अनुसार अनुदान सहायता राशि का आहरण फार्म संख्या एम पी टी सी 46 पर करना चाहिए। आगे छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता के नियम 182 में भी उल्लेख है कि विशेष उद्देश्य के लिए अनुदान सहयता के तहत् प्रदत्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण

पत्रों (यू सीज) को विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान ग्रहीता से प्राप्त करना चाहिये एवं स्वीकृति तिथि से जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, 18 माहों के अन्दर जाँच करने के उपरान्त महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ को अग्रेषित करना चाहिए।

आगे, एम पी टी सी के नियम 282 के अनुसार शासकीय अधिकारी जिसे आकास्मिक व्यय का भुगतान करना है, वह स्थायी अग्रिम से भुगतान साधारण प्राप्ति बिल फार्म (एम पी टी सी 76) पर कर सकता है। संचालक शहरी एवं नगरीय योजना एवं आयुक्त, उच्च शिक्षा के अभिलेखों की हमारी समीक्षा (अगस्त एवं सितम्बर 2012) पर प्रकट हुआ कि वर्ष 2011-12 के दौरान अनुदान संख्या 21 एवं 44 में अनुदान सहायता (उद्देश्य शीर्ष-14[4]) राशि ₹ 2.02 करोड़ स्वीकृत हुआ तथापि, फार्म संख्या एम पी टी सी-76 पर आहरण किया। चूंकि निधियों की स्वीकृति अनुदान सहायता के रूप में थी, इसका आहरण फार्म संख्या एम पी टी सी-46 पर होना चाहिये, लेकिन दो विभागों ने उक्त राशि का आहरण फार्म संख्या एम पी टी सी-76 पर किया, ताकि महालेखाकार (ले. एवं हक.) छत्तीसगढ़ को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के दायित्व से बच सके। फार्म संख्या एम पी टी सी-76 पर साधारण प्राप्ति बिल से आहरित ₹ 2.02 करोड़ का विवरण **तालिका-2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9 - अनुदान संख्या-21 एवं 44 के अन्तर्गत साधारण प्राप्ति बिलों (एम पी टी सी-76) पर निधियों का अनियमित आहरण का विवरण

(₹ करोड में)

मुख्य शीर्ष	अनुदान संख्या	वाऊचर सं./माह	राशि
2217-05-800-0101-7411-14-012	21	5/2011	0.50
2217-01-051-1201-7334-14-012	21	7/2011	0.15
2217-01-051-1201-7334-14-012	21	1/2012	0.07
2202-03-104-3444-14-002	44	1/2012	0.22
2202-03-103-101-798-14-012	44	1/2012	0.01
2202-03-104-0101-3444-14-001	44	2/2012	0.36
2202-03-104-0101-3444-14-001	44	3/2012	0.65
2202-03-104-0101-3444-14-001	44	3/2012	0.05
2202-03-103-0101-798-14-012	44	2/2012	0.01
योग			2.02

इसे इंगित करने (अगस्त 2012) पर, संयुक्त संचालक (वित्त),उच्च शिक्षा विभाग ने कहा (सितम्बर 2012) कि संबंधित कालेजों द्वारा बिल तैयार कर एवं संबंधित कोषालयों से आहरण किया गया। सहायक संचालक (स्थापना), टी.सी.पी, ने गलती को स्वीकारते हुए कहा (अगस्त 2012) कि भविष्य में अनुपालन किया जावेगा।

[4] प्रयोजना शीर्ष-14 अनुदान सहायता का प्रतिनिधित्व करता है।

2.5 बजट अनुमान तैयार करना

2.5.1 प्रस्तावना

प्रति वर्ष वित्त विभाग सम्बन्धित विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष में, निधियों की आवश्यकता से संबंधित आंकड़े एवं आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी करता है। वित्त विभाग द्वारा जारी निर्दशों के अनुसार विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारी प्रत्येक लेखा शीर्ष के लिए बजट अनुमानों को तैयार कर उसे वित्त विभाग को अन्तिम रूप देने के लिए प्रेषित करते है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर, वित्त विभाग, राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत करने हेतु बजट अनुमान तैयार करता है।

राज्य स्तर पर बजट अनुमानों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में आकस्मिक चयनित चार प्रशासनिक विभागों (उच्च शिक्षा, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, लोक निर्माण एवं कृषि विभागों) से एकत्र (नवम्बर 2012) सूचना के विश्लेषण पर निम्निलिखित प्रकट हुआ -

2.5.2 यथार्थ बजट न बनाना

छत्तीसगढ़ द्वारा अंगीकृत मध्यप्रदेश बजट मैन्यूअल के पैरा 25 के अनुसार, स्वीकृत पदों की अपेक्षा, आगामी वर्ष में सेवा पर रहने वाले संभावित अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं उनके द्वारा आहरित किये जाने वाला संभवतः वास्तविक वेतन पर होने वाले संभावित व्यय के आधार पर अनुमानों को बनाना चाहिये।

तीन विभागों (उच्च शिक्षा, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति विकास एवं कृषि विभागों)[5] द्वारा प्रस्तुत आंकडों के विश्लेषण पर प्रकट हुआ कि इन तीन विभागों के वेतन भत्तों के बजट अनुमान, स्वीकृत पदों के आधार पर बनाये गये थे जिसके परिणामतः राशि ₹ 104.68 करोड़ का समर्पण हुआ ।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग ने कहा (नवम्बर 2012) कि वेतन भत्तों के लिए बजट, वास्तविक मौजूद कर्मियों के आधार पर बनाया था। आदिवासी विकास विभाग का जवाब उनके द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए महालेखाकार (ले. एवं हक.) छत्तीगसढ़, को प्रस्तुत समर्पण विवरण में दी गई स्थिति के अनुरूप नहीं था, जो रिक्त पदों को नहीं भरने से वेतन एवं भत्ते शीर्ष के अन्तर्गत अत्यधिक समर्पण को दर्शाता है।

2.5.3 विभागीय अनुमानों को तैयार करने के लिए नियंत्रक सिद्धान्तों का अनुपालन न होना

छत्तीसगढ़ द्वारा अंगीकृत एम पी बजट मैन्यूअल के पैरा 20 के अनुसार विगत तीन वर्षो के वास्तविक के औसतन के आधार पर आगामी वर्ष का बजट तैयार होना चाहिये। तथापि, व्यय के लिए विगत वर्ष के चार माहों के दौरान किये व्यय एवं वर्तमान वर्ष के आठ माहों के आधार पर बजट अनुमान तैयार किये गये। व्यय के लिए चार विभागों के बजट अनुमानों के विश्लेषण से व्यापक अन्तर प्रकट हुआ जो अनुमानों का अवास्तविक तौर पर तैयार किया जाना दर्शाता है जैसा कि नीचे **तालिका 2.10** में दिखाया गया है।

[5] लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी

तालिका 2.10 अनुमानित व्यय की तुलना में वास्तविक व्यय में अंतर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित व्यय	वास्तविक व्यय	अंतर का प्रतिशत (-/+)
कृषि विभाग			
2007-08	302.15	206.12	-32
2008-09	446.28	353.15	-21
2009-10	552.06	417.79	-24
2010-11	897.10	746.06	-17
2011-12	885.36	685.75	-23
आदिम जाति विकास विभाग			
2007-08	1383.72	1249.98	-10
2008-09	1697.92	1406.74	-17
2009-10	2018.05	1837.23	-9
2010-11	2464.35	2205.08	-11
2011-12	2957.75	2581.04	-15
लोक निर्माण विभाग			
2007-08	1976.86	1752.95	-11
2008-09	2186.12	1670.44	-24
2009-10	1996.88	1554.67	-22
2010-11	1840.59	1508.58	-18
2011-12	2356.95	1346.22	-43
उच्च शिक्षा विभाग			
2007-08	153.09	73.89	-52
2008-09	152.27	102.11	-33
2009-10	189.37	136.43	-28
2010-11	248.84	314.11	+26
2011-12	444.57	246.16	-45

(स्त्रोत - विभागों से एकत्र सूचना)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2007-12 के दौरान उपरोक्त चार विभागों से संबंधित बजट अनुमानों एवं वास्तविक व्यय में अंतर प्रतिशतता 9 से 52 प्रतिशत सीमा के मध्य थी, जो अवास्तविक बजट बनाने का द्योतक है।

2.6 निष्कर्ष

2011-12 के दौरान, कुल ₹ 36,044 करोड़ के अनुदानों एवं विनियोगों के विरूद्ध ₹ 29.218 करोड़ व्यय किया गया, परिणामतः ₹ 6,826 करोड़ की बचत हुई। ₹ 6,878 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 52.58 करोड़ के आधिक्य के समायोजन के उपरान्त परिणामतः कुल मिलाकर बचत हुई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत किये व्यय आधिक्य का नियमितीकरण अपेक्षित था।

13 प्रकरणों में, कुल राशि ₹ 349 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक समर्पण किया। 19 अनुदानों एवं एक विनियोग में बचत राशि ₹ 1,325 करोड़ का समर्पण नही किया गया जबकि 32 प्रकरणों में निधियाँ राशि ₹ 3,832 करोड़ का समर्पण वर्ष के अन्तिम दिवस में किया गया। इसी प्रकार, 21 अन्य अनुदानों के अन्तर्गत कुल ₹ 3,709 करोड़ की बचत में से केवल ₹ 2,579 करोड़ ही समर्पित किये गय। ₹ 46.74 करोड़ के व्यय आधिक्य के बावजूद दो अनुदानों में ₹ 94.41 करोड़ का समर्पण किया गया। बजट प्रावधान की 2011-12 के दौरान अनुदान संख्या 44 के अन्तर्गत शत प्रतिशत बचत ₹ 1.96 करोड़ उच्च शिक्षा विभाग ने समर्पित नहीं की थी। दो विभागों ने अनुदान सहायता ₹ 2.02 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता से बचने के लिए आहरण साधारण प्राप्ति फार्मो पर किया।

2.7 अनुशंसाएं

- सभी सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ किया जाना चाहिये। वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्विनियोजन/समर्पण आदेशों एवं अत्याधिक बचत/आधिक्यों से बचने के लिए बजट अनुमानों को वास्तविक बनाया जाना चाहिये।
- वित्तीय वर्ष के अन्तिम समय में व्यय के अतिरेक से बचने के लिए, व्यय के नियमित प्रवाह को बनाये रखना चाहिये।
- वर्ष 2000-01 से लंबित व्यय आधिक्य का नियमितीकरण प्राथमिकता से कराया जाना चाहिये।

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

तीसरा अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

एक सुसंगत तथा विश्वसनीय सूचनाओं सहित एक स्वस्थ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य शासन के कुशल एवं प्रभावी प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ साथ एवं ऐसे अनुपालनों की स्थिति पर प्रतिवेदनों की सामयिकता एवं उनकी गुणवत्ता अच्छे शासन की एक विशेषता है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं प्रचालन में रहे तो राज्य शासन को इससे महत्वपूर्ण योजना बनाने तथा निर्णय लेने जैसे आधारभूत दायित्वों, को पूरा करने में मदद मिलती है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के राज्य शासन के अनुपालन की स्थिति एवं विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है ।

3.1 स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों की स्थिति

राज्य में 30 स्वायत निकाय है जिसमें से दो स्वायत्त निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है। लेखापरीक्षा को सौंपने तथा स्वायत्त निकायों द्वारा प्रस्तुत लेखों की स्थिति नीचे **तालिका 3.1** में दी गई है।

तालिका 3.1 लेखे प्रस्तुत करने की स्थिति

निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जहाँ तक लेखे प्रस्तुत किये
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	2004-05 से 2009-10 एवं 2007-08 से 2011-12	सितम्बर 2012 तक कोई लेखे प्रस्तुत नही किये
छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण	2007-08 से 2011-12	सितम्बर 2012 तक कोई लेखे प्रस्तुत नहीं किये

इस प्रकार, कुल 13 लेखे छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (8) एवं छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (5) से बकाया है। लेखे प्रस्तुत नही करने से लोक धन के कपट एवं रिसाव की संभावना रहती है।

3.2 गबन, हानियाँ, व्यपहरण आदि

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमों के नियम 22 एवं 23 में प्रावधान है कि हानि, गबन एवं व्यपहरण के प्रत्येक प्रकरण महालेखाकार को सुचित किया जाना चाहिये। राज्य शासन द्वारा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रतिवेदित ऐसे कुल 1631 प्रकरणों में शासकीय धन ₹ 16.49 करोड़, 31 मार्च 2012 के अन्त तक फसा हुआ था, जिनका अंतिम अनुसंधान एवं निराकरण अपेक्षित था । ऐसे प्रकरणों का वर्षवार विश्लेषण ***परिशिष्ट-3.1*** में दर्शाया गया है। विभागवार एवं वर्गवार बकाया प्रकरणों का विभाजन ***परिशिष्ट-3.2*** में दिया गया है। बकाया प्रकरणों की वर्षवार स्थिति एवं प्रत्येक श्रेणी में जैसे चोरी, गबन एवं हानि के प्रकरण कितनी संख्या में लम्बित है, इनका **तालिका-3.2** में संक्षिप्तिकरण किया गया है।

तालिका 3.2: गबनों/हानियों/व्यपहरणों इत्यादि की स्थिति

(₹ लाख में)

लम्बित प्रकरणों की वर्षवार स्थिति			बकाया प्रकरणों की प्रकृति		
श्रेणी वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरण की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 - 5	319	508.15	चोरी	195	96.52
5 - 10	314	298.85			
10 - 15	160	321.44	गबन/सामग्रियों की हानि	1436	1552.22
15 - 20	263	237.20			
20 - 25	232	211.33			
25 एवं उसके उपर	343	71.77	कुल लंबित प्रकरण	**1631**	**1648.74**
योग	**1631**	**1648.74**			

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रकरण)

आगे विश्लेषण दर्शाता है कि जिन कारणों से प्रकरण लम्बित है उनको निम्न तालिका में दी गयी पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

तालिका 3.3: गबनों,हानियों,व्यपहरणों आदि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	बकाया/ लम्बित प्रकरण रहने के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	विभागीय एवं फौजदारी अनुसंधान की प्रत्याशा में लम्बित	312	2.79
2	विभागीय कार्यवाही प्रारंभ लेकिन अंतिम तौर पर निर्णीत नहीं	115	0.50
3	फौजदारी कार्यवाही निर्णीत लेकिन राशि की वसूली संबंधी कार्यवाही लम्बित	18	0.11
4	वसूली/अपलेखन के आदेश लम्बित	1126	11.97
5	न्यायालय में प्रकरण लम्बित	60	1.12
	योग	**1631**	**16.49**

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों से प्राप्त जानकारियाँ)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 1631 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही लम्बित है । आगे, 69 प्रतिशत प्रकरण वसूली के आदेश अथवा अपलेखन की प्रतीक्षा में लम्बित है।

3.3 संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों (ए.सी.बिल्स) एवं अस्थायी अग्रिमो की स्थिति

3.3.1 संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों (ए.सी.बिल्स) के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तक देयकों (डी.सी. बिल्स) के लम्बित प्रस्तुतीकरण की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य कोषालय संहिता के नियम 313 के अनुसार प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त नैमित्तिक देयक (ए.सी.बिल्स) में यह प्रमाणित करना होता है कि उनके द्वारा आहरित सभी नैमित्तिक देयकों के लिए विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित देयकों (डी.सी.) को चालू माह के प्रथम दिवस से पूर्व संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) को प्रेषित

करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया हैं। महालेखाकार (ले. एवं हक.) से प्राप्त सूचना के आधार अवधि 2006-2012 के दौरान सकल ₹ 33.59 करोड़ के विस्तृत बिल प्राप्त हुये एवं डी सी बिल्स से आहरण करके सभी बकाया ए.सी. बिलों का 31 मार्च 2012 तक निपटान कर दिया है। वर्षवार विवरण **तालिका-3.4** में दिया गया है।

तालिका 3.4: संक्षिप्त नैमित्तिक देयकों (ए.सी.बिल्स्) के विरूद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित नैमित्तिक देयकों का लम्बित प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान आहरित ए.सी.बिल्स्		वर्ष के दौरान प्रस्तुत डी.सी. सी. बिल्स		बकाया ए.सी. बिल्स्	
	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि	देयकों की संख्या	राशि
2006-07	275	2.95	284	5.82	169	1.58	390	7.19
2007-08	390	7.19	98	1.43	3	0.13	485	8.49
2008-09	485	8.49	471	8.70	217	3.78	739	13.41
2009-10	739	13.41	30	0.55	--	--	769	13.96
2010-11	769	13.96	187	7.21	886	16.64	70	4.53
2011-12	70	4.53	208	6.93	278	11.46	-	-
योग			**1278**	**30.64**	**1553**	**33.59**		

(स्त्रोतः- कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त जानकारी)

3.3.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नही होना

छत्तीसगढ़ राज्य वित्तीय संहिता के नियम 53 (4) के अनुसार, अस्थायी अग्रिम का यथासंभव शीघ्र ही समायोजन करा दिया जाना चाहिये एवं किसी भी परिस्थिति में आहरण तिथि से तीन महिने से अधिक का विलंब नही होना चाहिये । आहरण एवं संवितरण अधिकारी (ड्री.डी.ओज्) या तो स्थायी आदेशों के प्राधिकार पर अथवा राज्य सरकार की विशेष स्वीकृतियों के आधार पर आकस्मिक व्यय की पूर्ति के लिए अस्थायी अग्रिमों का आहरण करते हैं ।

महालेखाकार (ले. एवं हक.) से प्राप्त सूचना से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2012 की स्थिति में लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थय एवं यांत्रिकी विभाग तथा जल संसाधन विभाग में डी.डी.ओज् के अस्थायी अग्रिमों के 1391 प्रकरणों में सकल ₹ 1.79 करोड़ का समायोजन लंबित है।

3.4 आकास्मिक निधि से अग्रिम

राज्य के आकास्मिक निधि अधिनियम 2001 अदृष्ट व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से जिस व्यय का राज्य विधान मंडल से विनियोग नियमों के अन्तर्गत अधिकृत किया जाना लम्बित है के अतिरिक्त निधि से कोई अग्रिम नही दिया जावेगा। निधि का प्रचालन एक पेशगी के रूप में किया जाता है, इसकी निकाय सीमा ₹ 40 करोड़ की है । उपरोक्त अधिनियम से दी गयी प्रक्रिया के प्रतिकूल आकस्मिक निधि से निधियों के आहरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दृष्टान्त देखे गये।

1

विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	31 मार्च 2012 को बकाया राशि (₹ करोड़ में)
लोक निमार्ण विभाग	50	0.95
जल संसाधन विभाग	62	0.75
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	27	0.09
योग	**139**	**1.79**

- गत वर्ष के राज्योत्सव के लंबित बिलों का भुगतान करने एवं वर्ष 2011 के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अग्रिम राशि ₹ 2.00 करोड़ स्वीकृत (नवम्बर 2011) किया गया।
- जिला मुख्यालय गरियाबंद एवं बलरामपुर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल भवन निर्माण हेतु राशि ₹ 15 लाख का अग्रिम लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत (अक्टूबर 2011) किया गया।
- राज्य शासन की योजनाओ के प्रभावी क्रियान्वयन एवं गुणवत्ता समीक्षा के परामर्श हेतु राशि ₹ 5.00 लाख का अग्रिम आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग को स्वीकृत (अगस्त 2011) किया गया ।

अतः किया गया व्यय आपात् एवं अदृष्ट प्रकृति का नही कहा जा सकता तथा इनका आकस्मिक निधि से आहरण तर्क संगत नहीं था।

3.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे

छत्तीगसढ़ वित्तीय नियमों के नियम 543 के अनुसार व्यक्तिगत निक्षेप (पी डी) लेखे जो कि वित्त विभाग की पूर्वानुमति से खोले जाते है, की वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बन्द करना होता है। तद्नुसार, राज्य की समेकित निधि को नामें देकर निधियों के जमा करने के लिए बनाये गये व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी) लेखे वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित व्यय शीर्ष को ऋण नामे देकर बंद किया जाना चाहिये ।

हमने देखा कि मार्च 2012 की स्थिति में 19 जिला कोषालयों एवं उप कोषालयों में ₹ 729.22 करोड़ के 143 पी.डी. खातें थे, जिसमें से ₹ 18.09 करोड़ की राशि के 89 पी.डी. खाते तीन वर्ष से भी अधिक समय से संचालित नही हो रहे है । इसमें दो[2] ऐसे पी.डी. खाते शामिल है जिनमें ₹ 1.49 करोड़ एवं ₹ 1.26 करोड़ का अवशेष क्रमशः सितंबर 2003 एवं मार्च 2006 से बिना बदलाव के पड़ा है। असंचालित 89 पी.डी. खातों में से 63, अवधि 1999 से 2001 तक से संबंधित है। इन असंचालित खातों में पड़ी हुई राशि महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संबंधित कोषालयों के 2011-12 के दौरान किये निरीक्षण के दौरान ध्यान में लाये जाने के बाद भी संबंधित सेवा शीर्षो में अंतरित नहीं की गई। अवधिवार असंचालित पी डी खातों का विवरण **तालिका 3.5** दिया गया है:-

तालिका 3.5 - असंचालित पी डी खातों का विवरण

वर्ष	असंचालित पी.डी. खातों की संख्या	राशि (करोड़ में)
3 - 5	14	2.15
5 - 10	28	15.69
10-15	46	0.25
15 वर्ष और उससे अधिक	1	--[3]
योग	89	18.09

(स्त्रोत - महालेखाकार (ले. एवं हक.) के कोषालय निरीक्षण प्रतिवेदन)

व्यक्तिगत निक्षेप खातों में निधियों को रखना और अधिक अवधि से उसका उपयोग नही करना राजस्व व्यय को बढ़ा देता है तथा संसाधनों को अवरूद्ध करता है जिसे विकासात्मक उपयोग परिलाभ के उद्देश्य से अन्यत्र किया जा सकता था।

[2] भू-अर्जन योग अधिकारी राजनांदगाँव (₹1.49 करोड़) एवं इंजिनियरींग कालेज, रायपुर (₹ 1.26 करोड़)

[3] नगण्य राशि (₹ 4,050) होने के कारण पी डी खाते की राशि का उल्लेख नहीं किया

3.6 निष्कर्ष

सितम्बर 2012 तक दो स्वायत्त निकायों के कुल 13 लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत नहीं किये गये। गबन, हानियां एवं व्यपहरण आदि के लंबित 1631 प्रकरणों में से ₹ 2.79 करोड़ के संबद्ध 312 प्रकरणों की विभागीय जांच तथा अपराधिक अन्वेाण प्रारंभ होने की अपेक्षा में लंबित है तथा कुल लंबित प्रकरणों में से ₹ 283.10 करोड़ के संबद्ध 575 प्रकरणों की बकाया 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित है । 31 मार्च 2012 की स्थिति में अस्थायी अग्रिमों की राशि ₹ 1.79 करोड़ के 139 प्रकरण समायोजन हेतु लंबित थे । जो व्यय आकस्मिक प्रकृति के नही थे उनके लिए आकस्मिकता निधि से आहरण किया गया। 143 व्यक्तिगत निक्षेप खातों में से 89 से संबद्ध ₹ 18 करोड़ का संचालन तीन वर्ष अधिक से नही हो रहा है।

3.7 अनुशंसाएं

- गबन, हानियों एवं व्यपहरण आदि से संबद्ध प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही तत्परता से प्रारंभ करना तथा शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- आकस्मिकता निधि से अग्रिमों की स्वीकृति के लिए संहिता प्रावधानों की दृढता से पालन होना चाहिए।
- व्यक्तिगत निक्षेप खातों को वित्तीय वर्ष के अन्त में बंद कर दिया जाना चाहिये तथा असंचालित पी डी खातों की अवशेष राशि को उनके संबंधित सेवा शीर्षों में वापस अंतरित कर दिया जाना चाहिए।

(पूर्ण चन्द्र माझी)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक 25 FEB 2013

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 FEB 2013

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(कंडिका :1.1; पृष्ठ 1के संदर्भ में)

छत्तीसगढ़ राज्य का प्रोफाइल

अ. सामान्य आंकड़े

स.क्र.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1,37,898 वर्ग कि.मी.[5]
2	जन संख्या		
	अ	2001 के जनगणना के अनुसार	2.08 करोड[5]
	ब	2010-11	2.55 करोड[5]
3	अ	जन संख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
	ब	जन संख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व = 382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या[1] (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 27.5 प्रतिशत)		48.70 प्रतिशत[2]
5	अ	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत
	ब	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.0 प्रतिशत)	71.04 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर[3] (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर). (राष्ट्रीय औसत = 47 प्रति 1000 जीवित बच्चे)		51 प्रति 1000 जीवित बच्चे
7	गिनी कोएफीशियेन्ट[4]		
	अ	ग्रामीण (राष्ट्रीय = 0.30)	0.29
	ब	शहरी (राष्ट्रीय = 0.37)	0.43
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद[5] (जी.एस.डी.पी.) 2011-12 के वर्तमान मूल्य के अनुसार		1,35,536.34
9	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2002-03 से 2011-12)		13.09
10	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर. (2002-03 से 2011-12)	छत्तीसगढ़	15.35
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में	14.46
11	जनसंख्या वृद्धि (2002-03 से 2011-12)	छत्तीसगढ़	16.54
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों में	13.90

ब. वित्तीय आंकड़े

विवरण				
सी.ए.जी.आर.		2002-03 से 2011-12		2002-03 से 2011-12
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़
		(आंकडे प्रतिशत में)		
अ	राजस्व प्राप्तियों का	16.86	19.63	18.97
ब	स्वयं के कर राजस्व का	16.74	18.43	18.48
स	कर भिन्न राजस्व का	12.84	18.96	17.42
द	कुल व्यय का	14.58	17.24	17.78
क	पूंजीगत व्यय का	21.25	17.37	19.44
ख	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	15.41	23.71	23.31
ग	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.00	14.59	15.95
घ	वेतन एवं मजदूरी का	13.43	15.95	15.96
प	पेंशन का	16.89	21.13	19.06

स्रोतः राज्य सरकार के वित्तीय लेखा के आधार पर वित्तीय आंकड़े

1 सामान्य आकडों का स्त्रोतः- बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं राट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस. एस.ओ.) के आंकड़े 61वां चक्र)
2 भारत सरकार प्रेस सूचना ब्यरो (2009-10 के लिए गरीबी आंकलन)
3 शिशु मृत्यु दर (सिम्पल रेण्डम सेम्पल (एस.आर.एस.) बुलेटिन जनवरी 2011)
4 गिनी को एफीशिएंट आबादी के बीच आय असमानता का एक माप है । मूल्य दर शून्य से एक है । शून्य के निकट असमानता कम है। एक के निकट असमानता अधिक है। (योजना आयोग के अशासकीय प्राक्कलन एवं राट्रीय प्रादर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) के आंकड़े 61वां चक्र 2004-05 एम.आर.पी.),
5 आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2011-12

परिशिष्ट -- 1.1(अ)

(कंडिका :1.2; पृष्ठ 1के संदर्भ में)

भाग अः सरकारी लेखों की संरचना एवं प्रारूप

सरकार के लेखे की संरचनाः राज्य शासन के लेखे तीन भागों (I) समेकित निधि (II) आकस्मिकता निधि और (III) लोक लेखा में रखे गये हैं।

भाग (I) समेकित निधिः राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनिमय पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण आंतरिक और बाह्य ऋण, और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई हैं।

भाग (II) आकस्मिकता निधिः भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती हैं, इसे अत्यावश्यक अनवेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती हैं। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती हैं।

भाग (III) लोक लेखाः कुछ लेनदेनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं है, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा वोट के अधीन नहीं हैं।

भाग बः वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखों को वर्ष 2011-12 से दो भागों में विभाजित किया गया है।

खण्ड-1 - सारांशीय विवरणी	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण- वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयीत आंकड़े।
2	प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण- वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
3	समेकित निधि में प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
खण्ड-2	
5	प्रगामी पूंजीगत परिव्यय का विवरण- पूंजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ 2011-12 तक का सारांशी विवरण।
6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण- शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत शासन से प्राप्त ऋणों अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
7	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वी के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुर्नभुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
8	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
9	शासन द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण- सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटी।
10	प्रभारित एवं दत्तमत व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किए गए व्यय के भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण।
11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण- राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विवरण।
12	राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण-आयोजना एवं आयोजनेत्तर के अधीन राजस्व व्यय का लेखा लघु शीर्षवार एवं पूंजीगत व्यय का मुख्य शीर्षवार लेखा।
13	पूजीगत व्यय विस्तृत शीर्षवार विवरण-2011-12 के दौरान और इसके अंत तक किए गए पूंजीगत व्यय एवं गत वर्ष के आंकड़े के साथ तुलनात्मक विवरण।
14	सरकार द्वारा किये गए निवेशों का विस्तृत विवरण- 2011-12 के अंत तक सांविधिक निगमों शासकीय कम्पनियों अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंको और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण।
15	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण ।
16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा उधारों का ब्यौरेवार विवरण।
17	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिए अन्य निधियों के स्त्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण
18	आकस्मिकता निधि एवं अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण
19	चिन्हित आरक्षित निधियों के शेषों का विवरण।

परिशिष्ट - 1.2

(कंडिका :1.2; पृष्ठ 1 के संदर्भ में)

राजकोषीय स्थिति के आकलन हेतु अपनाई गई कार्याविधि

यह मानना कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत् राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय आंतरिक ऋण एवं राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलु उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्प्लावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

विगत पाँच वर्षो में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ नीचे दर्शायी गई है

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) में प्रवृत्तियाँ

	2007-08	2008-09	2009-10(P)	2010-11(Q)	2011-12(A)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	80,255.11	96,972.18	99,261.96	1,17,566.74	1,35,536.34
जीएसडीपी का विकास दर (प्रतिशत में)	20.01	20.83	2.36	18.44	15.28

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)

जी.एस.डी.पी. का क्षेत्रवार विवरण

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10(P)	2010-11(Q)	2011-12(A)
प्राथमिक क्षेत्र	26,584.77	29,358.58	29,656.60	37,215.19	41,421.24
द्वितीय क्षेत्र	27,648.79	35,638.11	33,009.17	37,849.69	44,415.53
तृतीय क्षेत्र	26,021.55	31,975.49	36596.19	42,501.86	49,699.57
सकल घरेलू राज्य उत्पाद (जी एस डी पी)	80,255.11	96,972.18	99,261.96	1,17,566.74	1,35,536.34

(स्त्रोतः- छत्तीतगढ़ शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 2011-12 के लिए)

कोठक में दर्शाये गये आकड़े जी एस डी पी का प्रतिशत है ।

नोटः- ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल)

प्राथमिक क्षेत्र -	*कृषि (पशुपालन सहीत) वन, मत्स्य पालन, खनिज एवं उत्खन्न*
द्वितीय क्षेत्र -	*उत्पादन,(पंजीकृत एवं अपंजीकृत), निमार्ण, विद्युत, गैस, एवं जल वितरण*
तृतीय क्षेत्र -	*रेल परिवहन अन्य साधन द्वारा, भंडारण, संचार, व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, बैंक, बीमा एवं रियल स्टेट, सामूदायिक एवं वैयक्तिक, अन्य सेवायें*

राजकोषीय समूहों के नमूने एवं प्रचलनों के आंकलन में उपयोग में लाये गये कुछ चयनित शब्दों की परिभाषा नीचे दी गयी है।

शब्द	संगणना के आधार
उत्प्लावकता का माप सूचक	मापसूचक की वृद्धि दर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर
मापसूचक की उत्प्लावकता (X) अन्य मापसूचक के संदर्भ में (Y)	मापसूचक (X) की वृद्धि दर/ मापसूचक (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष की राशि/ पिछले वर्ष की राशि)- 1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ + आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान/[पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं/2]* 100
ब्याज वितरण	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - औसत ब्याज दर
अंश वितरण	ऋण स्टाक* ब्याज वितरण
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	ब्याज प्राप्ति [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]* 100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ (-) सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग

परिशिष्ट- 1.3

(कंडिका: 1.2, 1.4 एवं 1.5.1 पृष्ठ 1,10 एवं 16 के संदर्भ में)

राज्य शासन के वित्त के समय श्रंखला आंकड़ों का एक विश्लेषण

(₹ करोड़ में))

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग - अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**13,879(95)**	**15,663(95)**	**18,154(89)**	**22,720(94)**	**25,867(94)**
(i) कर राजस्व	**5,618(40)**	**6,594(42)**	**7,123(39)**	**9,005(40)**	**10,712(41)**
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3,024(54)	3,611(55)	3,712(52)	4,841(54)	6,006 (56)
राज्य आबकारी	843(15)	964(15)	1,188(17)	1,506(17)	1,597(15)
वाहन पर कर	277(5)	314(5)	352(5)	428(5)	502(5)
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	463(8)	496(8)	583(8)	786(9)	846(8)
भूमि राजस्व	88(2)	359(5)	160(2)	247(3)	271(3)
सामग्री एवं यात्रियों पर कर	511(9)	421(6)	696(10)	675(7)	826(7)
अन्य कर	412(7)	429(7)	433(6)	522(6)	665(6)
(ii) कर भिन्न राजस्व	**2,021(15)**	**2,202(14)**	**3,043(17)**	**3,836(17)**	**4,058(16)**
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों मे राज्य का अंश	**4,035(29)**	**4,258(27)**	**4,381(24)**	**5,425(24)**	**6,320(24)**
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	**2,205(16)**	**2,609(17)**	**3,607(20)**	**4,454(20)**	**4,776(18)**
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**27**	**02**	**02**	**02**	**04**
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	**437(3)**	**533(3)**	**992(5)**	**561(2)**	**1,283(5)**
3 (अ) अंतर्राज्यीय समाशोधन	**02**	**01**	**03**	**03**	**02**
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+ 2+ 3)	**14,345**	**16,199**	**19,151**	**23,286**	**27,156**
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**262(2)**	**386(2)**	**1,287(6)**	**795(3)**	**421(2)**
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	142(54)	181(47)	1,064 (83)	592 (74)	365
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	—	..	—	—	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	120(46)	206(53)	223 (17)	203 (26)	57
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	**14,607**	**16,585**	**20,438**	**24,081**	**27,577**
7.आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**--**	**3**	**..**	**01**	**--**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**17,706**	**20044**	**24,512**	**27,524**	**34,161**
9. राज्य शासन की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**32,316**	**36,629**	**44,951**	**51,605**	**61,739**
भाग - ब व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	**10,840(75)**	**13,794(80)**	**17,265(83)**	**19,355(85)**	**22,628(81)**
आयोजना	3,576(33)	5,421(39)	6,817(39)	8,069(42)	10,004(44)
आयोजनेत्तर	7,264(67)	8,373(61)	10,448(61)	11,286(58)	12,624(56)
सामान्य सेवा में (ब्याज भुगतान सहित)	3,040(28)	3,599(26)	4,350(25)	5,247(27)	5,904(26)
सामाजिक सेवायें	4,117(38)	6,153(45)	8,024(46)	8,310(43)	10,477(46)
आर्थिक सेवायें	3,140(29)	3,524(25)	4,423(26)	5,091(26)	5,560(25)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	543(5)	519(4)	468(3)	707(4)	687(3)
11. पूंजीगत व्यय	**3,131(22)**	**2,940(17)**	**2,745(13)**	**2,952(13)**	**4,056(15)**
आयोजना	3,101(99)	2,939(100)	2,745(100)	2,951(100)	4,055(100)
आयोजनेत्तर	30(1)	01	0	01	01
सामान्य सेवायें	107(3)	102(3)	77(2)	53(2)	42(2)
सामाजिक सेवायें	733(23)	708(24)	802(24)	828(24)	989(24)
आर्थिक सेवायें	2,291(73)	2,130(72)	1,866(74)	2,071(74)	3,025(74)
12. ऋण एवं अग्रिमों का वितरण	**500(3)**	**491(3)**	**897(4)**	**567(2)**	**1,269(5)**

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
12. (अ) अंतर्राज्यीय समायोजन	**02**	**01**	**03**	**02**	
13. योग (10+ 11+ 12+ 12(अ))	**14,473**	**17,226**	**20,910**	**22,876**	
14. लोक ऋण की अदायगी	**558 (4)**	**489 (3)**	**652(3)**	**691(3)**	
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	272 (49)	379 (78)	536(82)	555(80)	
अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	—	..	**0**	**0**	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	286 (51)	110 (22)	116(18)	135(20)	
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	—	..	..	..	
16. संचित निधि से संवितरण (13 +14 +15)	**15,031**	**17,715**	**21,562**	**23,567**	
17. आकस्मिकता निधि से संवितरण		**01**	**0**	**0**	
18. लोक लेखा संवितरण	**16,854**	**19585**	**23879**	**26,896**	
19. राज्य द्वारा कुल, सवितरण (16+17+18)	**31,885**	**37,301**	**45,441**	**50,463**	
भाग - स - घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)(1-10) / आधिक्य (+)	(+) 3,039	(+)1,869	(+)888	(+)3,364	
21. राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य (+) (4-13)	(-) 128	(-)1,027	(-)1,759	(+)410	
22. प्राथमिक घाटा (-) / प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(+)1,012	(+) 51	(-)664	(+)1,608	
भाग - द - अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,140	1,078	1,095	1,198	
24. स्थानीय निकायों आदि को आर्थिक सहायता[6]	2,007	2,563	2,889	3,401	
25. अर्थोपाय अग्रिमों/ अधिविकर्ष	-	-	-	-	
लिए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिनों में)	-	-	-	-	
लिए गए अधिविकर्ष (दिनों में)	-	-	-	-	
26. अर्थोपाय अग्रिमों/अधिविकर्ष पर ब्याज	-	-	-	-	
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	80,255.11	96972.18	99261.96[(P)]	117566.74[(Q)]	1,35,536.34
28. बकाया ऋण (वर्षांत)	14,512	14,780	15,937[7]	16,697	
29. बकाया प्रतिभूति (वर्षांत)	481	895	3,338	2,849	
30. प्रतिभूति दी गई अधिकतम राशि (वर्षांत)	2,495	3,650	4,401	5,054	
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	एन.ए.	223	159	77	
32. अपूर्ण परियोजनाआं में अवरूद्ध पूंजी	एन.ए.	1,531	1,115	887	
भाग - इ - राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
1. संसाधनों का प्रचालन					
स्वयं का कर राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)	0.07	0.07	0.07	0.08	
स्वंय का कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी (अनुपात)	0.03	0.02	0.03	0.03	
केन्द्रीय अंतरण/जीएसडीपी (अनुपात)	0.08	0.07	0.08	0.08	
2. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जीएसडीपी (अनुपात)	0.18	0.18	0.21	0.19	0.21
कुल व्यय/ राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.04	1.10	1.15	1.01	1.08
राजस्व व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.75	0.80	0.83	0.85	0.81
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.22	0.17	0.13	0.13	0.15
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.21	0.16	0.13	0.13	0.14
3. राजकोषीय असंतुलनों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जीएसडीपी (अनुपात)	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02
राजकोषीय घाटा(-)/ आधिक्य(+) /जीएसडीपी (अनुपात)	0.00	-0.01	0.01	0.00	-0.01
प्रारंभिक घाटा /आधिक्य/जीएसडीपी (अनुपात)	0.01	0.00	-0.01	0.01	0
राजस्व घाटा/ आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	-23.74	-1.82	0.50	8.21	-4.04
4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/जीएसडीपी (अनुपात)	0.18	0.15	0.16	0.14	0.13
राजकोषीय देनदारियाँ/आरआर (अनुपात)	1.05	0.94	0.88	0.73	0.63
प्रारंभिक घाटे की तुलना में प्रभाव विस्तार (अनुपात)	1.00	0.03	-0.73	0.93	0.29
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ (वापसी)	एन.ए.	एन.ए.	0.44	4.30	0.04
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	5,028	5,413	5,682	8,377	10113
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.10	1.24	1.25	1.43	1.60

नोटः 1. जी.एस.डी.पी. आंकड़ों में बदलाव के कारण आकड़े में बदलाव के कारण

2. ए (एडवांस) क्यू (क्विक) पी (प्राविजनल) 3. एन.ए.- उपलब्ध नहीं

6 स्त्रोतः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे 2011-12, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट छत्तीसगढ़ राज्य 2011-12 ।

7 राज्य के जी एस डी पी और प्रोफार्मा सुधार हेतु आंकड़ों में बदलाव ।

परिशिष्ट- 1.4

(कंडिका: 1.2.1, 1.4 एवं 1.8.1, पृष्ठ 2, 12 एवं 28 के संदर्भ में)

भाग अ: वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार)

(₹ करोड़ में)

2010-11		प्राप्तियाँ	2011-12		2010-11		संवितरण	2011-12		
								आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
22,719.54		राजस्व प्राप्तियाँ		**25,867.38**	19,355.75		राजस्व व्यय	**12,623.64**	**10,004.41**	**22,628.05**
	9,005.14	कर राजस्व	10,712.25		5,247.06		सामान्य सेवायें	**5829.43**	**74.74**	**5,904.18**
	3,835.32	कर भिन्न राजस्व	4,058.48		8,309.72		सामाजिक सेवायें	**3,380.89**	**7,095.96**	**10,476.84**
	5,425.19	संघीय करों में राज्यांश	6,320.44			**4,081.69**	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1,352.05	3,556.23	4,908.28
	1,397.45	आयोजनेत्तर अनुदान	1,545.07			**748.91**	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	370.80	583.48	954.28
	2,169.91	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	***1,930.51***			**686.31**	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	232.79	692.96	925.75
	886.53	केन्द्रीय एवं केन्द प्रवर्तित योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	***1,300.63***			**29.29**	सूचना एवं प्रसारण	39.57	0.59	40.16
						966.13	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	905.72	340.21	1245.93
						60.99	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	46.03	30.23	76.26
						1,725.54	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	424.99	1,888.26	2,313.25
						10.86	अन्य	8.94	4.00	12.94
					5,091.43		**आर्थिक सेवायें**	**2,726.64**	**2,833.71**	**5,560.35**
						2,590.36	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	1,305.16	961.34	2,266.50
						1,216.21	ग्रामीण विकास	598.72	1,087.03	1,685.75
						0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
						5.10	संचार		26.11	26.11
						288.28	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	188.03	174.44	362.48
						297.89	उर्जा	0.00	336.90	336.90
						326.34	उद्योग एवं खनिज	182.35	208.82	391.17
						300.08	परिवहन	427.36	2.05	429.41
						4.42	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.20	3.35	4.55
						62.75	सामान्य आर्थिक सेवायें	23.82	33.66	57.48
					707.55		**सहायता अनुदान एवं अंशदान**	686.68	0.00	686.68
22,719.54		कुल राजस्व प्राप्तियाँ		**25,867.38**	19,355.75		**कुल राजस्व व्यय**	**12,623.64**	**10,004.41**	**22,628.05**
	II	*अनुभाग ब में अग्रेनित राजस्व घाटा*		**0.00**	**3,363.79**		अनुभाग ब में अग्रेनीत राजस्व आधिक्य			**3,239.33**
22,719.54		*योग*		**25,867.38**	**22,719.54**		**योग**			**25,867.38**
1,569.66	III	***स्थायी अग्रिमों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष***		**2,712.22**		**0.00**	**भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अभिविकषण**			0.00
2.31	IV	***विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ***		**3.93**	**2,951.51**		**पूंजीगत व्यय**	**0.76**	**4,055.64**	**4,056.40**
					52.87		सामान्य सेवायें	**0.75**	**41.76**	**42.51**
					827.60		**सामाजिक सेवायें**	**0.01**	**988.68**	**988.69**
						303.17	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति	0.00	181.98	181.98
						97.88	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	149.30	149.30
						184.99	जल प्रदाय स्वच्छता आवास एवं शहरी विकास	0.00	482.73	482.73
						0.01	सूचना एवं प्रसारण	0.01	0.00	0.01
						217.28	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण	0.00	106.01	106.01
						19.15	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.00	56.60	56.60
						5.13	अन्य सामाजिक सेवायें	0.00	12.06	12.06

2010-11		प्राप्तियाँ	2011-12	
2.65	V	**अंतर्राज्यीय समाशोधन**		**2.21**
561.16	VI	**ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ**		**1,282.53**
	73.17	विद्युत परियोजनाओं से	97.96	
	0.70	सरकारी सेवकों से	-0.65	
	487.29	अन्य से	1,185.22	
3,363.79	VII	**राजस्व आधिक्य कम होना**		**3239.33**
795.19	VIII	**लोक ऋणों प्राप्तियाँ**		**421.34**
	0.00	बाह्य ऋण		
	592.43	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	364.60	
	0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन	0.00	
	0.00	अधिविकर्ष के अधीन निवल लेनदेन	0.00	
	202.76	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	56.74	
0.00	IX	**आकस्मिकता निधि से विनियोग**	0.00	
0.00	X	**आकस्मिकता निधि को स्थानांतरित**	0.00	
27,523.97	XI	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**		**34,161.23**
	825.25	लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ	830.42	
	405.06	आरक्षित निधियाँ	563.58	
	17,632.65	उचन्त एवं विविध	22,528.50	
	5852.93	प्रेषण	6,889.67	
	2,808.08	निक्षेप एवं अग्रिम	3,349.06	
	XII	भारतीय रिजर्व बैंक से अंत में अधिविकर्ष		**0.00**
33,818.98		**योग ब**		41,822.79

2010-11		संवितरण	2011-12		
			आयोजनेत्तर	**आयोजना**	योग
1,866.01		आर्थिक सेवायें	**0.00**	**3025.20**	3025.20
	67.05	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.00	93.53	
	144.87	ग्रामीण विकास	0.00	98.97	
	971.12	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,222.01	
	0.00	उर्जा	0.00	900.00	
	32.51	उद्योग एवं खनिज	0.00	26.10	
	637.46	परिवहन	0.00	673.49	
	13.00	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.00	11.11	
2,744.92		योग पूंजीगत व्यय	**0.76**	**4,055.64**	4,056.40
	3.29	अंतर्राज्यीय समाशोधन			4.00
	896.79	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण			1,268.79
		विद्युत परियोजनाओं हेतु			0.00
		सरकारी सेवकों को			0.00
	896.79	अन्य को			1,268.79
0.00		राजस्व घाटा कम होना			0.00
651.57		लोक ऋणों का पुनर्भुगतान			852.40
	0.00	बाह्य ऋण			0.00
	535.76	अर्थोपाय अग्रिमों तथा अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण			710.60
	0.00	अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल लेनदेन			0.00
					0.00
	115.81	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			141.55
0.00		आकस्मिकता निधि से विनियोग			0.00
0.00		आकस्मिकता निधि से व्यय			0.00
26,895.50		लोक लेखा संवितरण			32,940.27
	496.28	लघु बचते एवं भविष्य निधियाँ			522.66
	383.46	आरक्षित निधियाँ			354.83
	17,743.68	उचन्त एवं विविध			22,506.10
	5,819.25	प्रेषण			6793.57
	2,452.83	निक्षेप एवं अग्रिम			2,763.11
2,712.22		**वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**			2,700.86
	0.00	कोषालय में रोकड़ का स्थानीय प्रेषण			0.00
	(-)1,480.73	रिजर्व बैंक के पास निक्षेप			94.42
	13.11	स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष			11.62
	4,179.84	रोकड़ शेष निवेश			2,594.82
	33,818.98	योग ब			41,822.79

परिशिष्ट 1.4 (निरंतर)

(कंडिका: 1.2.1, 1.4 एवं 1.8.1. पृष्ठ 2, 12 एवं 28 के संदर्भ में)

भाग ब: छत्तीसगढ़ शासन की संक्षिप्त

वित्तीय स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

31.03.2011 की स्थिति	दायित्व		31.03.2012 की स्थिति
8,741.83	आंतरिक ऋण		**8,395.83**
2,510.62	ब्याज सहित बाजार ऋण	2,197.47	
2.10	ब्याज रहित बाजार ऋण	2.11	
20.29	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20.29	
6,208.88	अन्य संस्थाओं से ऋण	6,175.96	
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0	
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	0	
2,374.89	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		**2,289.74**
0.68	1984-85 से पूर्व के ऋण	0.68	
7.35	आयोजनेत्तर ऋण	5.28	
2,339.73	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	2,258.38	
0.19	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.19	
26.94	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए ऋण	25.21	
40.00	आकस्मिकता निधि		**40.00**
2,331.02	**लघु बचत, भविष्य निधियाँ आदि**		**2,641.07**
2,244.59	**निक्षेप**		**2,829.82**
1,803.70	**आरक्षित निधियाँ**		**1,894.45**
145.00	**उंचत एवं विविध शेष**		**167.40**
17,681.03	योग		**18,258.31**
	परिसम्पत्तियाँ		
20,739.19	अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत व्यय		**24,791.66**
259.92	कम्पनियाँ निगमों इत्यादि में निवेश	1,194.38	
20,479.27	अन्य पूंजीगत व्यय	23,597.28	
1,535.28	ऋण एवं अग्रिम -		**1,521.85**
411.33	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	313.37	
998.90	अन्य विकास ऋण	1,072.40	
125.05	सरकारी सेवकों को ऋण एवं विविध ऋण	136.08	
799.04	आरक्षित निधि में निवेश		**948.9**
2.40	अग्रिम		**1.68**
272.15	प्रेषण शेष		**176.11**
0.00	आकस्मिकता निधि		**0.00**
1,913.18	नगदी -		**1,751.96**
0.00	कोषालय में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
-1,480.73	रिजर्व बैंक में निक्षेप	94.42	
12.81	विभागीय नगदी शेष अचल	11.32	
0.30	स्थायी अग्रिम	0.3	
3,380.80	नगदी शेष निवेश	1,645.92	
-7,580.21	सरकारी लेखे में घाटा		**-10,933.85**
-3,363.79	(1) घटाइये चालू वर्ष के राजस्व आधिक्य	-3,239.33	
3.36	(2) प्रारूप सुधार एवं अन्य समायोजन	-114.31	
-4,219.78	वर्ष के प्रारंभ में संचयी घाटा	-7,580.21	
17,681.03	योग		**18,258.31**

परिशिष्ट-1.5

(कंडिका 1.2.3 : पृष्ठ 5 के संदर्भ)

वर्ष 2011-12 के बजट आकलन के विरूद्ध वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट आकलन 2011-12	वास्तविक आंकडें	वृद्धि (+)/ कमी (-)	वृद्धि एवं कमी की प्रतिशतता
राजस्व प्राप्तियाँ	**25,809.90**	**25,867.38**	57.48	0.22
कर राजस्व	**9,830.45**	**10,712.25**	881.80	8.97
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	5,487.82	6,006.25	518.43	9.45
राज्य आबकारी	1,626.00	1,596.98	-29.02	-1.78
वाहन पर कर	450.00	502.18	52.18	11.60
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस	750.00	845.82	95.82	12.78
सामाग्री एवं यात्रियों पर कर	700.00	825.67	125.67	17.95
भूमि कर	200.03	270.56	70.53	35.26
शुल्कों एवं विद्युत पर कर	600.00	637.97	37.97	6.33
अन्य कर	16.60	26.82	10.22	61.57
कर भिन्न राजस्व	4310.87	4058.48	-252.39	-5.85
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	6204.33	6320.44	116.11	1.87
भारत सरकार से सहायता अनुदान	5464.24	4776.21	-688.03	-12.59
राजस्व व्यय	24,461.77	22,628.05	-1,833.72	-7.50
सामान्य सेवा	6,145.66	5,904.18	-241.48	-3.93
राज्य के अंग	247.32	179.87	-67.45	-27.28
राजकोषीय सेवायें	629.56	484.41	-145.15	-23.06
ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवायें	1,403.34	1,293.20	-110.14	-7.85
प्रशासनिक सेवायें	2,243.40	2,068.72	-174.68	-7.79
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	1,622.04	1,877.99	255.95	15.78
सामाजिक सेवाऐं	11,860.02	10,476.84	-1383.17	-11.66
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	5,675.24	4,908.28	-766.96	-13.51
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	1,103.01	954.28	-148.73	-13.48
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,164.07	925.74	-238.33	-20.47
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी	30.73	40.16	9.43	30.65
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गो का कल्याण	1,330.20	1,245.93	-84.28	-6.34
श्रमिक तथा श्रम कल्याण	123.09	76.26	-46.83	-38.04
समाज कल्याण तथा पोषण	2,419.14	2,313.25	-105.89	-4.38
अन्य	14.53	12.94	-1.58	-10.90
आर्थिक सेवाऐं	5,844.00	5,560.35	-283.65	-4.85
कृषि एवं समबद्ध क्रियाकलाप	2,620.66	2,266.49	-354.17	-13.51
ग्राम विकास	1,678.39	1,685.75	7.35	0.44
सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण	227.05	362.48	135.43	59.65
ऊर्जा	288.50	336.90	48.40	16.78
उद्योग एवं खनिज	413.29	391.17	-22.12	-5.35
परिवहन	484.80	429.41	-55.39	-11.42
संचार	36.53	26.12	-10.41	-28.50

विवरण	बजट आकलन 2011-12	वास्तविक आंकडें	वृद्धि (+)/ कमी (-)	वृद्धि एवं कमी की प्रतिशतता
विज्ञान, प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण	10.90	4.55	-6.35	-58.26
सामान्य **आर्थिक सेवाऐं**	83.88	57.48	-26.40	-31.47
सहायता अनुदान एवं अंशदान	612.09	686.68	74.59	12.19
पूंजीगत व्यय जिसमें	5,077.06	4,056.40	-1,020.65	-20.10
सामान्य सेवाऐं	127.91	42.51	-85.40	-66.77
सामाजिक सेवाऐं	1,484.39	988.69	-495.70	-33.39
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	413.24	181.98	-231.26	-55.96
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	284.20	149.30	-134.90	-47.47
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	607.44	482.73	-124.71	-20.53
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी	0.01	0.01	0.00	0.00
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडा वर्गों का कल्याण	84.99	106.01	21.02	24.74
श्रमिक तथा श्रम कल्याणे	61.92	56.60	-5.32	-8.59
अन्य सामाजिक सेवाऐं	32.59	12.06	-20.53	-62.98
आर्थिक सेवाऐं	3,464.76	3,025.20	-439.56	-12.69
कृषि एवं समबद्ध क्रियाकलाप	76.89	93.52	16.63	21.63
ग्राम विकास	55.05	98.96	43.91	79.76
सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण	1871.27	1,222.02	-649.25	-34.70
ऊर्जा	0.00	900.00	900.00	900.00
उद्योग एवं खनिज	34.66	26.10	-8.56	-24.71
परिवहन	1,401.28	673.49	-727.79	-51.94
सामान्य आर्थिक सेवाऐं	25.61	11.11	-14.50	-56.62
राजस्व आधिक्य (+)/ घाटा (-)	1,348.13	3,239.33	1,891.20	140.28
राजकोषीय घाटा (-)	-3,819.79	-801.17	3,018.62	-79.03
प्राथमिक आधिक्य (+)/ घाटा (-)	-2,516.45	392.00	2,908.45	-1,15.58

परिशिष्ट 1.6

(कंडिका 1.7.1 ; पृष्ठ 25 के संदर्भ में)

निर्धारित अवधि के पश्चात् अपूर्ण परियोजनाओं की मार्च 2012 की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	वित्त लेखे 2011-12 की स.क्र.	अपूर्ण परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	पूर्ण करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की अनुमानित लागत	संशोधित लागत यदि कोई हो तो	लागत संशोधन से अधिक लागत 7= 6-5	वर्ष के अंत में अग्रेषित व्यय	लागत के विरूद्ध अधिक व्यय करने से लागत में वृद्धि	कुल अधिक लागत 10=7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				लोक निर्माण विभाग					
1	1	नया विश्राम भवन एवं 8 स्टाफ आवास का निर्माण कार्य	2008-09	6.19	14.37	8.18	0.03	0.00	8.18
2	2	इंजीनीयरिंग महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य, रायपुर (नया कार्य) वर्ष 2005-06	2008-09	51.51	51.51	0.00	47.33	0.00	0.00
3	3	प्रति अग्रवाद जंगल युद्ध महाविद्यालय का निर्माण कार्य कांकेर	2007-08	21.54	21.54	0.00	10.23	0.00	0.00
4	4	मेडिकल परिसर भवन का निर्माण कार्य, जगदलपुर	2007-08	68.18	68.18	0.00	48.86	0.00	0.00
5	6	जशपुर में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन का निमार्ण	2004-05	16.95	16.95	0.00	1.17	0.00	0.00
6	7	बिलासपुर में राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण	1985-86	39.89	103.67	63.79	38.33	0.00	63.79
7	8	उच्च न्यायालय में आवासीय भवन का निर्माण	2005-06	37.50	59.44	21.94	43.25	0.00	21.94
8	9	रायगढ़ में चिकित्सा महाविद्यालय भवन का निर्माण	2008-09	83.43	83.43	0.00	45.17	0.00	0.00
9	10	आमापारा से टांटीबंध मार्ग का चौंड़ीकरण नवीनीकरण कार्य	2008-09	10.91	10.91	0.00	5.63	0.00	0.00
10	11	राष्ट्रीय राजमार्ग 200 का दो लाइन से चार लाईन में उन्नयन कार्य कि.मी. 103 (पेन्ड्री वायपास रोड) से 114/2 तिफरा रेलवे क्रांसिग	2009-10	43.47	74.18	30.71	0.42	0.00	30.71
11	12	गरियाबन्द-बरदूला मार्ग लम्बाई कि.मी. 58.82 कार्य	2007-08	36.11	36.11	0.00	16.13	0.00	0.00
12	14	अभनपुर से तोरला मार्ग लंबाई 13.75 कि.मी. चौड़ीकरण एवं उन्नतीकरण	2010	18.04	18.04	0.00	8.05	0.00	0.00
13	15	निमोरा से थनौद मार्ग लं. 8.025 कि.मी. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण	2010	11.26	11.26	0.00	7.15	0.00	0.00
14	16	टाटीबंध खमतराई चार लेन मार्ग का निर्माण कार्य	2006-07	20.23	20.23	0.00	1.60	0.00	0.00
15	17	तिल्दा टण्डवा किरना रैता धरसींवा मार्ग लम्बाई 25.00 कि.मी.	2009-10	19.70	19.70	0.00	13.55	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	18	एशियन विकास बैंक योजना के द्वीतीय चरण में प्रस्तावित धमतरी नगरी मार्ग लं. 64.72 कि.मी	2007-08	53.75	53.75	0.00	34.16	0.00	0.00
17	19	देवकर-साजा-खमरिया मार्ग का चौड़ीकरण कार्य लं. 31.30 कि.मी	2009-10	26.92	26.92	0.00	16.46	0.00	0.00
18	20	कोडवा साजा सिलहाती मार्ग का चौड़ीकरण कार्य लंबाई 32.54 कि.मी	2009-10	25.18	25.18	0.00	8.20	0.00	0.00
19	21	पंडरिया से बजाग मार्ग निर्माण लम्बाई 25 कि.मी.	2008-09	11.53	11.53	0.00	8.28	0.00	0.00
20	22	कवर्धा रेगांखार व्हाया माड़ाघाट मार्ग का निर्माण कार्य लं. 41.40 कि.मी.	2008-09	12.66	12.66	0.00	9.19	0.00	0.00
21	23	पेण्ड्रीडीह से दर्रीघाट मार्ग (झल्फा) II 20.42 कि.मी.	2008-09	32.56	32.56	0.00	1.96	0.00	0.00
22	24	सरकारी से तुरकाडीह बायपास मार्ग कि.मी. 7.00	2007-08	4.49	13.42	8.93	4.43	0.00	8.93
23	25	तिलगा भगोरा जामगांव मार्ग चौड़ीकरण उन्नतिकरण 14.50 कि.मी.	2007-08	15.76	15.76	0.00	0.86	0.00	0.00
24	26	लेमरू से बड़गांव तक प्रथम श्रेणी मार्ग डामरीकरण	2005-06	10.26	10.26	0.00	0.83	0.00	0.00
25	27	राहा से रावा डब्ल्यू.बी.एम. डामरीकृत सड़क निर्माण	2007-08	25.05	25.05	0.00	0.91	0.00	0.00
26	28	अंबिकापुर शहर से बाहर 11 कि.मी. रिंगरोड का निर्माण	2008-09	13.08	16.36	3.29	9.31	0.00	3.29
27	29	जशपुर-आस्ता-कुसमी- सामरी मार्ग लं. 47.00 कि.मी.	2006-07	12.31	12.31	0.00	9.57	0.00	0.00
28	30	चलगली से आरागाही मार्ग तक निर्माण कार्य लं. 47.00 कि.मी. का निर्माण	2006-07	11.95	11.95	0.00	9.79	0.00	0.00
29	31	रामगढ़ कोटाडोल मार्ग निर्माण लं. 44.20 कि.मी.	2006-07	11.13	11.13	0.00	5.17	0.00	0.00
30	32	पूर्व पश्चिम कॉरीडोर क्रं. 4 बगीचा-चिराईडांड मार्ग नं. 47	2003-04	25.62	25.62	0.00	21.49	0.00	0.00
31	33	भानुप्रतापपुर नारायणपुर कोंडागांव मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य लं. 141.90 कि.मी.	2006-07	76.11	76.11	0.00	62.86	0.00	0.00
32	38	रेलवे ओवर ब्रिज अकलतरा का निर्माण कार्य	2005-06	7.65	7.65	0.00	5.88	0.00	0.00
33	39	रेलवे ओवर ब्रिज चक्रभाठा का निर्माण कार्य	2007-08	10.45	10.45	0.00	10.27	0.00	0.00
34	40	पेन्ड्री गोदभा मार्ग पर हसदेव नदी पर पुल निर्माण	2009-10	12.97	12.97	0.00	7.63	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	41	कोरबा गेरूआधार दर्री मार्ग पर हसदेव नदी पर पुल निर्माण कार्य	2009-10	15.40	15.40	0.00	7.60	0.00	0.00
36	42	बिर्री-भरगांव मार्ग पर महानदी पर पुल निर्माण कार्य	2007-08	10.69	12.36	1.67	12.56	0.20	1.87
37	43	रेलवे ओवर ब्रिज डोगरगढ़ निर्माण कार्य	2006-07	15.90	15.90	0.00	16.14	0.24	0.24
38	44	टांगेरावांव पलेमा मार्ग पर माइनी नदी पर पुल निर्माण कार्य	2005-06	1.93	1.93	0.00	1.41	0.00	0.00
39	45	सूरजगढ़ पुसौर मार्ग पर महानदी पर पुल निमार्ग कार्य	2008-09	45.09	45.09	0.00	28.60	0.00	0.00
40	46	बलौदाबाजार मार्ग पर रेल्वे ओवर ब्रिज मोवा का निर्माण कार्य, रायपुर	2008	14.41	16.35	1.94	17.63	1.28	3.22
41	47	दोनार बोरसी मार्ग पर महानदी पर पुल निर्माण कार्य	2008	11.60	20.23	8.63	12.71	0.00	8.63
42	48	अभनपुर राजिम मार्ग पर महानदी पर पुल निर्माण कार्य	2008	13.51	20.50	6.99	18.26	0.00	6.99
43	49	मुम्बई हावड़ा रेल मार्ग पर टेकारी पुल निर्माण कार्य	2007	15.00	16.50	1.50	15.37	0.00	1.50
44	50	समोदा अछोला मार्ग पर महानदी पर पुल निर्माण कार्य	2007	16.06	16.06	0.00	10.01	0.00	0.00
45	51	अमलीडी-हासदा मार्ग पर जमुनिया नाला पर पुल निर्माण कार्य	2009	22.37	22.37	0.00	1.73	0.00	0.00
46	52	जौरा- सड्डू- धनेली मार्ग पर फलाई ओवर निर्माण कार्य	2009	20.20	20.20	0.00	10.14	0.00	0.00
47	53	चाम्पा रेल्वे स्टेशन के पास रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य	2005-06	10.59	10.59	0.00	0.02	0.00	0.00
48	54	राष्ट्रीय राजमार्ग- 43 पर एच.एल. पुल एवं पहुंच का शेष निर्माण कार्य	2008-09	11.58	11.58	0.00	9.89	0.00	0.00
49	55	कसडोल-बदलाकचार मार्ग का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं. 35.00 कि.मी.)	27.11.09	26.39	26.39	0.00	11.48	0.00	0.00
50	56	सारागांव-देवरी रोड लं. 20.60 कि.मी. मार्ग का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन	2009-10	16.15	16.15	0.00	6.33	0.00	0.00
51	57	हसौदा-सरसीवा सरायपाली पदमपुर निर्माण कार्य	2007-08	50.92	50.92	0.00	0.22	0.00	0.00
52	58	बसना-बामनी बिलाईगढ़ रोड	2007-08	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
53	64	भिलाई नगर दुर्ग में रयपुर नाका रेल्वे क्रासिंग पर उड्डान पुल का निर्माण	2005	46.74	46.74	0.00	0.33	0.00	0.00
54	65	राजनांदगांव अंतागढ़ मार्ग पर शिवनाथ नदी पर पुल का निर्माण	2010-11	12.78	12.78	0.00	10.09	0.00	0.00
		योग		1301.65	1459.21	157.56	704.67	1.72	159.28

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्त लेखे 2011-12 की स.क्र.	अपूर्ण परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	पूर्ण करने का निर्धारित वर्ष	कार्य की अनुमानित लागत	संशोधित लागत यदि कोई हो तो	लागत संशोधन से अधिक लागत 7= 6-5	वर्ष के अंत में अग्रेषित व्यय	लागत के विरूद्ध अधिक व्यय करने से लागत में वृद्धि 9=8-6	कुल अधिक लागत 10=7+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जल संसाधन विभाग									
1	2	भाटापारा नहर सोंढूर परियोजना	2011-12	34.45	565.69	531.24	225.63	0.00	531.24
2	3	कोसर टेडा परियोजना	मार्च-11	154.65	154.65	0.00	161.88	7.23	7.23
3	4	दुधवा परियोजना (बांध सुरक्षा)	जून-11	11.23	11.23	0.00	14.60	3.37	3.37
4	5	डूलना एनिकट	मार्च-12	76.69	76.69	0.00	86.61	9.92	9.92
5	6	रावार एनिकट	मार्च-12	22.86	22.86	0.00	24.45	1.58	1.58
6	7	टीला एनिकट	मार्च-12	72.45	72.45	0.00	81.77	9.32	9.32
7	8	हरदी एनिकट	2011-12	16.53	16.53	0.00	0.06	0.00	0.00
8	10	मालनझर व्यपवर्धन	मार्च-12	11.19	11.19	0.00	7.75	0.00	0.00
9	11	पैरी बाई तट नहर की लाइनिंग	जून-11	16.01	16.01	0.00	20.19	4.19	4.19
10	12	पैरी परियोजना दायी तटन नहर प्रणाली के अंतर्गत लाईनिंग कार्य	जून-11	53.01	53.01	0.00	26.01	0.00	0.00
11	13	सूखा नाला बैराज	जून-11	92.62	92.62	0.00	34.18	0.00	0.00
12	14	घुमरिया नाला बैराज	जून-11	38.21	38.21	0.00	16.65	0.00	0.00
13	15	करीनाला बैराज	2010-11	80.80	99.19	18.39	26.77	0.00	18.39
14	16	न्यू करी बैराज	मार्च-12	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	17	जोंक व्यप. के मुख्य नहर के ओपन मेंशनरी ट्रप का कार्ये	जून-10	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
16	18	खातुटोला बैराज	मार्च-11	22.32	22.32	0.00	7.38	0.00	0.00
17	19	प्रधानपाठ बैराज	2011	18.87	18.87	0.00	5.46	0.00	0.00
18	20	गोपालपुर एनीकट	2011	3.26	20.73	17.47	0.00	0.00	17.47
19	21	खट्टी एनिकट	मार्च-11	12.58	15.44	2.86	5.85	0.00	2.86
20	22	तांदुला परियोजना नहर लाईनिंग-प्रथम चरण	मार्च-11	122.40	122.40	0.00	0.92	0.00	0.00
21	23	तांदुला परियोजना नहर लाईनिंग-द्वितीय चरण 46 कि.मी. से 68.80 कि.मी. तक	अक्टुबर-11	31.97	31.97	0.00	1.14	0.00	0.00
22	24	सुपकोन्हा डिस्ट्रीब्यूटरी का लाइनिंग एवं रिमाडलिंग कार्य	मार्च-11	29.91	29.91	0.00	12.14	0.00	0.00
23	25	गोढ़ी वितरक नहर शाखा एवंसंरचना का लाईनिंग कार्य	मार्च-11	2.50	23.91	21.41	18.40	0.00	21.41
24	26	गंजीगंजा जलाशय	2011	10.38	10.38	0.00	2.06	0.00	0.00
25	27	सिंगबहाल जलाशय	2011	7.61	22.32	14.71	0.17	0.00	14.71
26	28	सोरिद जलाशय	2011	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27	29	नैनीताल व्यपवर्तन	2011	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	30	खरखरा दांयी तट नहर का लाईनिंग कार्य	मार्च-11	12.89	12.89	0.00	6.52	0.00	0.00
29	31	खरखरा फीडर नहर का लाईनिंग कार्य	2011	22.60	22.60	0.00	3.07	0.00	0.00
30	32	उरमाल जलाशय	जून-11	9.73	45.91	36.18	7.31	0.00	36.18
31	33	पैरी घुमर व्यपवर्तन	जून-11	15.27	29.58	14.31	3.90	0.00	14.31
32	34	बकोरी जलाशय	2011	10.39	18.31	7.92	2.18	0.00	7.92
33	35	बिलोरा जलाशय	2011	15.20	15.20	0.00	3.46	0.00	0.00
34	36	राजाडेरा जलाशय	2011	47.63	47.63	0.00	10.34	0.00	0.00
35	37	सोनकछार जलाशय	जून-10	10.85	10.85	0.00	7.85	0.00	0.00
36	38	जावास व्यपवर्तन	मार्च-10	5.48	5.48	0.00	9.08	3.60	3.60
37	39	कुम्हारी व्यपवर्तन	मार्च-09	12.11	12.11	0.00	14.70	2.59	2.59
38	40	धारजेव बंधन जलाशय	जून-10	17.59	17.59	0.00	19.01	1.42	1.42
39	41	खुटपाली व्यपवर्तन	जून-10	29.52	29.52	0.00	6.55	0.00	0.00
40	42	कटघोरा व्यपवर्तन	दिसम्बर-10	15.19	15.19	0.00	14.17	0.00	0.00
41	43	चम्पाझारिया जलाशय	मार्च-11	11.15	11.15	0.00	0.62	0.00	0.00
42	45	सालका व्यपवर्तन	मार्च-11	18.80	38.56	19.76	35.25	0.00	19.76
43	46	लाचंनपुर व्यपवर्तन	जून-11	17.82	27.59	9.77	23.99	0.00	9.77
44	47	लठनाला व्यपवर्तन	जून-10	15.05	15.05	0.00	8.04	0.00	0.00
45	48	लीलागर व्यपवर्तन	जून-11	9.81	17.40	7.59	15.95	0.00	7.59
46	49	मांड एनीकट अम्बेटिकारा	मार्च-11	13.32	13.32	0.00	3.55	0.00	0.00
47	50	खारंग नहर योजना का पुर्नद्धार एवं लाइनिंग कार्य	जून-11	78.00	101.04	23.04	76.60	0.00	23.04
48	51	मनियारी नहर योजना का पुर्नद्धार एवं लाइनिंग कार्य	जून-11	106.66	159.95	53.29	54.63	0.00	53.29
49	52	मनियारी बैराज	जून-11	19.21	43.75	24.54	21.86	0.00	24.54
50	53	केन्ठा व्यपवर्तन	मार्च-12	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
51	54	दर्री व्यपवर्तन	जून-10	15.24	15.24	0.00	4.02	0.00	0.00
52	55	आमामुडा व्यपवर्तन	जून-11	22.50	22.50	0.00	5.89	0.00	0.00
54	59	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना (वृहद)	जून-10	16.61	16.61	0.00	9.48	0.00	0.00
55	61	लिलार व्यपवर्तन	जून-11	17.40	17.40	0.00	0.11	0.00	0.00
56	62	सेमरहा जलाशय	मार्च-10	11.71	11.71	0.00	0.04	0.00	0.00
57	63	गंगपूर जलाशय	मार्च-10	10.79	10.79	0.00	0.65	0.00	0.00
58	64	हल्दीमूण्डा व्यपवर्तन	जून-10	25.09	25.09	0.00	1.11	0.00	0.00
59	65	बेलसूंगा जलाशय	मार्च-09	30.62	30.62	0.00	0.10	0.00	0.00
60	66	मैनी एनीकट	मार्च-11	12.37	12.37	0.00	1.79	0.00	0.00
61	68	राजीम एनीकट	मार्च-10	13.53	20.73	7.20	12.40	0.00	7.20
62	69	हेम्प पुर्नद्धार लाईनिंग कार्य	जून-11	14.78	14.78	0.00	13.68	0.00	0.00
63	70	भेन्द्रा जलाशय	जून-10	11.75	11.75	0.00	9.61	0.00	0.00
64	74	खामगड़ा जलाशय	मई-09	17.27	17.27	0.00	1.91	0.00	0.00
65	75	पहन्दा एनीकट	मार्च-12	14.00	38.03	24.03	1.99	0.00	24.03
66	80	सुतियापाट परियोजना	मार्च-08	67.25	67.25	0.00	66.33	0.00	0.00
67	82	भद्रा कोनरी एनीकट	जून-09	47.90	47.90	0.00	0.81	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	86	महानदी परियोजना निर्माण कार्य	2010-11	1,153.14	1153.14	0.00	22.70	0.00	0.00
69	93	समोदा फेस-1	मार्च-10	97.71	97.71	0.00	1.15	0.00	0.00
70	94	बनियाटोला बैरेज	जून-10	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00
71	97	हेम्प बांध सुरक्षा	मार्च-12	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00
72	98	हेम्प राईट नहर	मार्च-12	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
73	103	मिनीमाता हसदेव बांगो बांध एवं सुरक्षा	दिसम्बर-08	31.68	31.68	0.00	0.96	0.00	0.00
74	106	अमेठी एनीकट	मार्च-12	10.80	10.80	0.00	0.28	0.00	0.00
75	126	खादमा टैंक	मार्च-12	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
76	127	मुनाइकेरा टैंक	मार्च-12	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
77	128	मागोद डायवर्सन	मार्च-12	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
78	129	गोबरा पठार डायवर्सन	मार्च-12	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
79	130	मनीयारी टैक	मार्च-09	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
80	133	कोनी सेन्ट्री फिड़र प्लान्ट	मार्च-12	1,332.29	1,332.29	0.00	9.10	0.00	0.00
81	134	उसालपुर फिडर प्लान्ट दुर्ग	मार्च-12	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
82	137	तांदुला जलाशय (गंगरेल से तांदुला)	मार्च-12	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83	141	चम्पी टैंक	मार्च-10	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
		योग		5,097.81	5,931.52	833.71	1,292.81	43.23	876.95

परिशिष्ट - 1.7

(कंडिका 1.5.1; पृष्ठ 16 के संदर्भ)

आयोजना एवं आयोजनेत्तर व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	योजनागत व्यय			आयोजनेत्तर व्यय			कुल राजस्व व्यय		
	2010-11	2011-12	वृद्धि (+) कमी (-)	2010-11	2011-12	वृद्धि (+) कमी (-)	2010-11	2011-12	वृद्धि (+) कमी (-)
राज्य के अंग	1.54	1.95	0.41	164.26	177.92	13.66	165.80	179.87	14.07
राजकोषीय सेवायें	4.29	3.13	-1.16	343.09	481.27	138.19	347.38	484.40	137.02
ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवायें	0.00	0.00	0.00	1,298.38	1,293.20	-5.18	1,298.38	1,293.20	-5.18
प्रशासनिक सेवायें	30.61	69.67	39.05	1,594.46	1,999.05	404.59	1625.08	2,068.72	443.64
पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	0.00	0.00	0.00	1810.43	1,877.99	67.56	1810.43	1,877.99	67.56
योग सामान्य सेवायें	**36.45**	**74.74**	**38.30**	**5210.62**	**5829.43**	**618.82**	**5247.06**	**5,904.18**	**657.11**
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2,834.38	3,556.23	721.85	1,247.31	1,352.05	104.74	4081.69	4,908.28	826.59
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	425.22	583.48	158.26	323.69	370.80	47.11	748.91	954.29	205.37
जल पूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	505.97	692.95	186.98	180.34	232.79	52.45	686.31	925.74	239.43
सूचना एवं प्रसारण	0.60	0.59	-0.01	28.69	39.57	10.88	29.29	40.16	10.87
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गो का कल्याण	148.52	340.21	191.69	817.60	905.72	88.11	966.13	1,245.93	279.80
श्रम तथा रोजगार	20.01	30.23	10.22	40.98	46.03	5.05	60.99	76.26	15.27
समाज कल्याण तथा पोषण	1,564.33	1,888.26	323.93	161.21	424.99	263.77	1,725.54	2,313.25	587.71
अन्य	3.60	4.00	0.40	7.26	8.94	1.68	10.86	12.94	2.08
योग सामाजिक सेवाऐं	**5,502.63**	**7,095.96**	**1,593.32**	**2,807.08**	**3,380.89**	**573.80**	**8,309.72**	**10,476.84**	**2,167.13**
कृषि एवं समबद्ध क्रियाकलाप	1,036.23	961.34	-74.89	1554.13	1305.16	-248.97	2590.36	2,266.49	-323.86
ग्राम विकास	856.99	1087.03	230.04	359.22	598.71	239.50	1216.21	1,685.75	469.54
सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण	141.66	174.44	32.78	146.62	188.03	41.42	288.28	362.48	74.20
ऊर्जा	296.29	336.90	40.61	1.60	0.00	-1.60	297.89	336.90	39.01
उद्योग एवं खनिज	134.40	208.82	74.42	191.94	182.35	-9.59	326.34	391.17	64.83
परिवहन	2.21	2.05	-0.16	297.87	427.36	129.50	300.08	429.41	129.33
संचार	5.10	26.11	21.02	0.00	0.00	0.00	5.10	26.11	21.02
विज्ञान प्रोद्यौगिकी एवं पर्यावरण	3.22	3.35	0.12	1.20	1.20	0.00	4.42	4.55	0.12
सामान्य आर्थिक सेवाऐं	33.06	33.66	0.60	29.69	23.82	-5.87	62.75	57.48	-5.27
योग आर्थिक सेवाऐं	**2,509.17**	**2,833.71**	**324.54**	**2,582.26**	**2,726.64**	**144.38**	**5,091.42**	**5,560.34**	**468.92**
सहायता अनुदान एवं अंशदान	**21.12**	**0.00**	**-21.12**	**686.43**	**686.68**	**0.25**	**707.55**	**686.68**	**-20.86**
योग राजस्व व्यय	8,069.36	10,004.41	1,935.05	11,286.38	12,623.64	1,337.25	19,355.75	22,628.05	3,272.30

परिशिष्ट - 2.1

(कंडिका : 2.3.1; पृष्ठ 40 के संदर्भ में)

विवरण जहां प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
	(अ)	**राजस्व दत्तमत**			
1	4	गृह विभाग से संबधित अन्य व्यय	28.53	17.53	61.44
2	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	386.30	130.39	33.75
3	44	उच्च शिक्षा	396.45	139.25	35.12
4	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	245.85	60.89	24.76
		योग (अ)	**1,057.13**	**348.06**	
	(ब)	**पूंजीगत दत्तमत्त**			
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	38.30	35.12	91.70
6	24	लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल	648.28	246.36	38.00
7	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	54.39	53.94	99.17
8	37	पर्यटन	25.61	14.50	56.62
9	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-- सडकें और पुल	397.83	232.71	58.49
10	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान	318.39	188.52	59.21
11	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	364.43	263.62	72.34
12	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	126.49	57.10	45.14
13	76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	182.00	124.56	68.43
14	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	60.99	18.56	30.43
15	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	78.00	18.00	23.08
		योग (ब)	**2,294.71**	**1,252.99**	
कुल योग (अ+ब)			3,351.84	1,601.05	

परिशिष्ट-2.2

(कंडिका : 2.3.3; पृष्ठ 42 के संदर्भ में)

विगत वर्षों के बजट प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितीकरण वांछित

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान / विनियोग संस्थाएँ	अधिक की राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचार की स्थिति
1	2	3	4	5
2000-01	11 अनुदानों	2, 14, 23, 24, 33, 34, 60, 71, 80, 82 एवं 83	10.21	व्याख्यात्मक टिप्पणी अपेक्षित
	2 विनियोगों	6 एवं 24		
2001-02	14 अनुदानों	6, 14, 15,17, 23, 24, 30, 33, 45, 54, 60, 67, 71 एंव 83	115.90	
	2 विनियोगों	16 एवं 25		
2002-03	8 अनुदानों	10, 15, 24, 33, 37, 45, 58 एवं 82	114.59	
	2 विनियोगों	20 एवं 67		
2003-04	4 अनुदानों	12, 33, 40 एवं 67	591.12	
	2 विनियोगों	ब्याज भुगतानों एंव 6		
2004-05	4 अनुदानों	15, 24, 67 एवं 81	133.36	
	5 विनियोगों	ब्याज भुगतानों लोक ऋण, 6, 10 एवं 42		
2005-06	4 अनुदानों	4, 15, 24 एवं 39	23.27	
	2 विनियोगों	6 एवं 23		
2006-07	4 अनुदानों	4, 24, 67 एवं 82	5.13	
	1 विनियोग	33		
2007-08	3 अनुदानों	23, 33 एवं 60	15.99	
	3 विनियोगों	13, 24 एवं 36		
2008-09	9 अनुदानों	24,40,67,80,6, 23, 75, 76 एवं 82	115.26	
	1 विनियोग	23		
2009-10	10 अनुदानों	3,6,22,23,24,25,49,64,76 एवं 80	216.77	
	5 विनियोग	3,12,13,43 एवं 67		
2010-11	22 अनुदानों	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 एव ब्याज भुगतानों	293.78	
	6 विनियोग	1,20,23,29,36 एवं लोक ऋण		
	योग		1,635.38	

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका : 2.3.5; पृष्ठ 43 के संदर्भ में)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
		(अ) राजस्व (दत्तमत)				
1	1	सामान्य प्रशासन	87.62	83.72	3.90	11.57
2	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	11.29	9.12	2.17	0.73
3	4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	26.57	11.00	15.57	1.96
4	5	जेल	60.60	57.67	2.93	6.21
5	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2,077.52	1,917.07	160.45	29.08
6	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	195.60	188.26	7.34	0.92
7	8	भू-राजस्व विभाग तथा जिला प्रशासन	393.30	257.63	135.67	13.00
8	10	वन	602.95	591.92	11.03	28.04
9	13	कृषि	571.87	409.85	162.02	12.26
10	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	222.25	187.55	34.70	32.24
11	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	98.83	95.18	3.65	18.16
12	18	श्रम	37.11	27.67	9.44	0.72
13	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	580.42	513.55	66.87	6.72
14	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	361.30	255.91	105.39	25.00
15	26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	15.59	14.26	1.33	1.29
16	27	स्कूल शिक्षा	2,315.95	2,174.07	141.88	161.74
17	28	राज्य विधान मंडल	25.00	19.04	5.96	1.20
18	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	143.62	116.61	27.01	5.52
19	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	14.90	13.48	1.42	1.50
20	33	आदिम जाति कल्याण	973.50	859.35	114.15	13.07
21	34	समाज कल्याण	36.17	31.78	4.39	2.77
22	36	परिवहन	28.97	22.23	6.74	3.22
23	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,018.90	2,517.94	500.96	140.81
24	43	खेल और युवा कल्याण	31.27	15.65	15.62	0.72
25	44	उच्च शिक्षा	387.49	257.20	130.29	8.96
26	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	318.21	264.99	53.22	34.48

1	2	3	4	5	6	7
27	49	अनुसूचित जाति कल्याण	39.27	38.77	0.50	2.50
28	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	11.09	7.69	3.40	1.26
29	55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बधित व्यय	560.82	539.64	21.18	120.43
30	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	382.48	282.89	99.59	79.66
31	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1,038.03	764.60	273.43	124.24
32	67	लोक निर्माण कार्य- भवन	303.87	260.03	43.84	13.88
33	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	373.11	138.63	234.48	10.51
34	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	36.53	26.11	10.41	1.53
35	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	222.47	148.96	73.51	23.37
36	83	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	22.35	22.18	0.17	2.26
		योग (अ)	15,626.82	13,142.20	2,484.61	941.53
	(ब)	**पूंजीगत दत्तमत्त**				
37	3	पुलिस	5.75	0.75	5.00	1.00
38	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	32.67	22.64	10.03	2.00
39	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19.84	12.88	6.96	1.25
40	23	जल संसाधन विभाग	436.35	310.94	125.41	5.00
41	24	लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल	620.56	401.92	218.64	27.72
42	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	1,180.56	877.11	303.45	289.25
43	45	लघु सिंचाई कार्य	468.30	313.79	154.51	20.00
44	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	740.01	559.73	180.28	64.62
45	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	306.77	100.80	205.97	57.77
46	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	104.92	69.39	35.53	21.57
47	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	180.00	57.44	122.56	2.00
48	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	45.99	42.43	3.56	15.00
		योग ब	**4,141.72**	**2,769.82**	**1,371.90**	**507.18**
		कुल योग (अ+ब)	19,768.54	15,912.02	3,856.51	1,448.71

परिशिष्ट-2.4

(कंडिका : 2.3.5; पृष्ठ 43 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	अ	**राजस्व (दत्तमत)**					
1	1	सामान्य प्रशासन	71.69	11.57	83.26	83.72	0.46
2	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	1,677.52	29.08	1,706.60	1,917.07	210.47
3	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	73.21	18.16	91.37	95.18	3.81
4	17	सहकारिता	56.63	23.34	79.97	81.32	1.35
5	23	जल संसाधन विभाग	264.72	14.13	278.85	284.77	5.92
6	27	स्कूल शिक्षा	1,990.58	161.74	2,152.32	2,174.07	21.75
7	29	न्याय एवं निर्वाचन प्रशासन	109.76	5.52	115.28	116.61	1.33
8	34	समाज कल्याण	28.24	2.77	31.01	31.78	0.77
9	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	38.97	2.85	41.82	45.48	3.66
10	53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6.28	1.26	7.54	7.69	0.15
11	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	66.75	11.38	78.13	78.64	0.51
12	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	860.40	98.97	959.37	980.49	21.12

1	2	3	4	5	6	7	8
13	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18.61	2.26	20.87	22.18	1.31
		योग अ	**5,263.36**	**383.03**	**5,646.39**	**5,919.00**	**272.61**
ब	**पूंजीगत (दतमत)**						
14	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	0.12	14.10	14.22	18.14	3.92
15	23	जल संसाधन विभाग	277.43	5.00	282.43	310.94	28.51
16	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	258.13	20.00	278.13	313.79	35.66
		योग ब	**535.68**	**39.10**	**574.78**	**642.87**	**68.09**
		कुल योग (अ+ब)	**5,799.04**	**422.13**	**6,221.17**	**6,561.87**	**340.70**

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका : 2.3.6; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन
(जहाँ आधिक्य/ बचत ₹ 20 करोड़ से अधिक है)

(₹ लाख में)

स. क्र.	अनुदान संख्या एवं विवरण	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान (मूल + अनुपूरक)	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
1	2	3	4	5	6
1	14- पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	2403-108-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) 7242 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	5,550.00	-5.64	-4,344.95
2	21- आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण	33,200.00	-7,619.03	13,750.00
3	24- लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल	5054-03-101-0101-राज्य आयोजना(सामान्य) 4151-वृहद पुलों का निमार्ण-	12,000.00	-100.00	-3,142.14
4		5054-03-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 4336- राज्यों में सडको का निमार्ण	16,566.01	-1,228.00	-8,965.79
5		5054-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 1513- जिलों की मुख्य सडकें	22,000.00	-400.00	-7,644.84
6	27- स्कूल शिक्षा	2202-01-112-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6933-पूर्व माध्यमिक विघालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-	1,550.00	-857.00	2,810.73
7	33- आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-2772- प्राथमिक शालाएं	37,535.00	-1,113.07	-9,392.40
8	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-01-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-3496-पूर्व माध्यमिक शालाएं	11,110.00	-18.87	2,574.77
9	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-3710-राज्यों के राजमार्ग	5,000.00	-866.00	-3,345.33
10		5054-04-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-3539-मुख्य जिला सडकें	12,000.00	-400.00	-7,573.78
11	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- औद्योगिकी जल संरचना निमार्ण	22,000.00	-17,020.04	2,952.63
12		4702-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3803-लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं-	7,050.00	-1,465.19	2,147.21

1	2	3	4	5	6
13	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4702-789-102-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7422-औद्योगिकी जल संरचना निमार्ण	27,000.00	-18,506.08	2,988.82
14	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3490-माध्यमिक शाला भवनों का निमार्ण	6,005.01	-50.00	-5,721.48
15	80- त्रि- स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-02-196-8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	12,000.00	-831.20	-2,254.74
16		2202-02-196-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8403- शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	13,150.00	-549.30	-4,733.59
17		2515-198-8214- सचिवीय व्यवस्था-	5,391.57	-74.62	-3,444.76

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका : 2.3.7; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

वर्ष के दौरान किए गए सारभूत समर्पण /विनियोग के परिणाम

(₹ लाख में)

स. क्र.	अनुदान का शीर्षक एवं संख्या	योजनाओं का नाम	कुल प्रावधान	समर्पण	समर्पण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	1- सामान्य प्रशासन	2070-003-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान	52.00	39.03	75.06
2		2070-104-5460-विशेष अन्वेषण स्थापना (एस.आई.ई.)	141.98	106.40	74.94
3		2012-03-800-3609-अन्य व्यय	16.55	12.51	75.59
4	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070-800-4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय-	132.70	69.19	52.14
5		2235-60-107-4674 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपदान	111.00	88.39	79.63
6	06- वित्त विभाग से संबंधित व्यय	2070-800-224-अन्य व्यय-	40,000.00	40,000.00	100.00
7	08- भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	2029-103-0801-केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य- 5917-भू अभिलेख कम्प्युटरीकरण योजना का विस्तार-	356.70	319.55	89.59
8		2029-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6337-भू अभिलेख का अद्यतिकरण	4,988.92	4,728.50	94.78
9		2029-797-6753-पर्यावरण निधि का अन्तरण	3,600.00	3,600.00	100.00
10		2029-797-6754-अधोसंचना विकास निधि में अन्तरण-	3,600.00	3,600.00	100.00
11		2216-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7298-नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास योजना-	100.00	100.00	100.00
12		6401-800-862-कृषक ऋण विधान -	100.00	100.00	100.00
13	09-राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय	2058-102-5659- शासकीय प्रेस रायपुर-	253.75	164.86	64.97
14		2058-104-301-अशासकीय मुद्रणालयों में मुद्रण कार्य-	30.00	18.66	62.20
15		4058-103-3427-मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद-	5.00	5.00	100.00
16	10- वन	2406-02-110-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-5502-प्रोजेक्ट एलीफेंट-	250.00	160.00	64.00
17		4406-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5538-एकीकृत वन सुरक्षा (संरक्षण) योजना	1,390.00	792.36	57.00

1	2	3	4	5	6
18		2852-80-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7394-नेशनल इंस्टीयटयूट ऑफ फैशन टेक्नालॉजी	100.00	100.00	100.00
19		2852-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5382-अंधोसंरचना हेतु अनुदान-	1,300.00	1,027.88	79.07
20	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	2852-80-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान-	200.00	178.94	89.47
21		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-9219-भू अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-	1,000.00	1,000.00	100.00
22		4851-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-9219-भू अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-	15.00	15.00	100.00
23	12- उर्जा विभाग से संबंधित व्यय	2801-06-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6825-राजीव गांधी ग्रामीण् पंपो का विद्युतीकरण विकास प्राधिकरण-	1,190.90	1,190.90	100.00
24	13- कृषि	2401-119-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	5,500.00	2,884.38	52.44
25		2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-6831 -राष्ट्रीय वागवानी मिशन योजना हेतु राज्यांश-	1,650.00	900.00	54.55
26	14- पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय	2403-109-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7403-पशु चिकित्या विश्वविद्यालय-	100.00	100.00	100.00
27		2403-800-0801- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना-	314.92	314.92	100.00
28	15- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-789-101-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-2952-बालिकाओं का गणवेश-	330.00	196.49	59.54
29		2515-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना (एस.सी.पी.)-7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजना-	84.00	60.00	71.43
30	17- सहकारिता	4425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2759-जिला सहकारी कृषि और विकास बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन-	110.00	110.00	100.00
31		6425-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5657-कृषि साख स्थिरीकरण निधियों को सुदृढ करने के लिए राज्य सहकारी बैंक को ऋण-	50.00	50.00	100.00
32	18- श्रम	2210-01-102-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय-	148.60	103.40	69.58
33		2230-01-102-5810-औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा-	228.85	129.00	56.37
34		2230-01-112-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2837-बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना-	100.00	79.60	79.60
35	21-आवास एवं पर्यारण् विभाग से सम्बंधित व्यय	2215-02-106-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8049-पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन को प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान-	50.00	50.00	100.00
36		2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7298-नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास योजना-	100.00	82.00	82.00

1	2	3	4	5	6
50	27- स्कूल शिक्षा	2202-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5634-कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना-	330.00	213.18	64.60
51		2202-02-109-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7331-बालिका प्रोत्साहन योजना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	850.00	850.00	100.00
52		2202-02-109-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6794-सूचना एवं संचार तकनिकी-	1,528.00	1,528.00	100.00
53		2202-02-109-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5052-सूचना शक्ति योजना-	262.00	226.00	86.26
54		2202-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5654-सैनिक स्कूल की स्थापना-	1,100.00	844.26	76.75
55		2202-80-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान-	2,390.00	1,548.76	64.80
56		2202-02-112-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6933-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम-	1,550.00	857.00	55.29
57		4202-01-202-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7367-माध्यमिक विद्यालय योजना- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)	302.00	293.10	97.05
58	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	2014-105-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7256-न्यायालायों का कम्प्यूटरीकरण-	150.00	102.63	68.42
59		2014-800-2918- बार एसोसिएशन पुस्तकालय के लिए आर्थिक सहायता-	100.00	100.00	100.00
60		2015-106-4006-राज्य विधान मंडल के निर्वाचन के प्रभार -	168.40	102.06	60.61
61	33- आदिम जाति कल्याण	2225-02-277-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-5325-व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा-	300.00	192.13	64.04
62		2225-02-800-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-334-आदिवासी अन्वेषण संस्था-	127.60	71.78	56.25
63	34- समाज कल्याण	2235-02-101-0801- केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7491-निः शक्त जनों को बाधा रहित सुविधाओं का विकास-	148.00	131.00	88.51
64		2235-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5650-जिला निः शक्त पुनर्वास केन्द्र-	64.45	44.09	68.41
65		2235-02-107-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5490-राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम निः शक्त जन-	265.25	135.10	50.93
66		2235-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5257-समाज कल्याण महिला बाल कल्याण संस्थाओं को सहायक अनुदान	70.00	51.00	72.86
67	34- समाज कल्याण	2235-02-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7014-वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना-	231.00	116.29	50.34
68		4235-02-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-79-अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिए शाला तथा संस्थाएं-	5.00	5.00	100.00

1	2	3	4	5	6
69	35-पुनर्वास	2235-01-200-3135-भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नव अप्रवासियों के पुर्नस्थापन-	30.00	30.00	100.00
70	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2408-01-102-3229-नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति-	200.00	200.00	100.00
71		2408-01-102-6964-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सहायता-	185.10	160.32	86.61
72		2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7432-विशिष्ट पहचान परियोजना आधार का क्रियान्वयन-	100.00	100.00	100.00
73	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2202-01-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5634-कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए कार्यक्रम-	380.00	290.32	76.40
74		2202-01-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना -5660-एन.पी.ई.जी.ई.एल.-	200.00	120.59	60.30
75		2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7437-मुख्य मंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना-	300.00	211.50	70.50
76		2202-01-796-111-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5396-सर्व शिक्षा अभियान-	31,000.00	21,175.66	68.31
77		2202-02-796-109-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6794-सूचना एवं संचार तकनीकी-	1,400.00	1,400.00	100.00
78		2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5052-सूचना शक्ति योजना-	350.00	322.64	92.18
79		2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-585-व्यवसायिक शिक्षा मण्डल को परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति -	60.00	46.67	77.78
80		2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6503-पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्तियॉ-	100.00	100.00	100.00
81		2202-02-796-109-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6755-कम्प्यूटर शिक्षा योजना-	275.00	267.76	97.37
82		2202-80-796-800-1202- विदेशी सहयता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	1,834.00	1,241.73	67.71
83		2203-796-105-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2668-पॉलिटेक्निक संस्थाएं-	699.00	466.28	66.71
84		2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2667-पॉलिटेक्निक-	155.00	86.16	55.59
85		2217-80-796-191-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-6807-एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती विकास योजना-	104.00	104.00	100.00
86		2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6937-वायुयान पायलट प्रशिक्षण योजना-	45.00	44.50	98.89

1	2	3	4	5	6
87	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2225-02-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7320-राज्य आदिवासी अनुसंधान सस्थान-	79.00	79.00	100.00
88		2230-02-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-8272-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता-	155.00	87.58	56.50
89		2230-03-796-101-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5176- मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	190.50	111.84	58.71
90		2230-03-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5176- मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	1,931.15	1,158.41	59.99
91		2230 -03-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6901-जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन-	75.00	50.64	67.52
92		2235-02-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5650-जिला निः शक्त पुनर्वास केन्द्र-	57.00	57.00	100.00
93		2235-02-796-102-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-9949- एकीकृत बाल संरक्षण योजना-	800.00	400.00	50.00
94		2235-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7365-अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम-	125.00	93.48	74.78
95		2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-7361-सबला योजना-	1,011.82	1,008.04	99.63
96		2401-796-113-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7332-बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना-	760.00	490.18	64.50
97		2401-796-119-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	4,180.00	2,993.66	71.62
98		2401-796-119-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2794-स्प्रिंकलर सिंचाई हेतु अनुदान-	208.94	111.24	53.24
99		2403-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2549-पशु औषधालय एवं चिकित्सालय-	330.05	254.84	77.21
100		2403-796-108-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	4,218.00	3,215.74	76.24
101		2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5091-लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना-	241.00	117.45	48.73
102		2406-01-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7322-प्रसंस्करण ईकाई-	250.00	160.00	64.00

1	2	3	4	5	6
103	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	2406-02-796-110-0802- केन्द्र क्षेत्रीय योजना-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास-	200.00	100.00	50.00
104		2501-05-796-196-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5077-एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम-	176.81	134.65	76.16
105		2702-02-796-016-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5478-वृष्टि छाया क्षेत्र की इंदिरा खेत गंगा योजना-	200.00	109.60	54.80
106		2801-06-796-101-0102 -अनुसूचित जनजाति उपयोजना-6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना-	905.08	905.08	100.00
107		2851-796-107-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5690-अरंण्डी रेशम/सिल्क विकास एवं विस्तार-	135.00	121.50	90.00
108		2852-80-796-102-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5385-नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना-	500.00	500.00	100.00
109		2852-80-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5451-अंशपूंजी सहायता योजना-	100.00	100.00	100.00
110		2852-80-796-800-0102 -अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7395-क्रेडिट गारंटी फण्ड-	400.00	400.00	100.00
111		4202-01-796-202-1002- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन-	6,000.00	6,000.00	100.00
112		4202-01-796-202-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन-	5,000.00	5,000.00	100.00
113		4202-01-796-202-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7367-मॉडल स्कूल योजना-	2,038.50	2,038.50	100.00
114		4202-02-796-103-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5176-मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	700.00	420.05	60.01
115		4202-02-796-103-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7438-स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन-	4,600.00	4,600.00	100.00
116		4202-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-5176- मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	1,150.00	1,023.01	88.96
117		4202-02-796-105-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-4945-तकनीकी शिक्षा के भवन निमार्ण-	300.00	191.94	63.98
118		4701-34-796-800-0102 -अनुसूचित जनजाति उपयोजना-2898- बांध में सम्बद्धकार्य	1,000.00	775.00	77.50
119		4702-796-800-0702- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7405-मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरोद्धार -	7,000.00	5,600.00	80.00
120		4702-796-800-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7405-मरम्मत/नवीनीकरण/पुनरोद्धार -	6,000.00	6,000.00	100.00

1	2	3	4	5	6
121	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	4702-796-800-0102 -अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7422-औद्यौगिक जल आधारभूत विकास-	10,000.01	7,987.59	79.88
122		5054-04-796-101-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-4871-सडक पर पुलों का निमार्ण-प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना-	2,000.00	2,000.00	100.00
123		5054-04-796-337-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-	500.00	500.00	100.00
124		5054-04-796-337-0102 -अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7475-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-	4,914.50	4,909.12	99.89
125	43- खेल एवं युवा कल्याण	2204-104-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7304-पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान-	1,718.00	1,508.75	87.82
126		2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3738- राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज -	50.00	49.23	98.46
127		2204-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7296-खेल एकादमी-	50.00	50.00	100.00
128	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7405-मरम्मत/पुर्ननवीनीकरण/पुनरोद्धार -	1,000.00	997.19	99.72
129		4702-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7422-औद्यौगिक जल संरचना निर्माण-	22,000.00	17,020.04	77.36
130	46- विज्ञान और टेक्नालॉजी	3425-60-200-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना-सामान्य-5632-स्थापना-	150.00	95.50	63.67
131		3425-60-200-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-5433-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद-	480.00	320.00	66.67
132		3425-60-200-0101 - राज्य आयोजना (सामान्य)-6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-	340.00	220.00	64.71
133	47- तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	2203-105-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं-	393.00	224.90	57.23
134		2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं-	679.00	380.56	56.05
135		2203-112-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7477-तकनीकी संस्थाओं में गुणवता सुधार कार्यक्रम-	400.00	400.00	100.00
136		2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7341-आई. आई. आई.टी. की स्थापना-	100.00	100.00	100.00
137		2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-717-औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान-	639.50	431.93	67.54
138		2230-03-003-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7438-स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन-	500.00	488.05	97.61
139		2230-03-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-6903-विश्वकर्मा योजना-	100.00	85.38	85.38
140		2230-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-8355-मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	456.50	309.47	67.79

1	2	3	4	5	6
141		4202-02-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-8355- मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	300.00	288.94	96.31
142		4202-02-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-	300.00	203.27	67.76
143		4202-02-103-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-8355- मिनी आई.टी. आई. की स्थापना-	148.00	101.15	68.34
144		4202-02-104-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं-	1,000.00	1,000.00	100.00
145		4202-02-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-2668-पोलीटेक्निक संस्थाएं-	200.00	140.43	70.22
146	48- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	2014-102-7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	1,166.40	583.20	50.00
147		2014-103-7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	2,182.40	1,091.20	50.00
148		2014-105-7416 - तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	392.80	196.40	50.00
149		2014-116-7416 - तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	1,131.60	565.80	50.00
150		2053-800-1303- वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	108.00	54.00	50.00
151		2053-800-1302- वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	342.00	171.00	50.00
152		2053-800-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	450.00	225.00	50.00
153		2205-103-1303- वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	48.00	48.00	100.00
154		2205-103-1302- वित्त आयोग की अनुशंसा- (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	152.00	152.00	100.00
155		2205-103-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	200.00	200.00	100.00
156		3454-02-800-7416- वित्त आयोग की अनुशंसा - (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	360.00	360.00	100.00

1	2	3	4	5	6
157	48- तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	3454-02-800-1303- वित्त आयोग की अनुशंसा - (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	218.40	218.40	100.00
158		3454-02-800-1302- वित्त आयोग की अनुशंसा - (अनूसूचित जनजाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	691.60	691.60	100.00
159		3454-02-800-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	910.00	910.00	100.00
160		4202-04-106-1303- वित्त आयोग की अनुशंसा - (अनूसूचित जाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	87.00	87.00	100.00
161		4202-04-106-1302- वित्त आयोग की अनुशंसा - (अनूसूचित जनजाति उपयोजना) -7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	275.50	275.50	100.00
162		4202-04-106-1301- वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)- 7416- तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	362.50	362.50	100.00
163	51- धार्मिक न्यास और धर्मस्व	2250-800-6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार-	50.00	50.00	100.00
164	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-	60.00	60.00	100.00
165		2217-05-789-193-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-	140.00	140.00	100.00
166		2235-60-789-191-1003- अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)-5401 -राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन -	70.00	70.00	100.00
167		2235-60-789-193-1003- अतिरिक्त केन्द्र सहायता (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)-5401 -राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन -	183.00	91.73	50.13
168		6217-60-789-192-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-	150.00	150.00	100.00

1	2	3	4	5	6
169	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6217-60-789-193-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-	350.00	350.00	100.00
170	55- महिला एवं बाल कल्याण से सम्बधित व्यय	2235-02-102-0701 केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-9949-एकीकृत बल संरक्षण योजना-	1,000.00	1,000.00	100.00
171		2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6868-आंगन बाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण-	150.00	150.00	100.00
172		2236-02-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7361-सबला योजना-	1,331.34	1,237.91	92.98
173	56- ग्रामोद्योग	2851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6769- भारतीय हथकरघा प्रौद्यौगिकी संस्थान की स्थापना-	64.30	33.84	52.63
174		2851-104-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7469-डोंगरगढ में शिल्प ग्राम की स्थापना-	50.00	50.00	100.00
175		2851-107-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-5521-उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम-	33.20	33.20	100.00
176		4851-103-0101- राज्य आयोजना सामान्य-6769-भारतीय हथकरघा प्रौद्यौगिकी संस्थान की स्थापना-	100.00	100.00	100.00
177		4851-107-0101-राज्य आयोजना सामान्य-6336-रेशम केन्द्रो पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निमार्ण कार्य-	70.00	41.97	59.96
178	57- जल संसाधन विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-80-800-1201-विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-5678-छत्तीसगढ सिंचाई विकास परियोजना-	3,954.00	2,746.27	69.46
179		4702-101-1203- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (विशेष घटक योजना)- 5678-छत्तीसगढ सिंचाई विकास परियोजना-	212.00	212.00	100.00
180		4702-101-1202- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-5678-छत्तीसगढ सिंचाई विकास परियोजना-	1,312.90	879.17	66.96
181		4702-101-1201- विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)-5678-छत्तीसगढ सिंचाई विकास परियोजना-	1,230.00	696.25	56.61
182	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-102-2661-पेय जल प्रदाय-	1,200.00	1,200.00	100.00
183		2245-01-103-7345- पोषण आहार-	200.00	200.00	100.00
184		2245-01-104-7346- चारा अपूर्ति-	100.00	100.00	100.00
185		2245-01-105-5492-पशु धन का टीकाकरण टीका द्रव्य उपलब्ध कराने हेतु-	200.00	200.00	100.00
186		2245-01-282-7347-लोक स्वास्थ्य-	400.00	400.00	100.00
187		2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सडके-	874.80	874.80	100.00

1	2	3	4	5	6
188	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-800-3819-लघु सिंचाई (कृषि) -	1,300.00	1,299.72	99.98
189		2245-02-101-747-ओला पीडितों से सहायता-	500.00	405.29	81.06
190		2245-02-102-2661-पेय जल प्रदाय-	900.00	871.00	96.78
191		2245-02-104-7346- चारा अपूर्ति-	100.00	100.00	100.00
192		2245-02-105-5492-पशु धन का टीकाकरण-	300.00	296.00	98.67
193		2245-02-107-7349-मरम्मत-	399.20	399.20	100.00
194		2245-02-108-7349- मरम्मत-	100.00	100.00	100.00
195		2245-02-112-7357-बाढ़ आदि में सहायता-	700.00	568.48	81.21
196		2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यो के मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना-	2,600.00	2,100.00	80.77
197		2245-02-282-7347- लोक स्वास्थ्य-	100.00	96.18	96.18
198		2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण-	3,000.00	3,000.00	100.00
199		2245-05-101-7408- राज्य आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्षता निमार्ण-	400.00	400.00	100.00
200		2245-80-800-7408- राज्य आपदा प्रबंधन के अन्तर्गत दक्षता निमार्ण-	400.00	400.00	100.00
201		6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण-	20.00	20.00	100.00
202	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2202-01-789-101-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-5634-कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए कार्यक्रम-	340.00	228.61	67.24
203		2202-01-789-101-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-5660-एन.पी.ई.जी.ई. एल.-	160.00	89.28	55.80
204		2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-5037-जूनियर प्राथमिक विद्यालय-	211.25	107.27	50.78
205		2202-01-789-111-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-5396-सर्व शिक्षा अभियान-	30,000.00	24,614.92	82.05

1	2	3	4	5	6
206	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	2202-02-789-109-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-6794-सूचना एवं संचार तकनीकी-	767.50	767.50	100.00
207		2202-02-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-5052-सूचना शक्ति योजना-	63.00	54.36	86.29
208		2202-02-789-109-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-6755-कम्प्यूटर शिक्षा योजना-	80.00	79.52	99.40
209		2202-80-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (विशेष घटक योजना)- 6725-यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान-	576.00	416.83	72.37
210		2230-03-789-003-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-	147.00	76.01	51.71
211		2235-02-789-102-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-	200.00	100.00	50.00
212		2401-789-119-1003-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायाता- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-	1,320.00	884.29	66.99
213		2501-05-789-196-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-5077-एकीकृत पडत भूमि विकास कार्यक्रम-	60.00	43.60	72.67
214		2801-06-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-6825-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम-	285.82	285.80	99.99
215		2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-5451-अंशपूंजी सहायता योजना-	100.00	82.82	82.82
216		2852-80-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7395-क्रेडिट गारंटी फण्ड -	400.00	400.00	100.00
217		2852-80-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-9068-औद्योगिक इकाईयों को लागत अनुदान-	100.00	100.00	100.00
218		4202-01-789-202-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना-विशेष घटक योजना-1400-छात्रावास तथा आश्रम भवन-	400.00	400.00	100.00
219		4202-02-789-103-0103 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-	153.00	153.00	100.00
220		4235-02-789-102-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-71-अंध, मूक एवं बधिरों के लिए शालाएं-	50.00	50.00	100.00

1	2	3	4	5	6
221	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	4425-789-107-0103 -अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-2754-प्राथमिक कृषि साख/कृषक सेवा/बडे पैमाने पर बहुउद्देशीय सहाकारी समितियों को अंशपूंजी में धनवेष्ठन-	100.00	71.50	71.50
222		4700-08-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-2884-नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य-	1,200.00	787.60	65.63
223		4700-10-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-2884-नहर तथा उससे सम्बंधित कार्य-	1,000.00	529.90	52.99
224		4702-789-102-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-7422-औद्यौगिक जल संरचना निमार्ण-	27,000.00	18,506.08	68.54
225		4702-789-800-0103- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-3828-लघु सिंचाई योजना-	1,601.00	1,390.00	86.82
226	66- पिछडा वर्ग कल्याण	2202-02-107-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य-7285-अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को मेरिट कम मिन्स छात्रवृत्ति-	105.00	65.60	62.48
227		2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6937-वायुयान पायलट प्रशिक्षण योजना-	45.00	40.81	90.69
228	67- लोक निर्माण कार्य- भवन	4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-3342-छत्तीसगढ भवन नई दिल्ली-	400.00	200.00	50.00
229	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य- भवन	4210-02-796-103-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना-4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निमार्ण-	980.00	500.00	51.02
230		4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-976- औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था कार्यालय भवनों का निमार्ण-	2,000.00	1,200.00	60.00
231	69- नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - नगरीय कल्याण	2217-80-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य) -6741-नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन-	24,500.00	24,500.00	100.00
232		2217-80-191-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7404-अपदा प्रबंधन कार्यक्रम-	200.00	200.00	100.00
233		2217-80-192-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7404-आपदा प्रबंधन कार्यक्रम-	150.00	150.00	100.00
234		2217-80-193-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7404- आपदा प्रबंधन कार्यक्रम-	50.00	50.00	100.00

1	2	3	4	5	6
235	71- सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-6894-डिजीटल शासन की स्थापना-	400.00	400.00	100.00
236	75-जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4700-05-800-0311- नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निमार्ण कार्य (नाबार्ड)	4,000.00	2,430.11	60.75
237		4701-32-800-0311- नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)-5188-मध्यम सिंचाई परियोजना निमार्ण कार्य (नाबार्ड)-	341.00	290.00	85.04
238		4702-800-0313- नाबार्ड पोषित योजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना) -5189-लघु सिंचाई परियोजना निमार्ण कार्य (नाबार्ड)-	100.00	100.00	100.00
239	80- त्रि- स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-198-8879- मनोरंजन कर से प्राप्त राशि से पंचयतों को अनुदान-	100.00	100.00	100.00
240		2515-198-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-7424- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना-	350.00	250.00	71.43
241	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-	300.00	300.00	100.00
242		2217-05-193-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ-	100.00	100.00	100.00
243		2217-80-191-7409-नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का क्षमता प्रशिक्षण-	100.00	80.16	80.16
244		2217-80-191-7418-शहरी स्वछता कार्यक्रम-	100.00	50.88	50.88
245		2235-60-192-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (सामान्य)-7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	183.00	111.37	60.86
246		2235-60-193-1001- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता- (सामान्य)-7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	274.50	173.64	63.26
247		6217-60-191-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)-7241-शहरी निकायों का आधारभूत विकास-	600.00	600.00	100.00
248		6217-60-192-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)- 7241-शहरी निकायों का आधारभूत विकास-	100.00	100.00	100.00
249		6217-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रायोजनार्थ -	900.00	900.00	100.00
250		6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-7241-शहरी निकयों का आधारभूत विकास-	100.00	100.00	100.00
251		6217-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7329-विशिष्ट प्रायोजनार्थ -	100.00	100.00	100.00
252	82- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि- स्तरीय पंचायतीराज सस्थाओं को वित्तीय सहायता	2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-7424-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना-	266.00	190.00	71.43

1	2	3	4	5	6
253	83- अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता-(अनुसूचित जन जाति उपयोजना) - 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	75.00	63.38	84.51
254		2235-60-796-192-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता-(अनुसूचित जन जाति उपयोजना) - 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	90.00	56.01	62.23
255		2235-60-796-193-1002-अतिरिक्त केन्द्र सहायता-(अनुसूचित जन जाति उपयोजना) - 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन-	135.00	101.09	74.88
	योग		3,65,299.50	3,02,090.24	82.70

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका : 2.3.8; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

(प्रकरण जिसमें समर्पित राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	अधिक समर्पित राशि
1	2	3	4	5	6	7
	अ - राजस्व दत्तमत					
1	6	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	2,106.60	189.53	400.00	210.47
2	7	वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय	196.52	8.26	24.81	16.55
3	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	116.99	21.82	25.62	3.80
4	17	सहकारिता	98.67	17.36	18.71	1.35
5	23	जल संसाधन विभाग	287.14	2.36	8.28	5.92
6	27	स्कूल शिक्षा	2,477.68	303.61	325.37	21.76
7	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	149.14	32.52	33.86	1.34
8	34	समाज कल्याण	38.93	7.15	7.93	0.78
9	66	पिछडा वर्ग कल्याण	84.63	5.99	6.49	0.50
10	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	1,022.25	41.76	62.87	21.11
11	83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	24.61	2.43	3.74	1.31
		योग - अ	**6,603.16**	**632.79**	**917.68**	**284.89**
	ब– पूंजीगत दत्तमत					
12	23	जल संसाधन विभाग	441.35	130.41	158.92	28.51
13	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	488.30	174.51	210.17	35.66
		योग - ब	**929.65**	**304.92**	**369.09**	**64.17**
		महायोग - (अ + ब)	**7,532.81**	**937.71**	**1,286.77**	**349.06**

परिशिष्ट 2.8

(कंडिका : 2.3.9; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

विभिन्न अनुदानों /विनियोगों का विवरण जिनमें बचत हुई (₹ एक करोड़ से अधिक) लेकिन कोई भी अंश समर्पण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोगों का नाम	बचत
1	2	3	4
	अ - राजस्व दत्तमत		
1	3	पुलिस	40.05
2	4	गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय	17.53
3	5	जेल	9.15
4	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	73.60
5	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	13.16
6	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	130.39
7	25	खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय	6.72
8	36	परिवहन	9.97
9	44	उच्च शिक्षा	139.25
10	54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	4.00
11	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	60.89
	योग-अ		**504.71**
	ब- राजस्व (भारित)		
12	12	ऊ र्जा विभाग से सम्बंधित व्यय	1.00
	योग-ब		**1.00**
	स- पूंजीगत दत्तमत		
13	3	पुलिस	6.00
14	18	श्रम	2.89
15	19	लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण	8.21
16	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	35.12
17	24	लोक निर्माण कार्य - सडकें और पुल	246.36
18	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	53.94
19	37	पर्यटन	14.50
20	42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य–सडकें और पुल	232.71
21	60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	1.18
22	68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	57.10
23	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	124.56
24	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	18.56
25	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	18.00
	योग – स		**819.13**
	महायोग - (अ + ब + स)		**1,324.84**

परिशिष्ट 2.9

(कंडिका : 2.3.9; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

₹ एक करोड़ से अधिक के बचत जो समर्पित नहीं किए गए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोगों का नाम	बचत	समर्पण	बचत जो समर्पित नही किये गये
1	2	3	4	5	6
		अ - राजस्व दत्तमत			
1	8	भू–राजस्व तथा जिला प्रशासन	148.66	136.20	12.46
2	10	वन	39.07	27.05	12.02
3	12	ऊ र्जा विभाग से सम्बधित व्यय	2.40	0.84	1.56
4	13	कृषि	174.27	136.76	37.51
5	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	66.94	23.55	43.39
6	28	राज्य विधान मण्डल	7.15	0.02	7.13
7	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	26.26	0.36	25.90
8	31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	2.92	0.50	2.42
9	33	आदिम जाति कल्याण	127.22	30.90	96.32
10	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	641.77	563.03	78.74
11	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान	87.70	61.88	25.82
12	49	अनुसूचित जाति कल्याण	3.00	0.50	2.50
13	55	महिला एवं बाल कल्याण से सबंधित व्यय	141.60	98.69	42.91
14	56	ग्रामोद्योग	7.84	4.17	3.67
15	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	179.25	174.68	4.57
16	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	397.67	360.47	37.20
17	67	लाके निर्माण कार्य- भवन	57.72	0.02	57.70
18	80	त्रि- स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	225.95	107.31	118.64
		योग – अ	**2,337.39**	**1,726.93**	**610.46**
		ब– पूंजीगत दत्तमत			
19	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	12.03	0.12	11.91
20	10	वन	10.49	8.87	1.62
21	27	स्कूल शिक्षा	5.02	3.65	1.37
22	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	592.70	561.72	30.98
23	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान	198.59	10.07	188.52
24	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	244.90	228.19	16.71
25	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	263.74	0.12	263.62
26	75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	44.36	39.13	5.23
		योग – ब	**1,371.83**	**851.87**	**591.96**
		महायोग - (अ + ब)	**3,709.22**	**2,578.80**	**1,130.42**

परिशिष्ट 2.10

(कंडिका : 2.3.9; पृष्ठ 44 के संदर्भ में)

31 मार्च 2011 की स्थिति में ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों के समर्पण के प्रकरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	समर्पण	कुल प्रावधान का प्रतिशत
1	2	3	4	5
		अ - राजस्व दत्तमत		
1	1	समान्य प्रशासन	15.93	16.06
2	6	वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	400	18.99
3	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	24.81	12.63
4	8	भू--राजस्व तथा जिला प्रशासन	136.20	33.52
5	10	वन	27.05	4.29
6	11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय	21.20	22.22
7	13	कृषि	136.76	23.41
8	14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	23.55	9.25
9	15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	25.62	21.90
10	17	सहकारिता	18.71	18.96
11	18	श्रम	10.28	27.17
12	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	15.36	46.44
13	27	स्कूल शिक्षा	325.37	13.13
14	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	33.86	22.70
15	33	आदिम जाति कल्याण	30.90	3.13
16	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	563.03	17.82
17	43	खेल एवं युवा कल्याण	16.37	51.17
18	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	46.10	33.18
19	48	तेरहवां वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान	61.88	17.55
20	55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बधित व्यय	98.69	14.49
21	58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	174.68	37.80
22	69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नगरीय कल्याण	244.99	63.86
23	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	62.87	6.15
24	82	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रि- स्तरीय पंचायतीराज सस्थाओं को वित्तीय सहायता	85.35	7.56
		योग – अ	**2,599.56**	–
		ब- राजस्व (भारित)		
25		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	**110.15**	**7.85**
		योग – ब	**110.15**	**7.85**
		स- पूंजीगत दत्तमत		
26	21.	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	92.24	26.50
27	41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	561.72	38.22
28	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	210.17	43.04
29	47	तकनीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन विभाग	18.92	67.60
30	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान	10.07	3.06

1	2	3	4	5
31	75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	39.13	26.26
		योग –स	**932.25**	--
		द - राजस्व (भारित)		
32		ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	190.21	18.24
		योग – द	**190.21**	--
		महायोग - (अ + ब+ स + द)	**3,832.17**	--

परिशिष्ट 2.11

(कंडिका : 2.3.11; पृष्ठ 45 के संदर्भ में)

व्यय का अतिरेक

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	जनवरी - मार्च 2012 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2012 में किया गया व्यय	निम्नांकित का कुल व्यय से प्रतिशत	
					जनवरी से मार्च - 2012	मार्च 2012
1	2	3	4	5	6	7
1	4425	33.58	33.80	15.93	100.65	47.44
2	4853	55.00	55.00	55.00	100.00	100.00
3	2048	100.00	100.00	50.00	100.00	50.00
4	6425	42.50	42.50	9.00	100.00	21.18
5	4851	26.10	26.05	25.94	99.80	99.39
6	2408	425.09	414.26	404.65	97.45	95.19
7	4235	56.60	54.71	46.52	96.66	82.19
8	4711	25.17	23.74	19.98	94.32	79.38
9	4225	106.01	92.51	83.84	87.27	79.08
10	4515	98.97	85.11	58.58	86.00	59.19
11	4216	84.31	70.85	68.63	84.04	81.40
12	2852	22.08	18.28	14.99	82.79	67.89
13	2425	126.78	104.55	97.37	82.47	76.80
14	2030	84.58	69.37	64.11	82.02	75.80
15	2853	228.30	179.92	10.84	78.81	4.75
16	3452	32.35	24.26	24.26	75.00	75.00
17	4202	181.98	135.53	101.84	74.48	55.96
18	4059	40.90	29.74	18.28	72.71	44.69
19	4406	27.08	19.49	-0.47	71.97	-1.74
20	6401	100.00	70.00	70.00	70.00	70.00
21	4210	149.30	104.34	78.52	69.89	52.59
22	3275	26.11	17.93	15.33	68.67	58.71
23	2216	123.37	79.65	64.74	64.56	52.48
24	3054	429.40	271.61	135.35	63.25	31.52
25	4702	785.57	496.43	337.33	63.19	42.94
26	2217	402.99	231.62	183.28	57.48	45.48
27	2052	99.75	57.09	48.30	57.23	48.42
28	2245	282.89	160.41	120.42	56.70	42.57
29	2405	46.44	26.17	19.78	56.35	42.59
30	2501	61.34	34.38	28.67	56.05	46.74
31	2515	1,455.88	767.18	413.14	52.70	28.38
32	2235	1,821.01	948.47	519.26	52.08	28.51
33	2810	35.65	17.95	17.95	50.35	50.35
34	2204	26.35	13.17	8.90	49.98	33.78
35	4801	900.00	450.00	450.00	50.00	50.00

परिशिष्ट - 2.12

(कंडिका 2.4.7 पृष्ठ 48 के संदर्भ में)

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ लाख में)

सं. क्र.	वर्ष	संस्थानो के नाम	शीर्ष	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1	2009-10	हिन्दी ग्रंथ अकादमी	स्थापन आयोजना	25.00
2	2009-10	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़	स्थापन आयोजनेत्तर	105.00
3	2010-11	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय	स्थापन आयोजना	45.00
4	2009-10	रामचंडी महाविद्यालय, सरायपाली	विकास	5.00
5	2009-10	श्री सांई बाबा आदर्श महाविद्यालय, सिमगा	विकास	5.00
6	2009-10	संत गुरू घासीदास कला/वाणिज्यि, महाविद्यालय, बिलासपुर	विकास	5.00
7	2009-10	सेठ फूलचंद अग्रवाल मेमोरियल महाविद्यालय, राजिम	विकास	5.00
8	2009-10	कला/वाणिज्यि महाविद्यालय, बलोदा	विकास	5.00
9	2009-10	अग्रसेन महाविद्यालय, रायपुर	विकास	5.00
10	2009-10	कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जामगाँव	विकास	5.00
11	2009-10	श्रीमति मार्वन देवी महिला कला/वाणिज्यि महाविद्यालय, खरसिया	विकास	5.00
	योग			215

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका : 3.2, पृष्ठ 53 के संदर्भ में)

गबन व्यपहरण इत्यादि का विभागवार/अवधिवार विश्लेषण

(31 मार्च 2012 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण)

(₹ लाख में)

स. क्रं.	विभाग का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						
		पांच वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	06 (8.81)	03 (4.72)	02 (0.18)	02 (0.11)	-	01 (0.50)	14 (14.32)
2	कला एवं संस्कृति	-	-	-	-	-	01 (0.81)	01 (0.81)
3	जिला प्रशासन	-	02 (0.40)	01 (0.67)	01 (0.16)	02 (3.02)	02 (0.27)	08 (4.52)
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	01 (0.00)	03 (7.33)	-	02 (11.80)	01 (0.03)	05 (0.65)	12 (19.81)
5	तकनीकि शिक्षा	10 (51.25)	01 (1.90)	-	-	-	02 (0.29)	13 (53.44)
6	आदिम जाति	02 (0.25)	01 (0.46)	05 (13.67)	02 (0.93)	02 (1.20)	06 (0.75)	18 (17.26)
7	विक्रय एवं व्यापार कर	-	-	-	-	-	02 (0.02)	02 (0.02)
8	जेल	-	-	-	-	-	01 (2.29)	01 (2.29)
9	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	01 (1.96)	-	02 (3.50)	02 (0.63)	01 (0.32)	06 (6.41)
10	शिक्षा	07 (45.20)	12 (34.25)	03 (16.68)	06 (3.48)	19 (11.39)	24 (6.84)	71 (117.84)
11	पुलिस	133 (53.29)	90 (41.17)	28 (22.31)	08 (13.45)	15 (3.89)	-	274 (134.11)
12	मुद्रांक एवं पंजीयन	-	-	-	-	-	01 (0.62)	01 (0.62)
13	जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	-	-	-	07 (1.26)	27 (2.13)	34 (3.39)
14	तहसील	01 (0.49)	02 (0.50)	-	-	01 (0.16)	10 (5.65)	14 (6.80)
15	राज्य आबकारी	01 (1.49)	02 (3.94)	-	-	-	01 (0.02)	04 (5.45)
16	पशुपालन	74 (6.49)	40 (5.78)	-	-	01 (0.73)	05 (0.69)	120 (13.69)
17	लोक सेवा आयोग	-	01 (3.16)	-	-	-	-	01 (3.16)
18	सहकारिता	-	-	-	-	01 (96.26)	-	01 (96.26)
19	भूमि संरक्षण	01 (0.00)	-	-	-	-	02 (0.44)	03 (0.44)
20	पंचायत एवं समाज कल्याण	01 (0.00)	01 (0.15)	02 (0.24)	-	02 (0.10)	03 (1.07)	09 (1.56)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	डेयरी विकास	-	-	01 (0.20)	-	01 (0.02)	-	02 (0.22)
22	रेशम विभाग	08 (0.34)	05 (1.91)	-	-	-	01 (0.04)	14 (2.29)
23	जिला एवं सत्र न्यायालय	04 (1.46)	02 (1.48)	02 (8.71)	01 (0.21)	01 (0.12)	01 (0.55)	11 (12.53)
24	खनिज संसाधन विभाग	04 (1.68)	03 (12.33)	-	-	-	-	07 (14.01)
25	परिवहन	-	-	-	01 (0.00)	-	-	01 (0.00)
26	लोक स्वास्थ यांत्रिकी	01 (0.41)	-	-	-	-	-	01 (0.41)
27	श्रम एवं रोजगार	02 (0.50)	03 (2.19)	02 (0.52)	01 (0.18)	03 (0.22)	01 (0.16)	12 (3.77)
28	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	-	-	-	-	-	03 (0.46)	03 (0.46)
29	खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	-	02 (0.24)	-	-	-	03 (0.13)	05 (0.37)
30	अ.जा./अ.जन. एवं अन्य पि.व का कल्याण	01 (0.00)	-	-	04 (0.63)	02 (0.73)	09 (1.96)	16 (3.32)
31	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	02 (1.00)	06 (9.33)	08 (33.46)	01 (0.13)	08 (3.29)	10 (1.98)	35 (49.19)
32	कृषि विभाग	02 (3.44)	05 (8.50)	-	-	-	01 (0.06)	08 (12.00)
33	वन	37 (87.84)	110 (98.45)	106 (224.80)	232 (202.62)	164 (88.28)	220 (43.07)	869 (745.06)
34	लोक निर्माण विभाग	05 (55.17)	07 (45.70)	-	-	-	-	12 (100.87)
35	जल संसाधन विभाग	16 (189.04)	12 (13.00)	-	-	-	-	28 (202.04)
	योग	**319 (508.15)**	**314 (298.85)**	**160 (321.44)**	**263 (237.20)**	**232 (211.33)**	**343 (71.77)**	**1,631 (1648.74)**

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका : 3.2, पृष्ठ 53 के संदर्भ में)

चोरी, गबन एवं सरकारी भंडार सामग्री की कमियों के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स. क्रं.	विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन/सरकारी भंडार सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उच्च शिक्षा	09	8.98	05	5.34	14	14.32
2	कला एवं संस्कृति	01	0.81	00	0.00	01	0.81
3	जिला प्रशासन	01	0.67	07	3.85	08	4.52
4	कोष एवं लेखा प्रशासन	04	0.23	08	19.59	12	19.82
5	तकनीकि शिक्षा	04	0.40	09	53.04	13	53.44
6	आदिम जाति	05	1.38	13	15.89	18	17.27
7	विक्रय एवं व्यापार कर	02	0.02	00	0.00	02	0.02
8	जेल	01	2.29	00	0.00	01	2.29
9	महिला एवं बाल विकास विभाग	01	3.50	05	2.91	06	6.41
10	शिक्षा	28	12.90	43	104.93	71	117.83
11	पुलिस	25	10.10	249	124.01	274	134.11
12	मुद्रांक एवं पंजीयन	00	0.00	01	0.62	01	0.62
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	09	0.33	25	3.05	34	3.38
14	तहसील	02	0.50	12	6.30	14	6.80
15	राज्य आबकारी	00	0.00	04	5.45	04	5.45
16	पशुपालन	05	0.59	115	13.10	120	13.69
17	लोक सेवा आयोग	00	0.00	01	03.16	01	3.16
18	सहकारिता	00	0.00	01	96.26	01	96.26
19	भूमि संरक्षण	00	0.00	03	0.44	03	0.44
20	पंचायत एवं समाज कल्याण	02	0.10	07	1.46	09	1.56
21	डेयरी विकास	01	0.20	01	0.02	02	0.22
22	रेशम विभाग	09	0.35	05	1.94	14	2.29
23	जिला एवं सत्र न्यायालय	03	0.87	08	11.66	11	12.53
24	खनिज संसाधन विभाग	04	9.84	03	4.17	07	14.01
25	परिवहन	00	0.00	01	0.00	01	0.00
26	लोक स्वस्थ्य यांत्रिकी	00	0.00	01	0.41	01	0.41
27	श्रम एवं रोजगार	08	2.85	04	0.92	12	3.77
28	भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	00	0.00	03	0.46	03	0.46
29	खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01	0.14	04	0.23	05	0.37
30	कृषि विभाग	00	0.00	08	12.00	08	12.00
31	अ.जा./अ.जन. एवं अन्य पि.व का कल्याण	01	0.00	15	3.32	16	3.32
32	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं	15	11.88	20	37.31	35	49.19
33	वन	37	9.14	832	735.92	869	745.06
34	लोक निर्माण विभाग	03	13.04	09	87.83	12	100.87
35	जल संसाधन विभाग	14	5.41	14	196.63	28	202.04
	योग	195	96.52	1436	1552.22	1631	1648.7

©

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in